सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली-110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2020-2021

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

संक्षिप्तियां

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.डी.आर.आई.	आपदा समुत्थानशील अवसंरचना का गठबंधन
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा हेतु प्राथमिक मोचक
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	iii
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5
अध्याय 3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	7
अध्याय 4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	19
अध्याय 5	क्षमता विकास	55
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	63
अध्याय 7	प्रशासन एवं वित्त	105
	अनुबंध – I	108
	अनुबंध – II	110

अध्याय 1

प्रस्तावना

अतिसंवेदनशीलता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र है; इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू–भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू–भाग भूस्खलन प्रवण है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव–जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधी उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनसांख्यिकी और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षितताओं में और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टतः, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के निष्पादन की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभार–तंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं, जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित है।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के राहत केंद्रित दृष्टिकोण वाले तरीके को एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन पद्धति द्वारा परिवर्तित किया है जिसमें आपदा प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र (रोकथाम, प्रशमन,

तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को कवर किया गया है। यह पद्धति इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न पक्षों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

1.8 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :

1.	श्री संजीव कुमार	सदस्य सचिव (27.01.2021 से)
2.	श्री जी.वी.वी. शर्मा	सदस्य सचिव (27.01.2021 तक)
3.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)
4.	लेफ्टिनेन्ट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर (सेवानिवृत्त)	सदस्य (21.02.2020 से)
5.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (02.02.2020 से)
6.	श्री कृष्ण स्वरूप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा अपनी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और

आपदाओं को रोकने के लिए उपायों के करने अथवा इसका असर कम करने के साथ–साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेत्तृत्व एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता देते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। चूँकि आपदा एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के विस्तृत संगठन की परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके सांविधिक कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है:

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ड़) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से

तालमेल होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (जवाबी कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 वैसे भी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश तैयार करेगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को आसान बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी एन.डी.एम.ए. अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भविष्य निरूपण (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से निःसृत भविष्य निरूपण (विजन) निम्न प्रकार से है:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ड़) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत के कार्य सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतें खड़ी करने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

''रोकथाम, प्रशमन, तैयारी एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।''

अध्याय 3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

3.1 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और इसे 18 जनवरी, 2010 को लोकार्पण किया गया। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन–केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूल–चूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। नवंबर, 2019 में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद इसे संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए खतरे (आंधी तूफान, आकाशीय बिजली, प्रचंड हवा, धूल तूफान और तेज हवा/बादल फटना और ओला–वृष्टि/हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)/ग्रीष्म लहर/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अपातस्थिति (बीपीएचई)/जंगल की आग), नए अध्याय (2015 वैश्विक ढांचा/समाजिक समावेशी/डीआरआर का मुख्यधारा में लाने हेतु डीआरआर के लिए सुसंगतता और पारस्परिक सुदृढ़ीकरण शामिल हैं तथा जलवायु के बाद जोखिम सूचित डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन भी शामिल है।) इस एनडीएमपी ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए समयबद्ध कार्रवाई दर्शायी है, ताकि, डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के साथ तालमेल हो सके। योजना को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/केंद्र "शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाओं और रणनीतियों को विकसित करें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक प्रस्तावों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन–आधारित दृष्टिकोण (मिशन–मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और सभी अन्य हितधारकों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते हैं। विषय की जटिलता के आधार पर, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक 'नौ–चरण' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है।

3.4 दिशानिर्देशों की तैयारी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:–

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदा–वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।

- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम निगरानी को आसान बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य/मंजिल की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में की गई हो, करके हासिल किया जाए।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात्–क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?–के उत्तर दिए जाने थे।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ चरण

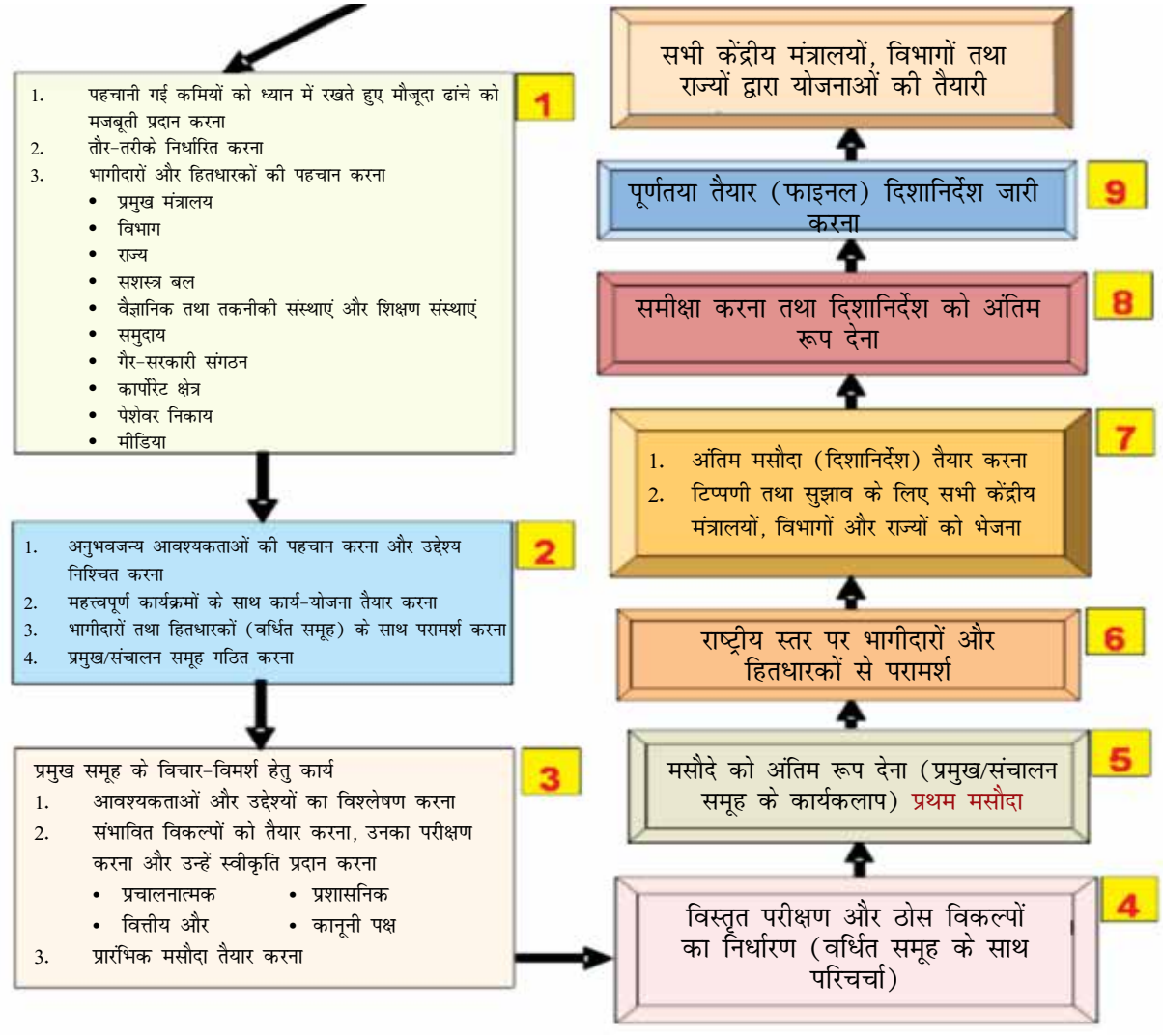

चित्र 3.1

3.5 जारी किए गए दिशानिर्देश और रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज :

(i) जारी किए गए दिशानिर्देश :

एनडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची		
क्र.सं.	**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश**	**उनको तैयार करने/जारी करने का महीना तथा वर्ष**
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना मोचन प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्नि शमन सेवाओं का स्तर–निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी, 2016
23.	संग्रहालय	मई, 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थलों तथा आस–पास का परिसर	सितंबर, 2017
25.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017
26.	आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली/हवा के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और तीव्र हवा की रोकथाम और प्रबंधन–कार्य योजना की तैयारी	मार्च, 2019
27.	आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर, 2019

28.	दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सितंबर, 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर, 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी–लू की रोकथाम तथा प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)	अक्तूबर, 2019
31.	हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ का प्रबंधन (जीएलओएफ)	अक्तूबर, 2020

(ii) जारी की गई रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

क्र.सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग I एवं II
7.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सार–संग्रह
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद–भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को और सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअल: आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण
16.	शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना
17.	गुजरात की बाढ़ 2017–एक प्रकरण अध्ययन
18.	खतरा जोखिम निर्माण पर राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम
19.	तमिलनाडु बाढ़ :सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट
20.	गाजा चक्रवात पर अध्ययन रिपोर्ट – 2018
21.	चक्रवात और भूकंप सुरक्षा के लिए गृह स्वामी की मार्गदर्शिका
22.	भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक रिपोर्ट
23.	भारत में अग्नि सुरक्षा (एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की कार्यवाही)

24.	भारत में लू की चेतावनी के लिए तापमान सीमा का अनुमान लगाने के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन
25.	विभिन्न आपदाओं पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' में पॉकेट बुक
26.	कोविड–19 पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' तथा FAQ पर एक डिजिटल किताब
27.	2020 की लू की तैयारी और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट
28.	वन अग्नि प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट
29.	आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर एसओपी

3.6 वर्ष 2020-21 के दौरान जारी दिशानिर्देश/ रिपोर्टें:

(i) **हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ का प्रबंधन (जीएलओएफ)**

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की प्रमुख चुनौतियों में एक है। भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) में हिमनदों के निर्माण से जुड़े खतरों के लिए आपदा जोखिमों को कम करने के लिए एक एकीकृत रणनीति की आवश्यकता होती है। एनडीएमए ने हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ के प्रबंधन (जीएलओएफ) पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विकास के लिए संबंधित भारतीय संस्थानों से राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी (एसडीसी) के साथ साझेदारी की है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विभागों, केंद्रीय सरकारों और अन्य हितधारकों को जीएलओएफ की तैयारी, रोकथाम, प्रशमन और प्रतिक्रिया के लिए सक्षम बनाना है। ये दिशानिर्देश संबंधित हितधारकों की जागरूकता और क्षमता निर्माण पर भी जोर देते हैं।

(ii) **वनाग्नि प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट**

एक वैज्ञानिक समीक्षा के बाद, विभाग द्वारा वनाग्नि प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों का संकलन पूरा किया गया था। दस्तावेज में विश्व भर में अत्याधुनिक अभ्यासों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत के लिए व्यावहारिक प्रभाव है। इसके अलावा, डेस्कटॉप समीक्षा में विश्व भर में कुछ समुदाय आधारित और पारंपरिक सर्वोत्तम अभ्यासों को भी शामिल किया गया है। वनाग्नि प्रबंधन में पहले से ही विद्यमान प्रयासों में यह दस्तावेज जुड़ जाएगा।

(iii) **आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)**

आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर नीति तैयार करने के लिए एनडीएमए ने एक अंतर–मंत्रालयी कार्य समूह का गठन किया गया था। आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को एनडीएमए द्वारा तैयार किया गया था और आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। एसओपी कुछ तौर–तरीकों को दर्शाती है, जो इस मुद्दे पर भारत सरकार की विद्यमान नीति को लागू करने के लिए उपयोगी हो सकती है।

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए घरेलू सहायता और मानवीय सहायता को चैनलबद्ध

करने पर मसौदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बचाव, राहत और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन की प्राथमिक उत्तरदायी राज्य सरकार ही होती है। घरेलू सहायता में इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों को घरेलू सहायता के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यकता का आकलन, सहायता के लिए अनुरोध, सहायता प्राप्त करना, छंटाई, स्टोर, पैकिंग, सहायता का वितरण और अप्रयुक्त सहायता का प्रबंधन शामिल है। एनडीएमए द्वारा तैयार की जा रही एसओपी का उद्देश्य घरेलू सहायता के प्रबंध में अंतर को पाटना है। इस एसओपी का विशिष्ट उद्देश्य है :

(i) घरेलू सहायता को चैनलबद्ध करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराना, जिसको राज्य सरकारें और अन्य हितधारकों/केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाया जा सकता है।

(ii) सहायता के समन्वय और कुशल वितरण में सुधार।

(iii) उन प्रक्रियाओं का मानकीकरण जो आपदा राहत के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की वितरण प्रणाली को महत्व दे।

(iv) राहत की आवश्यकताओं का आकलन करना और आपदा प्रभावितों के लिए राहत सहायता प्रदान करना।

(v) घरेलू सहायता प्राप्त करने, प्रबंध करने और वितरित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानदंड और संस्थागत तंत्र का होना है।

3.8 एनडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनडीएमए ने ग्रीष्म लहर जोखिम न्यूनीकरण पर एक राष्ट्रीय वेबिनार (विषय : ग्रीष्म लहर जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व नियोजन) आयोजित किया, जिसका उद्देश्य राज्यों को ग्रीष्म लहर 2019 पर एनडीएमए के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप गर्मी की कार्रवाई योजना तैयार करने और क्रियान्वयन करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना है।

कार्यशाला का उद्देश्य ग्रीष्म लहर पर स्थायी दीर्घकालिक प्रशमन और भविष्य की कार्रवाई पाठ्यक्रम के लिए अनुभवों और सीखे गए सबकों को साझा करना है। कार्यशाला के दौरान तीन तकनीकी सत्रों में कई विषयों पर महत्वपूर्ण विचार–विमर्श किया गया। ये इस प्रकार हैं:

(i) तकनीकी सत्र I : पूर्व–चेतावनी, पूर्वानुमान और संचार रणनीति

(ii) तकनीकी सत्र II : ग्रीष्म लहर जोखिम न्यूनीकरण की तैयारी के लिए नियोजन

(iii) तकनीकी सत्र III : राज्य के अनुभवों और क्षमता निर्माण को साझा करना

कार्यशाला में एनडीएमए के सदस्यों और केंद्र मंत्रालयों/विभागों से वरिष्ठ अधिकारियों, ग्रीष्म लहर के विशेषज्ञों, पूर्व–चेतावनी और पूर्वानुमान एजेंसियों, राज्य सरकारों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

इस वेबिनार के साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण ने ग्रीष्म लहर सत्र, 2021 के प्रबंधन के लिए पूर्व प्रयास शुरू कर दिए हैं।

3.9 राज्य आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण:

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 के पास उनकी अपनी स्वीकृत राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी को भी मंजूरी दी थी, को दो केंद्र शासित प्रदेशों (i) जम्मू और कश्मीर तथा (ii) लद्दाख में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों (i) दादरा और नगर हवेली और (ii) दमन और दीव, दोनों ने एसडीएमपी को मंजूरी दे दी थी, को एक केंद्र

शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। इन तीन नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया में है।

3.10 भारत सरकार के मंत्रलयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना:

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना–भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों का प्रतिपादन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। यह योजना– डीएम योजना टेम्प्लेट्स के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है। डीएम योजना के लिए एक सरलीकृत टेम्प्लेट उन मंत्रालयों/विभागों, जो आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, के लिए तैयार किया गया है।

(ख) डीएमपी पर मंत्रालयों से बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और उनके उत्तरों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को संचालित किया गया है और एनडीएमए की वेबसाइट में नीति और योजना – डीएम प्लान टेम्प्लेट के तहत अपलोड भी किया है।

(ग) आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(घ) (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित किया:

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
2. मत्स्य विभाग
3. पशु पालन एवं डेयरी विभाग
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग
5. इस्पात मंत्रालय
6. परमाणु ऊर्जा विभाग
7. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना नामतः राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
8. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना नामतः राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
9. विद्युत मंत्रालय

(ङ) (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की जांच की और उनके संशोधन के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

1. आयुष मंत्रालय
2. उर्वरक विभाग
3. नागर विमानन मंत्रालय
4. कोयला मंत्रालय
5. वाणिज्य विभाग
6. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
7. दूरसंचार विभाग
8. संस्कृति मंत्रालय
9. रक्षा उत्पादन विभाग
10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
11. भारी उद्योग विभाग
12. आंतरिक सुरक्षा विभाग
13. राज्यों का विभाग
14. राजभाषा विभाग

15. गृह विभाग
16. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
17. सीमा प्रबंधन विभाग
18. आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय
19. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
20. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
21. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
22. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
23. न्याय विभाग
24. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
25. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
26. रेल मंत्रालय
27. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
28. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
29. युवा कार्य विभाग
30. अंतरिक्ष विभाग
31. विदेश मंत्रालय
32. ग्रामीण विकास विभाग
33. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
34. पंचायती राज मंत्रालय
35. लोक उद्यम विभाग

3.11 कार्यान्वयन के अंतर्गत योजना:

(i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू किया जाना : आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू करने की स्कीम को वर्ष 2018–19 से तीन वर्षों के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने हेतु 2010.6 लाख रुपए की लागत पर एनडीएमए द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्कीम में, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीएमए में एक डीएम पेशेवर को हायर करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। डीएम पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा को लागू करने के लिए उपायों को करने में राज्य प्रशासन को सुविधा देंगे/सहायता करेंगे। स्कीम के संघटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) 1 लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता को हायर करना।

(ii) 22,000/–रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करना।

(iii) पहले वर्ष 25,000/–रु. प्रति मास की सीलिंग, दूसरे वर्ष 27,500/–रु. प्रति मास की सीलिंग और तीसरे वर्ष 30,250/–रु. प्रति मास की सीलिंग के साथ वाहन को किराए पर लेना।

(iv) कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रु. (एककालिक) की वित्तीय सहायता।

स्कीम के अंतर्गत (31.03.2021 तक) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी की गईं, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2018–19	31 (29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश)	594.56 लाख रुपए
2019–20	3 (3 केंद्र शासित प्रदेश)	22.16 लाख रुपए
2020–21	8 (7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश)	134.90 लाख रुपए
	कुल	751.62 लाख रुपए

(ii) 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरणः 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढ़ीकरण की स्कीम को गोवा जहां किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गई है, को छोड़कर सभी राज्यों में तीन वर्षों हेतु लागू करने के लिए 28. 98 करोड़ रु. की लागत पर एनडीएमए द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक खतरा प्रवण क्षेत्रों में स्कीम की अवधि के दौरान 70,000/–रु. (सत्तर हजार) की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर को हायर करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीमए पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा देने/सहायता देने का काम करेगा।

इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी की गईं, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2018–19	27 राज्य	524.30 लाख रुपए
2019–20	18 राज्य	315.00 लाख रुपए
2020–21	11 राज्य	221.20 लाख रुपए
	कुल	**1060.50 लाख रुपए**

3.12 कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं:

(i) **भारत के चार शहरों में लू से संबंधित स्वास्थ्य खतरों के अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) का मूल्यांकनः**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण (एनडीएमए) ने दिसंबर, 2019 को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), हरियाणा को भारत के चार शहरों अर्थात ओंगले (आंध्र प्रदेश), करीमनगर (तेलंगाना), अंगुल (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 48,98,300/–रुपए की एक अनंतिम लागत से लू से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) के मूल्यांकन पर अध्ययन के लिए सौंप दिया।

इस अध्ययन से देश में चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के संपर्क में आने से स्वास्थ्य प्रभाव का आंकलन करेगा। इसके अतिरिक्त देश के चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के बोझ का भी आंकलन करेगा और इन चार शहरों पर वर्तमान सामाजिक–सांस्कृतिक अभ्यासों का मैप तैयार करेगा। यह उन अवसरों और चुनौतियों का पता लगाएगा और उन्हें दस्तावेजीकरण करेगा जो संवेदनशील आबादी गर्मी की लहरों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए सामना कर रही है। इसके अलावा इस अध्ययन से भारत के चार शहरों को इस नीति की जानकारी देने के लिए मजबूत साक्ष्य मिलेंगे जिससे वर्तमान स्थिति और बेहतर तैयारी के लिए क्षेत्रवार भारतीय मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेंगे। नीति का संक्षिप्त विवरण जो प्रत्येक राज्य के लिए विकसित किया जाएगा, गर्मी की लहर से निपटने के लिए तैयारियों में सुधार के लिए विशिष्ट सुझाव प्रदान करेगा।

पीएचएफआई ने अपनी पहली सुपुर्दगी/अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे एनडीएमए ने स्वीकार कर लिया।

(ii) **भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और मॉडल गर्मी कार्य योजना के लिए रूपरेखा विकसित करनाः**

एनडीएमए ने भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और गर्मी के लिए मॉडल कार्य योजना की रूपरेखा विकसित करने के लिए विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

(वीएनआईटी), नागपुर को 46,94,612/–रुपए की अनंतिम लागत सौंप दी है।

परियोजना की सुपुर्दगी में शामिल हैं :

1. आउटडोर थर्मल कम्फर्ट, मौसम संबंधी मापदंडों और रूपात्मक मापदंडों के बीच संबंध दिखाने वाले अध्ययन
2. विदर्भ क्षेत्र के 2 शहरों के लिए गर्मी संवेदनशीलता मैप
3. किसी चयनित शहरों के लिए गर्मी की कार्य योजना
4. एचवी मैपिंक के लिए सामान्य पद्धति
5. मॉडल एचएपी के लिए रूपरेखा

वीएनआईटी ने परियोजना के लिए पहली रिपोर्ट (प्रथम छमाही रिपोर्ट) प्रस्तुत कर दी है। उक्त को स्वीकृत कर लिया गया है।

(iii) **गुवाहाटी टाउन में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकासः**

एनडीएमए ने गुवाहाटी टाउन में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली को वर्ष 2018–19 में 49,20,664/–रुपए की अनंतिम लागत सौंप दी थी और कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की सुपुर्दगी में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :

1. (i) प्राथमिक और माध्यमिक डाटा संग्रह, सर्वेक्षण और विश्लेषण और (ii) मॉडल स्थापित करना और मॉडल सिमुलेशन और ट्यूनिंग
2. (i) परिणामों का विश्लेषण और सत्यापन और (ii) चित्रात्मक उपयोगकर्ता इंटरफेस, जीयूआई प्रशिक्षण, मसौदा और मुख्य निष्कर्षों और कार्य की समीक्षा के साथ अंतिम रिपोर्ट। गुवाहाटी नगर निगम द्वारा उपयोग की जाने वाली, टीईआरआई द्वारा विकसित बाढ़ चेतावनी प्रणाली, एनडीएमए/असम एसडीएमए को अंतिम उत्पाद सौंपने से पहले टीईआरआई टीम की उपस्थिति में उनके द्वारा चलाई जाएगी।

परियोजना की पहली सुपुर्दगी एनडीएमए द्वारा प्राप्त और स्वीकार कर ली गई। टीईआरआई द्वारा परियोजना की दूसरी और अंतिम सुपुर्दगी प्रास्तुत कर दी गई है और एनडीएमए द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई और टीईआरआई को एनडीएमए की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

3.13 कोविड-19 के लिए किए गए कार्यः

(i) कोविड–19 के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर योजना के लिए टेम्पलेट तैयार किए गए।

(ii) कोविड–19 की रोकथाम और तैयारी, कोरोनावायरस के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में विभिन्न हितधारकों के लिए श्रव्य–दृश्य, क्या करें और क्या न करें और एफएक्यू आदि सहित जागरूकता सामग्री।

(iii) कोरोनावायरस के संबंध में– 04 फरवरी, 05 मार्च और 17 मार्च, 2020 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों (लॉकडाउन के चरणों के शुरू होने से पहले) से पहले, एनडीएमए द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड–19 की रोकथाम और तैयारी के संबंध में, उठाए जाने वाले कदमों और विशिष्ट देशों से आए हुए लोगों से निपटने के लिए सलाह जारी की गई।

(iv) एनडीएमए ने कोविड–19 के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन लागू करने और अवधि विस्तार करने के लिए आदेश जारी किए और बाद में प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से फिर से खोलने के लिए आदेश जारी किए गए।

(v) एसडीएमए को स्थिति जागरूकता और संसाधन जागरूकता सहित गतिविधियों की

प्रतिक्रिया के समन्वय से संबंधित एनडीएमए का दिनांक 28.03.2020 की सलाह।

(vi) कोविड–19 के प्रसार को कम करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय के बारे में सभी एसडीएमए को एनडीएमए का पत्र दिनांक 31.03.2020।

(vii) डब्ल्यूएचओ, एसपीएचईआरई, अन्य संगठनों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेज, एसओपी और सलाह की समीक्षा और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

(viii) एनडीएमए ने भारतीय अनुभव को (01 जनवरी से 31 मई, 2020) शामिल करते हुए एक दस्तावेज तैयार किया और राज्य और स्थानीय स्तर पर अच्छे अभ्यासों का केस अध्ययन भी तैयार किया।

अध्याय 4

आपदा खतरा प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

4.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) की मंजूरी इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी है जिससे की चक्रवात संवेदनशीलता को कम किया जाए और अवसंरचनाओं एवं लोगों को आपदा के प्रति सहनशील बनाया जाए जो भारत के चक्रवात खतरा प्रवण राज्यों/यूटी के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के अनुकूल हो। इस परियोजना के चार घटक हैं, नामतः i) घटक क : अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने वाली पूर्व–चेतावनी प्रसारण प्रणाली ii) घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना जैसे, बहु–उद्देशीय चक्रवात आश्रय–स्थल (सुरक्षित निकास हेतु सड़कें, पुल, लवणीय तटबंध एवं भूमिगत केबलिंग) iii) घटक ग : बहु–खतरा जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता और iv) घटक घ : परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है और घटक ख का वित्त पोषण केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में होता है। केंद्रीय सरकार का हिस्सा विश्व बैंक सहायता (ऋण) द्वारा वित्त पोषित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना का कार्यान्वयन निकाय है। परियोजना को निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित परियोजना (सीएसएस) के रूप में मंजूरी दी गई थी।

4.2 एनसीआरएमपी का प्रथम चरण आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के लिए 1496.71 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 5 वर्षों के अंदर पूरा करने हेतु जनवरी, 2011 में मंजूर दी गई थी। वर्ष 2013 में चक्रवात के प्रथम चरण के अनुभव के पश्चात एनसीआरएमपी चरण–I के अनुमानित लागत को जुलाई 2015 में 2331.71 करोड़ रु. कर दिया गया जिसमें अतिरिक्त अवसंरचना शामिल थी और इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य संशोधित कर 31.03.2018 कर दिया गया। परियोजना संचालन वाले राज्यों से पुनः अनुरोध प्राप्त होने पर परियोजना लागत को पुनः मई, 2017 में संशोधित कर 2541.60 करोड़ रु. कर दिया गया और इसे पूरा करने की तिथि 31.12.2018 तय की गई। एनसीआरएमपी का प्रथम चरण पूरा हो चुका है।

4.3 एनसीआरएमपी का दूसरा चरण गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रु. की लागत की मंजूरी जुलाई, 2015 में दी गई और इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 15.03.2021 रखा गया। हालांकि, परियोजना लागत को फिर से जनवरी, 2020 में संशोधित कर 2691.00 करोड़ रु. कर दिया गया। जिसको पूरा करने का समय 15 मार्च, 2021 पूर्ववत् रखा गया। दिसंबर, 2020 में 80 मिलियन डॉलर निरस्त/सरेंडर होने के कारण फिर से इसका व्यय संशोधित कर 2059.83 करोड़ रु. कर दिया गया और परियोजना को पूरा करने की संशोधित तिथि 15 सितंबर, 2022 कर दी गई है।

4.4 एनसीआरएमपी चरण–II के केंद्रीय हिस्सा 1187.68 करोड़ रु. राज्यों को 31.03.2021 तक निर्गत किए जा चुके थे और वित्तीय वर्ष

2020–21 के दौरान राज्यों को 74.12 करोड़ रु. जारी किए गए।

4.5 दोनों चरणों में 730 बुह–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय केंद्र, 1291.52 कि.मी. सड़कें, 88.12 कि. मी. लवणीय तटबंध, 612.43 कि.मी. भूमिगत केबलिंग (यूजीसी) और 34 पुलों का निर्माण 31 मार्च, 2021 तक किया जा चुका था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 17 बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय केंद्र, 1.00 कि.मी. सड़क और 198.609 कि.मी. भूमिगत केबलिंग (यूजीसी) निर्माण कार्य 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया गया था।

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	प्रथम और द्वितीय चरण का योग	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल
1	एमपीसीएस (सं.)	730	17
2	सड़क (कि.मी.)	1291.52	1
3	यूजीसी (कि.मी.)	612.43	198.609
4	पुल (सं.)	34	0
5	एसई (कि.मी.)	88.12	0

एनसीआरएमपी चरण-II के अंतर्गत निर्माण की गई परिसंपत्तियों का चित्र

चित्र 1 : एमपीसीएस मक्तूपुर, जूनागढ़ (गुजरात)

चित्र 2 : एमपीसीएस, मरारीकुलम, अलपुझा जिला (केरल)

चित्र 3 : एमपीसीएस, गोरसर, पोरबंदर जिला (गुजरात)

चित्र 4 : कुंबला, कसरगोर जिला (केरल)

चित्र 5 : एमपीसीएस, मनकी–कुमटा (कर्नाटक)

चित्र 6 : एमपीसीएस, टेक्कटी, उदुपी जिला (कर्नाटक)

एनसीआरएमपी चरण-II के अंतर्गत निर्माण की गई परिसंपत्तियों का चित्र

चित्र 7 : एमपीसीएस, कृष्णपुर, नवसारी जिला (गुजरात)

चित्र 8 : एमपीसीएस, दिलवारा, गिरसोमनाथ जिला (गुजरात)

चित्र 9 : एमपीसीएस, सागर जिला (पश्चिम बंगाल)

चित्र 10 : एमपीसीएस, बसंती जिला (पश्चिम बंगाल)

चित्र 11 : एमपीसीएस, विसनवेल जूनागढ़ जिला (गुजरात)

चित्र 12 : एमपीसीएस, देबोलीन (गोवा)

एनडीएमए के प्रशमन प्रभाग की पहल

4.6 प्रशमन प्रभाग ने ख्याति प्राप्त संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आदि प्राकृतिक और मानव–निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए क्रॉस कटिंग विषय पर प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) और अध्ययन शुरू किए। एनडीएमए द्वारा शुरू किए गए विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

भूकंप :

60 शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई-II)

4.7 प्रथम चरण के तारतम्य में, पूर्व के 50 शहरों को बढ़ाकर इस परियोजना को और 60 शहरों में विस्तारित किया गया। चरण–II के इस काम को 116.2 लाख की लागत पर 24 महीनों के लिए मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर को दिया गया है। इन 60 शहरों का चयन जनसंख्या, घनत्व और आवास खतरा के कारक के आधार पर किया जाएगा। अध्ययन से प्राप्त जोखिम मुख्य रूप से खतरा, अतिसंवेदनशीलता और शहर के विस्तार का संयोजन है। अध्ययन में शहरों के जेखिम को शामिल किया जाएगा और विभिन्न शहरों के बीच जोखिम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करेगा।

द्रुत दृश्य संवीक्षा पर प्रीमियर (आरवीएस)

4.8 एनडीएमए ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएच) के माध्यम से भारतीय भवनों के प्रारूप वर्गीकरण हेतु एक समान द्रुत दृश्य संवीक्षा प्रणाली तैयार की है। भूकंप के पूर्व तथा भूकंप के पश्चात 7 विभिन्न भवनों के प्रारूप वर्गीकरण के लेवल । मूल्यांकन फार्म विकसित किए गए थे। फार्म इस प्रकार से विकसित किया गया है कि भवनों को मूल्यांकन के आधार पर लाल, पीला और हरा टैग दिया जाए। इसमें भवनों के प्रकार, भूकंपीय क्षेत्र, मृदा की स्थिति, क्षैतिज और लंबवत अनियमितताएं, भवन की स्पष्ट गुणवत्ता और शॉर्ट कॉलम आदि को शामिल किया गया है, जो भवन के भूकंपीय निष्पादन को प्रभावित करता है। इन सब बातों के अतिरिक्त यह भवन का कब्जा और वर्तमान के गैर–अवसंरचनात्मक गिरने का खतरा आदि की जानकारी भी एकत्रित करता है जो भूकंप के दौरान विनाश का कारण बनता है। दसतावेज को 13 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा खतरा न्यूनीकरण दिवस पर जारी किया गया।

भूकंप रोधी निर्मित वातावरण हेतु सरलीकृत दिशानिर्देशों/मैनुअल को विकसित करना

4.9 समुत्थानशील आवास संबंधी बेहतर समझ के उपायों को लोगों के हित में दिशानिर्देश के रूप में एनडीएमए ने विकसित किया है। इस श्रृंखला में, बीआईएस कोड और एनबीसी–2016 आधारित सरलीकृत दिशानिर्देश विकिसत किया जा रहा है, जिसकी लागत 10 लाख रु. है। इस दिशानिर्देश में भवन निर्माण संबंधी कोड के प्रावधानों को सरल तरीके से समझाया गया है। सीबीआरआई, रुड़की को दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। ड्राफ्ट दिशानिर्देश तैयार कर एनडीएमए को सौंपा गया है। यह दिशानिर्देश निर्माण, खरीद और मकान/फ्लैट के अनुरक्षण की प्रक्रिया में सामान्य जन के लिए लाभदायक होगा।

भूकंप अभियांत्रिकी के लिए संसाधान सामग्री का विकास

4.10 एनडीएमए ने सिविल अभियांत्रिकी और वास्तु संकाय के पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम में भूकंप अभियांत्रिकी/वास्तु संबंधी संसाधन सामग्री विकसित करने की पहल की है। संसाधन सामग्री विकसित करने का मूल उद्देश्य उपलब्धता में सुधार, भूकंप अभियांत्रिकी की आधारभूत संकलप्ना तक पहुंच प्रदान करना है ताकि भूकंपीय सुरक्षा निर्मित पर्यावरण के बारे में

व्यापक ज्ञान प्रसार सुनिश्चित किया जाए। पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए एक कोर समूह गठित की गई है। पांच विषयों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और सामग्री विकास का कार्य प्रगति पर है।

पीएसएचएम

4.11 भारत में भूकंप खतरा मैप को अद्यतन करने के लिए एनडीएमए ने आईआईटी, मद्रास के सहयोग से 12.3 लाख रु. की लागत से पहल शुरू की है। मैप का कार्य अंतिम चरण में है और तत्संबंधी मसौदा बीआईएस और एनडीएमए को प्रस्तुत किया जा चुका है। सीईडी–39 उप–समिति में मैप पर चर्चा और विचार हो रहा है। यह मैप विभिन्न हितधारकों को विश्लेषण और डिजाइन प्रक्रिया में मदद करेगा और यह कार्य विश्वभर में अपनाए गए आधुनिक मानक के अनुरूप होगा।

भूकंप प्रतिरोधी निर्माण वातावरण के लिए कोड निर्माण का सृजन, आवधिक समीक्षा एवं अपडेशन/संशोधन

4.12 बीआईएस की सीईडी–39 समिति के विचार–विमर्श के आधार पर, यह समिति भूकंप अभियांत्रिकी के कोड संबंधी कार्य देखती है, 'संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र', पाइलपलाइन कोड ऑफ प्रैक्टिस के भूकंपीय डिजाइन और नई अवसंरचनाओं की डिटेलिंग–स्टील बिल्डिंग के आर एण्ड डी परियोजना के लिए एनडीएमए ने निधिपोषण का निर्णय लिया। तत्संबंधी कोड की संचयी राशि 22.98 लाख रु. है, जिसे लगभग 12 महीनों में पूरा करना है। इस राशि में से 21.26 लाख रु. संस्थान को निर्गत किए गए थे। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) एनडीएमए, बीआईएस और संबंधित आईआईटी के बीच हुआ। संगत कोड के विकास हेतु अनुसंधान और विकास कार्य शुरू हो चुका है। पहला मसौदा क्रमशः आईआईटी रुड़की, आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी मद्रास द्वारा समर्पित किया जा चुका है।

ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण अभ्यास का संकलन : पारंपरिक निर्माण अभ्यासों का संवर्धन

4.13 एनडीएमए ने पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण संबंधी संकलन की तैयारी आईआईटी, रोपड़ द्वारा करवा रहे हैं जिसकी लागत 25 लाख है जिसकी और कार्य पूरा करने की अवधि 24 महीने है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय में भवनों के प्रकारों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना, भूकंपीय अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन है और इस तरह के भवनों के लिए सुरक्षा उपायों पर सुझाव देना है। आईआईटी, रोपड़ द्वारा कार्य की शुरूआत हो चुकी है तथा इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए अनुवर्ती क्षेत्रों का दौरा भी किया जा रहा है।

अभियांत्रिकी/वास्तु महाविद्यालयों में भूकंप अभियांत्रिकी संकायों की संसाधन मैपिंग

4.14 भूकंप अभियांत्रिकी पेशेवर की पोर्टल पर मैपिंग हेतु एनडीएमए ने एमएनआईटी, जयपुर के द्वारा 23.5 लाख की लागत से पहल शुरू की है जिसकी समयावधि 12 महीने है। परियोजना का लक्ष्य भूकंप विशेषज्ञों तथा अन्य तत्संबंधी संसाधनों का देश भर में डाटाबेस विकसित करने का है तथा भूकंप संसाधन डाटाबेस की मेजबानी के लिए एमआईएस प्लेटफार्म का विकास करना है। इस पोर्टल का भूकंप विशेषज्ञों और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों की जानकारी के लिए एक टूल के रूप में उपयोग किया जाएगा।

मेसनरी जीवनरेखा संरचनाओं और आगामी निर्माणों के भूकंप प्रतिरोधी क्षमता में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना

4.15 एनडीएमए ने जीवनरेखा संरचनाओं को भूकंप प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिपुरा, उत्तराखंड और एनडीएमसी, दिल्ली के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना की शुरूआत की है जिसमें

मेसनरी जीवनरेखा निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाई का निर्माण और इंजीनियरों का क्षमता निर्माण, बार बेंडर और कारपेंटरों का क्षमता निर्माण शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 950 लाख रु. है जिसमें से 273 लाख रु. जारी किया गया था।

परियोजना का प्रमुख उद्देश्य :

- चयनित जीवनरेखा मेसनरी निर्माण की संरचनात्मकता की सुरक्षा ऑडिट
- चयनित जीवनरेखा निर्माण की पुनः संयोजन
- भूकंप प्रतिरोधी तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण (परियोजना राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एक–एक)
- क्षमता निर्माण–इंजीनियर, राजमिस्त्री, बार बेंडर और कारीगरों का प्रशिक्षण

जागरूकता अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूकंपीय परिदृश्य विकास

4.16 परियोजना की कुल लागत 410 लाख रु. है। यह परियोजना भूकंपीय परिदृश्य विकास हेतु आईआईटी रुड़की को दिया गया है।

इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं :

- ✓ बिहार की 1934 की 8.4 तीव्रता का भूकंप का विज्ञान आधारित भूकंपीय परिदृश्य की पुनरावृत्ति को विकसित कर इसके उस क्षेत्र में प्रभाव के प्रति बृहत् पैमाने पर जागरूकता सृजन करना।
- ✓ हितधारकों को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार लाने के लिए भूकंपीय परिदृश्य सूचना का प्रसार करना।
- ✓ बृहद् कृत्रिम अभ्यास में भाग लेने के लिए स्थानीय लोगों को संवेदनशील बनाना और प्रेरित करना।

एनडीएमए की सहायता और मार्गदर्शन में इस परियोजना में बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जीएसआई, राज्य की भू–विज्ञान और खनन निदेशालयों, क्षेत्रीय अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थानों, एनजीओ की भागीदारी पर विचार किया गया है। परिदृश्य विकास और परियोजना समन्वयन गतिविधियों में आईआईटी, रुड़की द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सुविधा मुहैया कराई जाती है।

भूस्खलन :

मेसो लेवल 1:10,000 स्केल उपयोगकर्ता के अनुकूल एलएचजेड मानचित्र और हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी गलियारे (कॉरीडोर) के लिए भूस्खलन की सूची तैयार करना

4.17 एनडीएमए ने दूरसंवेदी अनुप्रयोग केंद्र (आरएसएसी) –उत्तर प्रदेश के सहयोग से 21.05.2018 को "मेसो लेवल 1:10,000 स्केल प्रयोगकर्ता के अनुकूल एलएचजेड मानचित्रों और हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के तपोवन–व्यासी गलियारे (कॉरीडोर) के लिए भूस्खलन इंवेंटरी का सृजन" पर प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी, रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपने इनपुट प्रदान करेंगे। उच्च विभेदन उपग्रह डेटा द्वारा 1:10,000 स्केल के एलएचजेड मानचित्रों और भूस्खलन इनवेंटरी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

4.18 परियोजना की अनुमानित लागत 35.13 लाख रु. है; जिसमें 25.52 लाख रु. आरएसएसी–यूपी और आईआईटी, रुड़की को जारी किया जा चुका है। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:–

(क) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) ने 1:10,000 स्केल आधार डेटा और 27.3 कि.मी. सड़क के 5 मीटर समोच्च अंतराल को 0.5 कि.मी. बफर के साथ तपोवन से व्यासी मार्ग गलियारे तक के लिए डाटाबेस उपलब्ध कराया।

(ख) उच्च विभेदन डेटा द्वारा विषयगत परत, बस्तियों, जल निकासी, सक्रिय स्लाइड आदि का चित्रण कार्य पूरा हो गया है।

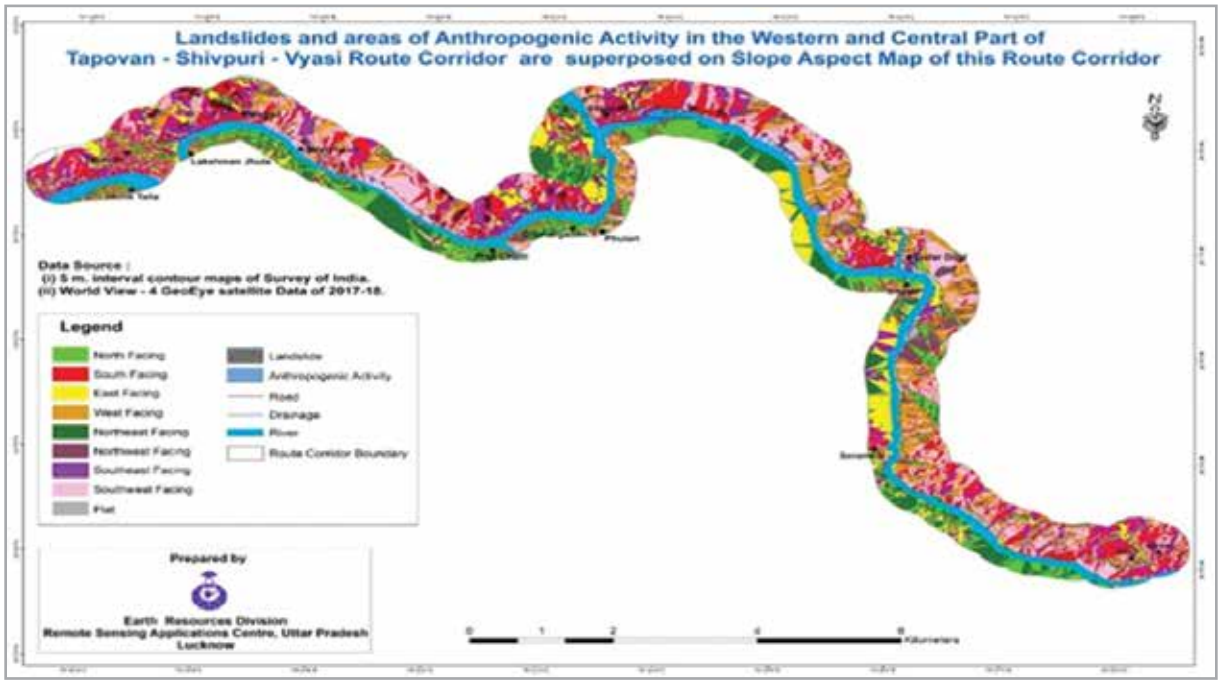

(ग) आरएसएसी–यूपी और जीएसआई (उत्तराखंड राज्य इकाई) की टीम द्वारा दिसंबर, 2018 तथा अक्तूबर, 2019 को स्थल दौरा किया। जीएसआई के साथ आईआईटी, रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं ने फरवरी, 2020 और जून, 2020 में स्थल का दौरा पूरा किया।

(घ) जीआईएस विषयगत परत और मानचित्र की हार्ड कॉपी के समेकन आरएसएससी–यूपी से प्राप्त हुए।

(ङ) भू–तकनीकी जांच के लिए खंड परियोजना की अंतिम रिपोर्ट आईआईटी, रुड़की से प्राप्त हुई है।

कम लागत भू-स्खलन निगरानी समाधाान का विकास और मूल्यांकन

4.19 एनडीएमए द्वारा माइक्रो–इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित सेंसर प्रौद्योगिकी के माध्यम से भू–स्खलन मॉनीटरिंग के लिए कम लागत सेंसर और अन्य यंत्रों के विकास के लिए आईआईटी, मंडी के सहयोग से "कम लागत भू–स्खलन निगरानी समाधान का विकास और मूल्यांकन" पर एक प्रायोगिक परियोजना को दिनांक 04.12.2017 को अनुमोदित किया गया।

4.20 परियोजना की कुल अनुमानित लागत 27.85 लाख रु. है; जिसमें 27.85 लाख रु. आईआईटी मंडी को जारी किए जा चुके हैं। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :–

(क) प्रोटोटाइप कम लागत एमईएमएस आधारित भूस्खलन निगरानी समाधान (एलएमएस) की विकास प्रक्रिया पूर्ण।

(ख) एलएमएस पर लैब स्केल सिमुलेशन का प्रदर्शन पूर्ण।

(ग) उपकरण के सतही विकास के साथ स्थल

का चयन पूरा किया गया और घरपा पहाड़ी स्थल पर उपकरणों का उप–सतह विकास पूरा किया गया।

(घ) मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और कैलिब्रेशन–सत्यापन सेंसर पूरा हो गया है।

(ङ) परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और दिसंबर, 2020 में इसे बंद कर दी गई।

4.21 **भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजन (एलआरएमएस)**

- एनडीएमए ने एसडीएमए/डीडीएमए आपदा जोखिम शासन सुधार के तहत **'भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)'** को जुलाई, 2019 में अनुमोदित किया है जिससे की स्थल विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन के लिए भूस्खलन प्रवण राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाए।
- एलआरएमएस भूस्खलन निगरानी, जागरूकता सृजन क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण आदि के साथ भूस्खलन प्रशमन उपायों के लाभों का प्रदर्शन करने की एक प्रायोगिक योजना है।
- योजना कार्यान्वयन हेतु सिक्किम, मिजोरम, नगालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- योजना की कुल लागत 43.92 करोड़ रु. है; जिसमें 29.60 करोड़ रु. सिक्किम, मिजोरम, नगालैंड और उत्तराखंड को साइट पर भूस्खलन प्रशमन कार्य के निष्पादन हेतु जारी किया गया है।

'भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.22 **'भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी'** विषय पर विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों के सहयोग से जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), उत्तर–पूर्वी हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू) शिलांग, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) मिजोरम आदि द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दो और पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंजूरी दी है क्योंकि राज्य सरकारें भूस्खलन प्रशमन और स्थिरीकरण पर डीपीआर तैयार करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

4.23 अब तक, दो दिवसीय के छः सत्र और पांच दिवसीय के छः सत्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम सीआरआरआई, नई दिल्ली, सीबीआरआई–रुड़की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)–नई दिल्ली, आईआईटी, मंडी (हिमाचल प्रदेश), आईआईएससी, बैंगलोर (कर्नाटक) और एनईएचयू –शिलांग, एनआईटी–मिजोरम, द्वारा आयोजित किए गए थे।

4.24 ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से आईआईटी, रुड़की और एनआईटी, मिजोरम द्वारा पांच आधे दिनों के 2 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

हिमनदीय खतरों और जोखिमों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार करना विशेष रूप से हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के प्रबंधन पर दिशानिर्देश की तैयारी

4.25 स्विस विकास और सहकारिता अभिकरण (एसडीसी) स्विटजरलैंड दूतावास, भारत के साथ मिलकर एनडीएमए के विशेषज्ञ कार्यबल ने भूस्खलन झील विस्फोट बाढ़ प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार किए। इसके साथ ही इससे संबंधित सारांश और संग्रह भी तैयार हुए। इसको 13.10.2020 को जारी किया गया।

4.26 कार्यबल ने दो प्रमुख निष्कर्ष भी तैयार किए हैं, जैसे :–

i) सिक्किम के उत्तर जिला अवस्थित लोनॉक झील और साको–चो झील और हिमनद विस्फोट को कम करने हेतु प्रायोगिक परियोजना

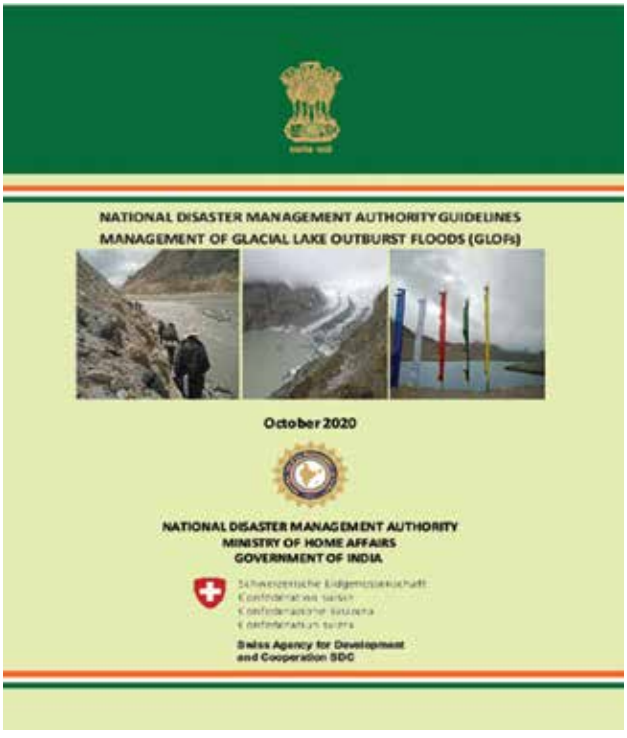

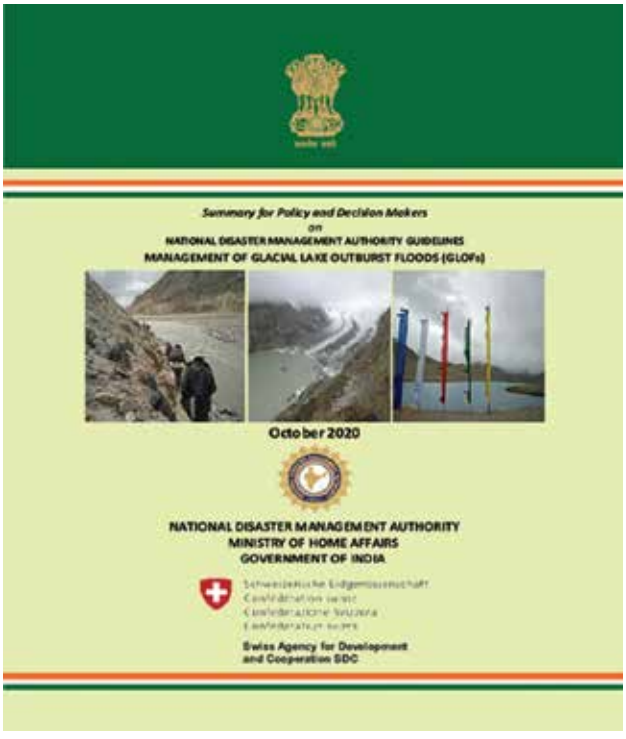

ii) हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (सीएमपी–जीएलओएफ) प्रशमन की व्यापक परियोजना

बाढ़

बाढ़ प्रवण राज्यों का बाढ़ खतरा एटलस तैयार करना

4.27 एनडीएमए ने **भारत के बाढ़ प्रवण राज्यों के बाढ़ खतरा एटलस विकसित** करने का बीड़ा उठाया है। यह कार्य राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद सीडब्ल्यूसी और राज्यों के सहयोग से हो रहा है। बाढ़ की चपेट में आने वाले पांच असुरक्षित/अतिसंवेदनशील वर्गों में जैसे अति निम्न, निम्न, मध्यम, उच्च और अत्युच्च वर्गीकृत कर एटलस तैयार किया गया था। असम और ओडिशा के बाढ़ खतरा एटलस तैयार कर उसका विमोचन कर दिया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश का बाढ़ खतरा एटलस तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उसका विमोचन होगा। उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़ों का संग्रहण और उसे एनआरएससी को साझा किया जा रहा है और आशा है यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जमीनी सत्यापन को एनआरएससी के साथ साझा किया जा चुका है और एटलस को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बाढ़ से कम प्रभावित राज्यों का एग्रीगेट मैप तैयार किया गया है जम्मू और कश्मीर, गुजरात, केरल, तमिलनाडु

और कर्नाटक राज्यों के साथ साझा कर उनके मंतव्य और सुझाव मांगे गए हैं।

रासायनिक

एमएएच/खतरनाक उद्योगों के पार्श्व में बसे समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

4.28 एनडीएमए के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 जून, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई जिसमें संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों जैसे श्रम और रोजगार मंत्रालय, एमओईएफ एण्ड सीसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गृह मंत्रालय (डीएम प्रभाग), डीपी आईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, उद्योगों के निकायों जैसे सीआईआई, फिक्की, एसोचौम, भारतीय केमिकल काउन्सिल, रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादक एसोसिएश्न (सीपीएमए) और यूनीसेफ, यूनीडो, जीआईजेड प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और उद्योगों और सिविल प्रशासन की तकनीकी क्षमता वृद्धि के लिए आगे बढ़कर सुझाव दिए।

4.29 खतरनाक रासायनिक इकाईयों वाले राज्यों और जिलों के साथ आगे भी बैठक आयोजित की गई थी। एनडीएमए ने 100 संवेदनशील जिलों की पहचान की और तत्पश्चात् राज्यों और जिलों से तालमेल कर 24–27 अगस्त, 2020 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें आयोजित की गई थीं। इस बैठक में जिला के जिलाधीश, फैक्ट्री निरीक्षणालय के प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन प्रतिनिधि तथा खतरनाक रासायनिक उद्योगों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में प्रतिभागियों को इसकी जानकारी दी गई कि खतरनाक रासायनिक इकाइयों के इर्द–गिर्द में निवास करने वाले स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने की जरूरत है।

दिशानिर्देश और सलाह

4.30 कोविड–19 लॉकडाउन के फिर से खुलने के बाद रासायनिक उद्योगों में दुर्घटनाएं हुईं। एनडीएमए ने लॉकडाउन के बाद उत्पादन इकाईयों को 9 मई, 2020 से फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। लॉकडाउन के बाद रासायनिक इकाईयों को फिर से खोलने हेतु दिशानिर्देशों में विभिन्न उपायों

एलजी पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड में स्टाइरीन गैस रिसाव, विशाखापत्तनम

को अपनाने की सलाह दी गई ताकि दुर्घटना को टाला जा सके।

4.31 लेबनान की राजधानी बेरूत शहर के बंदरगाह पर 4 अगस्त, 2020 को भारी मात्रा में अमोनियम नाईट्रेट का भंडारण किया गया था जिसमें विस्फोट हो गया, परिणामस्वरूप कम से कम 200 मौतें हुई, 6,500 से अधिक घायल हुए और अनुमानतः 3,00,000 लोग बेघर हो गए। विस्फोटकों की सुरक्षा के लिए एनडीएमए ने 7 अगस्त, 2020 को एक एडवाइजरी जारी की।

बेरूत, लेबनान के बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट

आम जनता के लिए आपदा संबंधी जागरूकता

रासायनिक आपदा

4.32 एनडीएमए ने विभिन्न आपदाओं संबंधी आम जनता में जागरूकता सृजन हेतु डीडी न्यूज पर साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरूआत की है। 9 अगस्त, 2020 को रासायनिक आपदा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। तीन विशेषज्ञों, जिनके नाम हैं श्री संदीप पौंड्रिक, संयुक्त सचिव (प्रशमन) एनडीएमए; श्री काशीनाथ झा, संयुक्त सचिव (पेट्रोकेमिकल), रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय और डॉ. एसपी गर्ग, पूर्व एग्जक्यूटिव डायरेक्टर, गेल और उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन पर फिक्की समिति ने परिचर्चा में भाग लिया एवं रासायनिक आपदा पर प्रकाश डाला। उन लोगों ने रासायनिक दुर्घटना के विभिन्न कारकों पर चर्चा की, जोखिम के प्रशमन हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डाला और स्थानीय लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और रासायनिक इकाईयों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया।

रासायनिक आपदा 2007 के दिशानिर्देश का संशोधन

4.33 रासायनिक आपदाओं पर रासायनिक आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश वर्ष, 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस दिशानिर्देशिका में, आपदा प्रबंधन चक्र, संस्थागत अवसंरचनाओं की निगरानी की विस्तृत क्रियाविधि, रासायनिक दुर्घटना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बीच तारतम्य का अभाव, सभी पक्षों का ब्यौरा है। यह संस्थागत और विनियामक रूपरेखा प्रस्तुत करता है एवं क्षमता निर्माण, खतरनाक रासायनिक संस्थापन एवं उनके

भंडारण हेतु मार्गदर्शन, दुर्घटना की जांच, रिपोर्टिंग एवं चेकलिस्ट विश्लेषण, सभी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं विभागों द्वारा तैयार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इसमें कार्य योजना भी दी गई है।

4.34 विकसित की गई इस दिशानिर्देशिका ने देश में रासायनिक आपदा प्रबंधन में आधिकारिक कार्रवाई हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध कराया है। हालांकि, जो कुछ उभर कर सामने आया है (मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन, विस्फोटक नियम, 2008 और अमोनियम नाईट्रेट नियम, 2012 आदि) वह

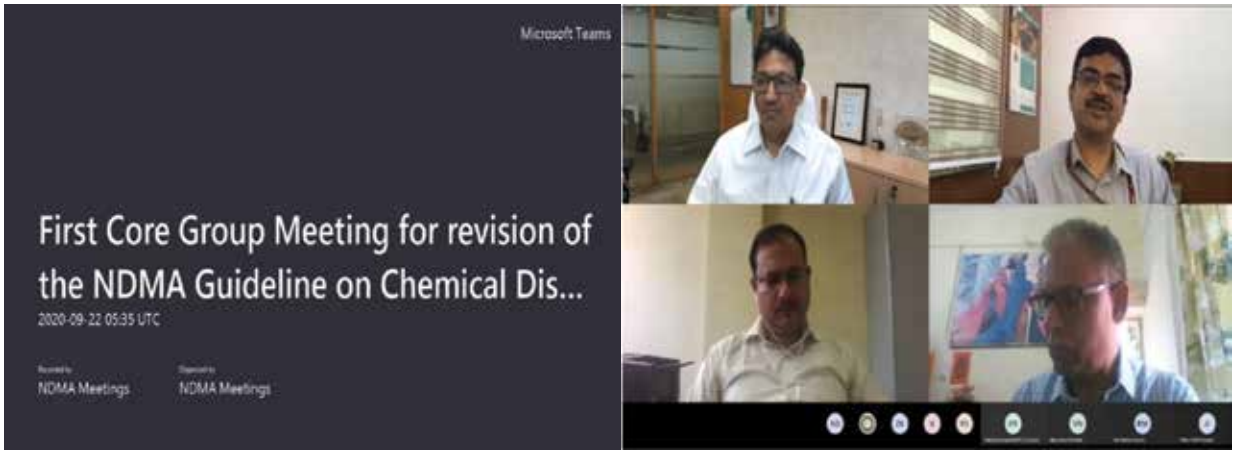

दिशानिर्देश में सुधार की मांग करता है। इसके आलोक में एनडीएमए ने इस दिशानिर्देश में संशोधन का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कोर कमीटी का गठन किया गया है तथा इसकी प्रथम बैठक 22 सितंबर, 2020 को हुई थी।

हवाईअड्डों और बंदरगाहों के लिए सीबीआरएन प्रशिक्षण

4.35 एनडीएमए द्वारा हवाईअड्डों और बंदरगाहों के आपातकालीन संचालकों के लिए सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक ऐसे 25 प्रशिक्षण का आयोजन किया जा चुका है। अतिरिक्त 40 हवाईअड्डों/बंदरगाहों के प्रवेश स्तर के कार्मिकों का सीबीआरएन ईएम, प्रशिक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी का अनुमोदन किया जा चुका है। जनवरी, 2020 में आयोजित सीबीआरएन आपातकाल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पर एक दिवसीय संकाय बैठक के दौरान बैठक में एवं अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया सामने आई कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। तद्नुसार प्रशिक्षण निम्नलिखित पैटर्न में प्रस्तावित किया गया था।

a. वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 1 दिवसीय सीबीआरएन आपाताकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम – 6 बैच
b. 5 दिवसीय टीओटी – 9 बैच
c. बेसिक प्रशिक्षण – 25 बैच

4.36 सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर 5 बेसिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने भी, प्रस्तुति, आपातकाल प्रबंधन में उपकरणों का प्रदर्शन और तत्पश्चात् कृत्रिम अभ्यास का आयोजन किया।

क्रम सं.	मद/परियोजना/योजना का नाम	परियोजना की कुल लागत (लाख में)	11.11.2020 तक व्यय (लाख में)	01.02.2021 से 31.03.2021 तक की स्थिति का अनुमान (लाख में)
1	हवाईअड्डों और बंदरगाहों के लिए सीबीआरएन प्रशिक्षण	250	19.41	100

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

क्लाउड आधारित अनुप्रयुक्त सूचना प्रणाली का विकास

4.37 अखिल भारतीय स्तर पर क्लाउड आधारित पोर्टल और प्रचालन डैशबोर्ड का विकास

कोविड-19 प्रचालन डैशबोर्ड विकसित

4.38 वर्ष 2020 में कोविड–19 की घटना के बाद एनडीएमए ने इस महामारी प्रबंधन के लिए एक जीआईएस पोर्टल विकसित किया है। कोविड–19 जीआईएस पोर्टल भारत में इस महामारी के बढ़ते प्रकोप का समग्र चित्र प्रसतुत करता है जिसमें दैनिक स्थिति और मामलों की नियमित आवधिक अपडेट देना, सर्विलांस स्थिति, अवसंरचना की उपलब्धता, देश में त्रिस्तरीय अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर हाटस्पॉट और राहत कैंप की जानकारी शामिल हैं। आम लोगों, एसडीएमए तथा अन्य हितधारकों को कोविड–19 मामलों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए जियो–सक्षम डैशबोर्ड विकसित किया गया। इन तीन स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का समेकन इसको पारस्परिक मंच का स्वरूप प्रदान करता है जहां डेटा और सूचनाएं अपील योग्य फार्मेट में दृष्टिगोचर होता है।

एचआईएस पोर्टल विकसित

4.39 भू–वैज्ञानिक खतरों की रोकथाम और प्रशमन हेतु इसके प्रबंधन, आंकलन और पूर्वानुमान की पद्धति विकसित की गई है। विभिन्न राज्यों से भू–वैज्ञानिक खतरों की रोकथाम संबंधी आंकड़ों का समुच्चय संकलित किया जाता है और खतरा विशिष्ट भू–डाटाबेस जैसे भूकंप, बाढ़, रासायनिक, भूस्खलन, चक्रवात और आंधी–तूफान, दावानल, सुनामी, नाभिकीय और आकाशीय बिजली का खतरा संवेदनशीलता अखिल भारतीय मानचित्र के लिए ऐतिहासिक आंकड़े, बुनियादी और जनोपयोगी सेवाओं के खतरों को भी समेकित किया गया।

चित्र –1 कोविड–19 डैशबोर्ड का प्रतिनिधित्व

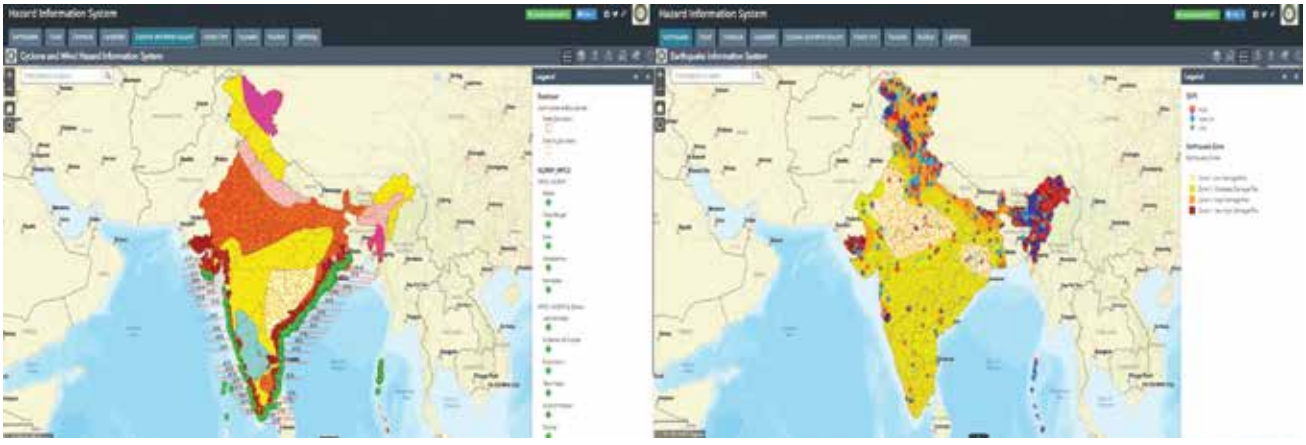

चित्र 2 : ये चित्र, खतरा सूचना प्रणाली के चक्रवात और भूकंप टैब (अखिल भारतीय मानचित्र) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऑक्सीजन प्रचालन डैशबोर्ड विकसित

4.40 भारत के विभिन्न राज्यों के विविध अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की निगरानी के लिए एनडीएमए द्वारा ऑक्सीजन डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अस्पताल के उपयोगकर्ताओं को लॉग इन आइडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है जिससे की ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या की दैनिक उपलब्धता की स्थिति अपडेट कर सकें। सभी अस्पतालों के पते और अवस्थिति डाटाबेस डैशबोर्ड संधारित करता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को किलोलीटर भंडारण क्षमता के रूप में दर्शाया जाता है और तरल ऑक्सीजन टैंक, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर में वर्गीकृत है।

चित्र 3 : ऑक्सीजन डैशबोर्ड का निरूपण

राष्ट्रीय प्रशमन सूचना प्रणाली विकसित (एनएमआईएस)

4.41 उपलब्ध भू–डाटाबेस खतरों की जानकारी से जीआईएस पोर्टलों में विभिन्न जीआईएस परतों का एकीकरण

- भूकंप क्षेत्र / फॉल्ट लाइन / भूकंप अवस्थिति
- भूस्खलन
- बाढ़
- चक्रवात और हवा का खतरा
- दावानल
- सुनामी
- नाभिकीय
- रासायनिक खतरा / एमएएच इकाई
- एनसीआरएमपी आश्रय स्थल
- केंद्रीय भण्डार स्थान
- पेट्रोलियम अन्वेषण सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) अवस्थिति
- आपदा मित्र स्वयंसेवक भू–स्थानिक

उपकरण एवं अवसंरचना

अस्पताल का ठिकाना (पीएचसी एवं प्राइवेट अस्पताल तक)

- डॉयग्नोक्टिस केंद्र
- एफसीआई अवस्थिति
- कृषि मंडी
- डाकघर
- पॉवर स्टेशन
- रासायनिक शोधशालाएं

विस्तृत सूची

- ऐतिहासिक भूस्खलन स्थान
- जीएलओसी लोकेशन
- बाढ़ की घटनाएं
- भूकंप अभिकेंद्र
- एमएएच इकाई
- दावानल स्थान
- एनडीआरएफ अवस्थिति
- चक्रवात आश्रय स्थल
- राज्य / जिला मुख्यालय
- अग्निशमन स्टेशन
- नगर / गांव स्तर की जनसंख्या आंकड़ा
- प्रशासनिक परिसीमा (राज्यों / जिलों / उप–जिला / गांव)
- विरासत भवन और जनोपयोगी सेवाएं

अन्य स्रोत (उदाहरणार्थ, data.gov.in)

- राज्यों / जिला मुख्यालय
- अग्निशमन स्टेशन
- नगर / गांव स्तर की जनसंख्या आंकड़े
- प्रशासनिक परिसीमा (राज्यों / जिलों / उप–जिला / गांव)
- विरासत भवन
- अन्य जनोपयोगी सेवांए

आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना में जीआईएस पर हितधारकों का क्षमता निर्माण

4.42 "जीआईएस का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एप्लीकेशन" विषय पर एनईएसएसी के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन

4.43 एनडीएमए ने आपदा खतरा न्यूनीकरण संबंधी भैगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन के विषय में सभी एसडीएमए और हितधारकों / आपदा प्रबंधकों के बीच जागरूकता सृजन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है। यह दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर पूर्वी स्पेस एप्लीकेशन केंद्र, उमियाम द्वारा आयोजित किया गया। ऑन लाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शामिल होते हैं ताकि जीआईएस प्रौद्योगिकी के प्रति वे जागरूक हों और भू–वैज्ञानिक आपदा या वैश्विक महामारी की घटना घटित होने के समय निर्णय लेने में इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सक्षम हो सकें। 2020–2021 के दौरान कुल 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य

चित्र 4 : एनईएसएसी प्रस्तुतकर्त्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की एक झलक

हितधारकों के करीब 250 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया।

4.44 "जीआईएस का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एप्लीकेशन" संबंधी आईआईआरएस के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन

4.45 एनडीएमए सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबंधकों के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु जीआईएस एप्लीकेशन पर जागरूकता सृजन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करती है। यह प्रशिक्षण पांच दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसे भारतीय दूरसंवेदी संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित किया गया। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शामिल होते हैं जिससे जीआईएस प्रौद्योगिकी के

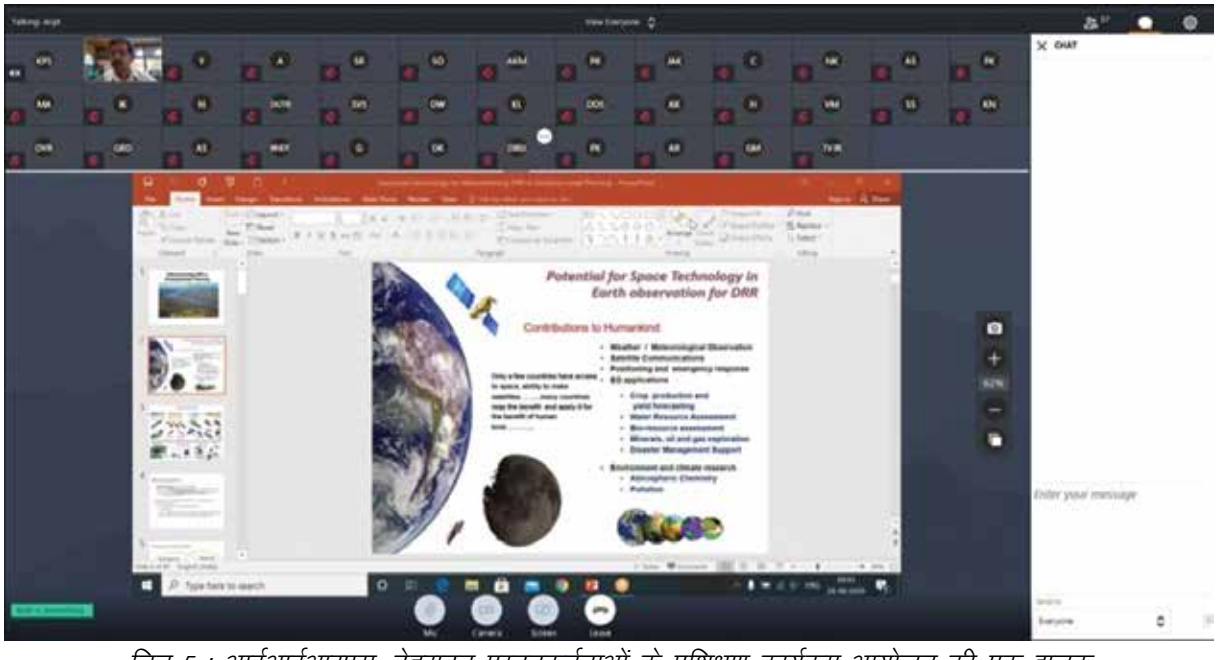

चित्र 5 : आईआईआरएस, देहरादून प्रस्तुतकर्त्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन की एक झलक

प्रति जागरूक हों और भू–वैज्ञानिक आपदा या महामारी की घटना घटित होने के समय निर्णय लेने में वे इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सक्षम हो सकें। वर्ष 2020–2021 के दौरान कुल 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के करीब 350 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया।

नाभिकीय और विकिरणकीय

नाभिकीय आपदा पावर संयंत्र वाले 7 जिलों के जिला आपदा प्रबंधान योजना (डीडीएमपी) की समीक्षा की गई थी।

4.46 एनडीएमए ने नाभिकीय पावर संयंत्र वाले सात जिलों के डीडीएमपी को परमाणु ऊर्जा विभाग को समीक्षा के लिए दिया है। डीएई ने इनकी समीक्षा की तथा इसे डीपीपी तर्ज पर बनाने का सुझाव दिया। डीएई से प्राप्त मंतव्य को संबंधित डीडीएमपी में शामिल किया जाना है।

4.47 डीएई से प्राप्त मंतव्य का एनडीएमए ने भी समीक्षा की है। डीएई द्वारा दिए गए समीक्षा पहलुओं को समस्त जिला योजनाओं के लिए लागू होता है। कुछ अतिरिक्त पहलुओं का निराकरण अपेक्षित है:–

- आयोडीन गोली की उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और लोकेशन, तार्किक रूप से सुरक्षात्मक कार्रवाई के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त समय होगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुरक्षात्मक कार्रवाई करने में अधिक समय लगेगा।
- उपलब्धता के आंकड़े प्रलेखित होंगे।
- सर्विलांस और अनुरक्षण पहलू निर्धारित होगा और दस्तावेज में इसका उल्लेख होगा।
- अधिप्राप्ति जवाबदेही तय होनी चाहिए और इसका उल्लेख हो।
- कुछ न्यूनतम विकिरणकीय मापन यंत्र, सुरक्षात्मक उपकरण, डोजीमीटर एवं अन्य संसाधनों को जिला नियंत्रण कक्ष में रखने की आवश्यकता है। इनको एनपीपी केंद्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे संसाधनों की व्यवस्था करने में समय नष्ट होगा।
- इन विषयों की जवाबदेही का उल्लेख अपेक्षित है।
- निगरानी और अनुरक्षण पहलुओं का उल्लेख अपेक्षित है।
- उपयोग या इन विशिष्ट संसाधनों पर प्रशिक्षण को दस्तावेज में रूपरेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- चिकित्सकीय देखभाल के लिए कुछ अस्पतालों को चिह्नित करने की जरूरत है क्योंकि जीवन रक्षक कार्रवाई सर्वोपरि होती है।

नाभिकीय/विकिरणकीय आपातकाल के लिए एसओपी तैयार करना

4.48 रिएक्टरों के अलावा व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण और रेडियोधर्मी वस्तुओं का अनेकों क्षेत्र जैसे, कृषि, चिकित्सा डायग्नोसिस, थेरेपी, उद्योगों में गैर–विध्वंसक परीक्षण तथा अनुसंधान में प्रयोग बढ़ रहा है। सार्वजिनक क्षेत्र में इन संसाधनों/पदार्थों का संचालन एवं हैंडलिंग सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से करने की जरूरत है, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) के तहत बनाए गए नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। इस तथ्य के आलोक में नाभिकीय/विकिरणकीय संबंधी एसओपी तैयार करने की आावश्यकता थी जिससे कि कोई विकिरण घटना की स्थिति में सभी हितधारकों को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व का आभास होना चाहिए।

पुलिस विभागों के लिए भ्रमणशील विकिरण का पता लगाने वाली प्रणाली (एमआरडीएस) संबंधी प्रशिक्षण

4.49 एनडीएमए ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है जिसके तहत 56 शहरों के पुलिस विभागों को

प्रशिक्षत किया गया है और सार्वजिनक स्थलों पर विकिरणकीय आपातस्थित से निपटने के लिए सक्षम बनाया है। इस परियोजना के तहत शहरों के पुलिस कार्मिकों को टीओटी के अंतर्कत एनडीएमए ने रेडियोधर्मी डिटेक्टर और प्रशिक्षण प्रदान किए।

4.50 परियोजना 5 वर्षों (एएमसी) के लिए एनडीएमए द्वारा वित्तपोषित है। वारंटी अवधि अक्तूबर, 2021 को समाप्त होगी और तत्पश्चात् वार्षिक अनुरक्षण

संविदा (एएमसी) अगले 3 वर्षों के लिए शुरू होगा।

40 बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन हैंडलरों के लिए रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकाल प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण

4.51 सीबीआरएन स्थिति उत्पन्न होने पर तैयारी को बढ़ाने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। मूलतः यह सीबीआरएन की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी रोकथाम और प्रतिक्रिया कार्रवाई पर केंद्रित है। सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूलभूत खतरा, सुरक्षा कार्रवाई, हैंड्स–ऑन, फील्ड अभ्यास को शामिल किया जाता है, जिसका लक्ष्य घटना स्थल पर प्रशिक्षित प्रतिक्रियादाता के पहुंचने तक सीबीआरएन संबंधी घटनाओं की रोकथाम और प्रशमन के लिए पोर्ट को तैयार करना है।

4.52 अब तक सीबीआरएन आपातकाल बेसिक प्रशिक्षण के 28 सत्र पूरे हुए और विभिन्न अभिकरणों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को जो पोर्ट प्रचालन के उत्तरदायी हैं, उन्हें विषय विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। एनडीएमए प्रत्येक माह दो स्थानों पर सीबीआरएन प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है। दूसरे चरण में सात हवाई अड्डों पर सीबीआरएन प्रशिक्षण पूरे हुए।

नाभिकीय पावर संयंत्र (एनपीपी) के लिए अप-स्थल आपातकाल अभ्यास (ओएसईई)

4.53 एनपीपी के लिए ओएसईई प्रशिक्षण आयोजन हेतु एनपीसीआईएल ने तीन राज्यों में नई पद्धति तैयार की है (टेबल–टॉप, समेकित कमांड, नियंत्रण और प्रतिक्रिया (आईसीसीआर) तथा जनता की सहभागिता से पूर्ण अभ्यास)।

4.54 एनडीएमए ने डीएई से अनुरोध किया है कि नई पद्धति आधारित ओएसईई प्रशिक्षण आयोजन हेतु समुचित दस्तावेजे प्रस्तुत करें।

4.55 एईआरबी ने सूचित किया है कि हितधारकों के साथ उचित विचार–विमर्श के पश्चात् विकसित की गई नई पद्धति को टेम्पलेट के पार्ट के तौर पर विनियामक सहमति दी गई थी जो एनपीपी के लिए अप–स्थल आपातकाल योजना के लिए थी। यदि आवश्यक हो, तो अपस्थल आपातकाल में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सभी हितधारकों के संयुक्त सलाहकार बैठक में इसे रखा जा सकता है, ऐसा एईआरबी योजना बना रही है।

नाभिकीय तथा विकिरणकीय आपातकाल के प्रबंधन पर परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड सुरक्षा कोड (राष्ट्रीय नियामक) का पुनरीक्षण

4.56 मंतव्य निम्नलिखित हैं:

1. मसौदा सरल और संक्षिप्त रूप में तैयार किया गया है।
2. मसौदा में सभी पहलू शामिल हैं।
3. आपातकालीन कर्मचारी के लिए एक सीमित मूल्य को ऊपरी सीमा के रूप में वर्णित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न स्थितियों के लिए सुझाए गए मार्गदर्शन मूल्य परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होते हैं (व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिम)।
4. जिला अधिकारियों के लिए घटना के प्रबंधन के बाद आपातकालीन कर्मचारियों के स्वास्थ्य निगरानी आवृत्ति को स्पष्ट रूप से वर्णित करने की आवश्यकता है।
5. जिला स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे समेकित कमांड और नियंत्रण प्रणाली के आधार बनने वाले हैं, और वर्तमान संदर्भ में अब वे प्रतिक्रियादाता की भूमिका में आने वाले हैं।
6. जिला प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में अभ्यासों को व्यापक अर्थ में समझने की आवश्यकता है, जैसे सभी गांवों को लेकर आगामी 10 वर्षों में सभी सुरक्षात्मक कार्रवाई।

मनोसामाजिक

लोगों को परामर्श देना-एक अनूठी 'रिवर्स' कॉल हेल्पलाइन

4.57 कोविड–19 के रोगियों को जो मनोचिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उन्हें परामर्श देने के लिए एनडीएमए ने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिससे कोविड–19 संक्रमित रोगियों को दूरस्थ मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध करवाया। अलग–थलग ओर एकांतवास में होने के चलते कोविड–19 के रोगी असंख्या चिंताओं और परेशानियों से घिर जाते हैं–जैसे उनके स्वस्थ होने की अनिश्चितता, उनकी सहरुग्नताएं, उनके अपनों की स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय सुरक्षा आदि। इस वजह से उनमें एकाकीपन, असहायता और कुंठा का बोध घर कर जाता है।

4.58 एनडीएमए ने परामर्शदाता स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध किया और कोविड–19 रोगियों को टेली–परामर्श देने हेतु उनकी सेवाएं ली गईं। इस प्रकार के हस्तक्षेप का उद्देश्य कोविड–19 संक्रमित रोगियों को मूलभूत मनोसामाजिक सहायता टेली–परामर्श 'सहानुभूतिशील बातचीत' के माध्यम से योग्य और अनुभव परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया जाना है। इस प्रकार की सहानुभूतिशील बातचीत या परामर्श में विशिष्ट पीएफए कारक अवश्य होते हैं जैसे अनिर्णायक होकर सुनना, सामान्य सूचना और आश्वासन देना और स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना एवं अन्य सहायक रणनीतिक जानकारी प्रदान करना।

459 यह परामर्श दूरस्थतः प्राप्त होता है, इसलिए इस परमार्श का कोई निश्चित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या उपचार नहीं होता है। यह पारंपरिक मनोसामाजिक परामर्श के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, जैसे तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु व्यावहारिक सहायता प्रदान करना, सामाजिक सहयोग स्थापन में मदद करना या रेफरल सेवाओं के लिंक मुहैया कराना।

4.60 'रिवर्स' हेल्पलाइन अपने तरह का देश में एक अनोखा हस्तक्षेप है जिसमें कोविड–19 संक्रमित मरीज को हेल्पलाइन पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। अपितु, परामर्शदाता आगे बढ़कर स्वयं रोगी को कॉल कर संपर्क करते हैं और उसकी मनोदशा की जांच करते हैं एवं परामर्श देकर रोगी को राहत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के कॉल आने पर कोविड संक्रमित रोगी राहत

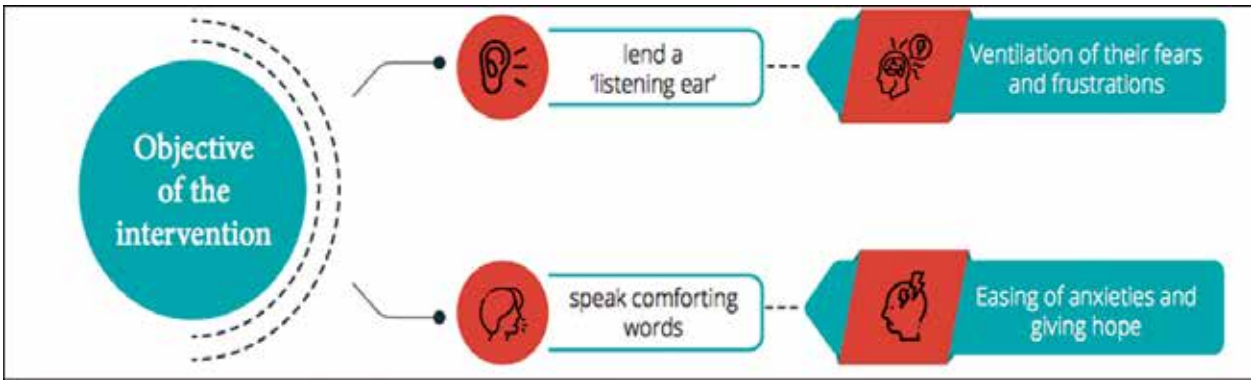

अनुभव करते हैं। इस वार्तालाप में सलाहकार रोगी की समस्याओं को सुनने का भरोसा देते हैं और सब कुछ गोपनीय रखा जाता है। यदि रोगी पुनः संपर्क करने की याचना करता है अथवा परामर्श प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है तो एनडीएमए द्वारा आवश्यक सेवा की व्यवस्था की जाती है।

4.61 इस परामर्शदायी सेवा हेतु स्वयंसेवकों का चयन गहन जांच–पड़ताल के बाद होता है जिसमें उनकी योग्यता और अनुभव का सत्यापन होता है। इन स्वयंसेवकों में मुख्यतः मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। देश भर में विभिन्न स्थानों से दूरस्थ परामर्शी सेवा संचालित होती है।

4.62 परामर्शदाताओं को संचालन कार्यवाही हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

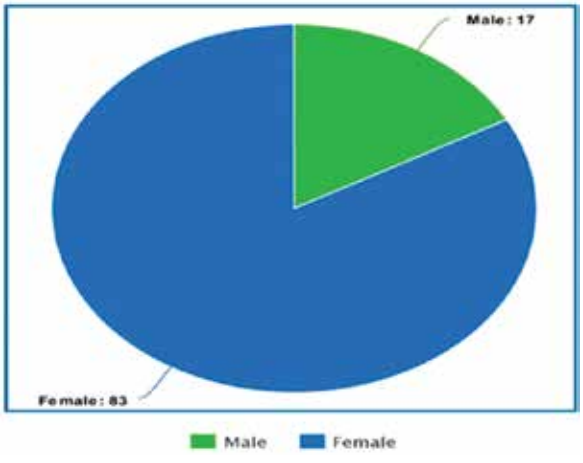

परामर्शदाताओं का लिंग वितरण

एनडीएमए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आचारनीति और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी का स्वयंसेवक सेवाओं के प्रदाता को कड़ाई से अनुपालन करना होता है। सेवा पूर्ण होने पर स्वयंसेवकों को "प्रशंसा प्रमाणपत्र" प्रदान किया जाता है।

4.63 स्वयंसेवी परामर्शदाताओं द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बहुत–सी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं जिससे लाभुकों के बहुत बड़े दायरे में सेवा देने में सक्षम बनाता है।

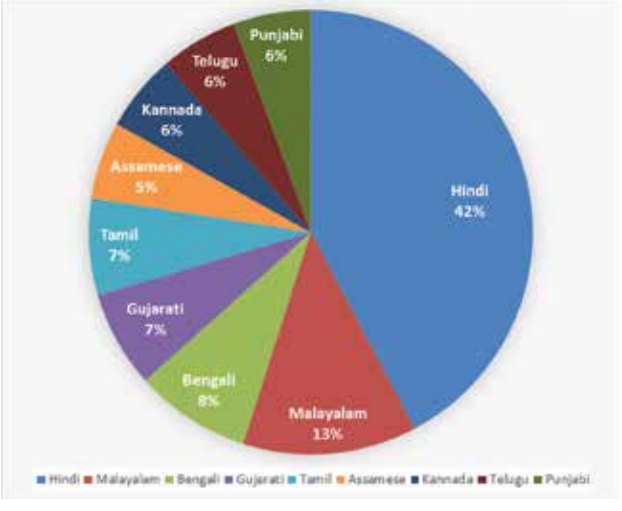

परामर्शदाताओं द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं

परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण

4.64 परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण हेतु एनडीएमए ने 'रहबर' टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के साथ मिलकर काम किया

है। इसमें परामर्शदात्री कार्य और उपक्रम के दस्तावेजीकरण, दोनों कार्य शामिल हैं।

4.65 मनोसामाजिक सहायता हेल्पलाइन के लिए एनडीएमए में पंजीकृत स्वयंसेवी परामर्शदाताओं के लिए 'टिस' ने प्रशिक्षण के चार सत्र आयोजित किए। वीडियो–आधारित प्लेटफार्म द्वारा दो घंटों का साप्ताहिक सत्र आयोजित किए गए थे। परामर्शदाताओं की जरूरतों और उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों तथा कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों के साथ प्रकट होने वाली मनोसामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण योजना और इसकी रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

4.66 'टिस' द्वारा आयोजित पर्यवेक्षण सत्र का उद्देश्य परामर्शदाताओं को प्रेरित करना, उनके पेशेवर दक्षता में वृद्धि, उनमें क्षमता सृजन और प्रतिक्रियात्मक अभ्यास कराना है। पर्यवेक्षण सत्र समूह प्रारूप में आयोजित किए गए जिससे परामर्शदाताओं को प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से सहकर्मियों के साथ मिलकर सीखने, प्रतिक्रयात्मक बातचीत और दक्षता निर्माण पाठ के अवसर प्राप्त हुए। परामर्शदाता की आवश्यकता और दक्षता के अनुरूप पर्यवेक्षण सत्र के मुद्दों को संशोधित किया गया।

भारत के लिए मोबाइल एप-विस्तृत परामर्श

4.67 एक विशेष प्रकार के मोबाइल एप तैयार कर परामर्शदाताओं के मोबाइल फोन में संस्थापित किया गया और इस एप से परामर्श का कार्य किया जाता है। इस एप में यह सुनिश्चित किया गया है कि रोगी को परामर्शदाता का नंबर दिखाई न दे और परामर्शदाता को भी रोगी का नंबर न दिखे। एनडीएमए कोविड–19 पॉजिटिव रोगी के आंकड़े संग्रह कर इसे संस्थापित करता है। जब एप के द्वारा कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति को फोन किया जाता है तो केवल मूल सूचना काउंसिलिंग के लिए प्रकट किया जाता है। इससे रोगी और परामर्शदाता दोनों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय बनी रहती है।

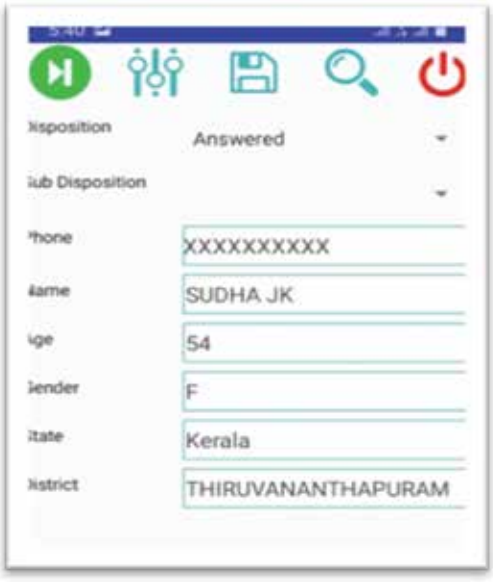

कोविड-19 के मरीज मनोसामाजिक मुद्दों से जूझते हुए

4.68 परामर्शदाता कोविड–19 के मरीज को शोकाकुल होने पर ढ़ाढ़स बढ़ाना, शिक्षा और रोगी को आश्वस्त रहने की भावना जगा कर मनोसामाजिक सहायता प्रदान करते हैं। कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति को परामर्श के दौरान जो मुद्दे सामने आए वे हैं :–

- एकांतवास/संगरोध की निर्धारित अवधि को लेकर भ्रम
- जांच संबंधी चिंताएं
- जांच रिपोर्ट की विवेचना में असमर्थता
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य की चिंता, परिवार का कुलश क्षेम
- संगरोध किए जाने के कारण क्रोध
- भविष्य को लेकर चिंता
- सामाजिक कलंक और परिवार के साथ भेदभाव से चिंतित
- परिवार के बुजुर्ग जिन्हें अधिक खतरा है, उनको लेकर तनाव
- अकेलापन महसूस करना

- परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं करने पर चिंता
- अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी का परिवार वालों से न मिलना
- परिवार से संपर्क न कर पाना
- किसी अभीष्ट व्यक्ति की मृत्यु का दुःख
- वित्तीय नुकसान और ऋण की चिंता

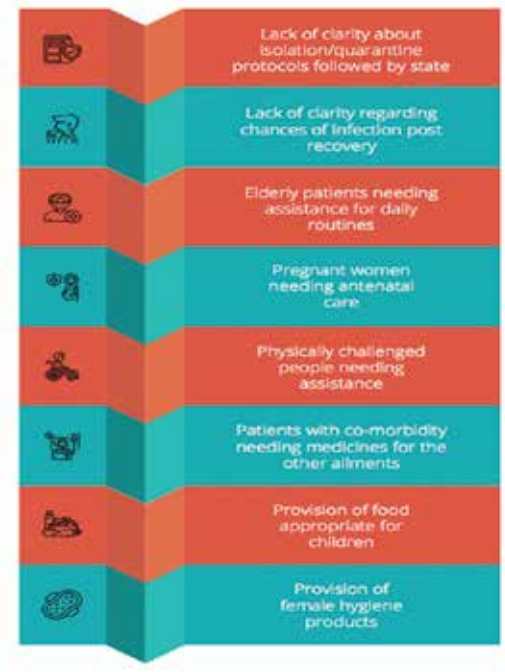

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए हस्तक्षेप

4.69 कोविड–19 संक्रमित लोगों को अनुभव और योग्य परमार्शदाताओं द्वारा मूलभूत मनोसामाजिक सहायता करने के लिए एनडीएमए ने टेली–काउंसलिंग हेल्पलाइन सेवा शुरू की। एनडीएमए ने दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के जो जनता में अग्रिम पंक्ति में तैनाती से कोविड–19 की चपेट में आ गए, को मनोसामाजिक मदद देने के लिए दिल्ली पुलिस को सहयोग किया।

4.70 पुलिस बल से बातचीत में सामान्य मानक संभार–तंत्र और सामाजिक समस्याओं के अलावा कुछ विशिष्ट चिंताएं उभर कर सामने आईं जो उनकी मनोदशा को प्रभावित कर रहा था। उन्हें अपने परिवार को संक्रमित होने का भय था; उन्हें स्वास्थ्य की चिंताएं थी; वे वित्तीय बोझ से तनाव में थे और सामाजिक दाग लगने से विचलित दिखे। उनमें से कुछ ने कहा कि एक बार संक्रमित होने पर उनके आवासीय परिसर के आस–पास के लोग उनके रहने पर आपत्ति करते थे। इससे पुलिस के लोग आहत हुए और पराया अनुभव करने लगे। यह पाया गया कि अपने परिवार की सुरक्षा की उन्हें चिंता थी लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते थे। पुलिस की मर्दाना कार्यशैली की भी भूमिका रही जो उन्हें किसी के सामने यहां तक कि परामर्शदाता से भी संपर्क करने में बाधक रहा।

4.71 परामर्शदाताओं द्वारा पुलिस अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य को सबल करने हेतु सलाह दी गई जिसमें कार्यकम में योग और ध्यान के द्वारा सकारात्मक तरीके से मुकाबला करने को प्रोत्साहित किया। परामर्शदाता से बातचीत और उनके सुझाव भी दबाव में लाभकारी होते हैं

दिल्ली पुलिस द्वारा एनडीएमए स्वयंसेवकों के लिए सम्मान समारोह

इसलिए विभागाध्यक्षों को यथासंभव उनके तनाव को कम करने में मदद करनी चाहिए और उन्हें अपने लिए भी इस स्थिति से निबटने के लिए सकारात्मक रणनीति अपनानी चाहिए।

4.72 दिल्ली पुलिस के कोविड–19 संक्रमित कार्मिक को एनडीएमए द्वारा उपलब्ध कराए गए परामर्श की लगातार सफलता को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने इस कार्य में लगे एनडीएमए के लोगों को सम्मानित किया। अभिनंदन समारोह 18 अगस्त, 2020 को आयोजित किया गया था।

प्रभाव/लाभ/परिणाम

परामर्शदाताओं द्वारा 1.5 लाख से अधिक कोविड-19 रोगियों से बात की गई

4.73 जनवरी, 2020 के अंत में एनडीएमए के परमार्शदाता स्वयंसेवकों ने 1.5 लाख से अधिक कोविड–19 रोगियों तक पहुंच बनाई और 54,000 से अधिक संक्रमित रोगियों को परामर्श दिए गए। एनडीएमए के स्वयंसेवी परामर्शदाताओं ने उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी बातों को सुना गया। परामर्शदाताओं को उन बातों के लिए शिक्षित किया गया जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते थे। उन्हें बताया गया कि कैसे वे अपने मानिसक स्वास्थ्य को सामान्य रख सकते हैं। सहायक मनोचिकित्सा लोगों में कारगर रहा, उन्हें आश्वस्त किया गया कि हालात अच्छे हो जाएंगे। रोगी में चिंताओं के कुछ मामले को ठीक करने के लिए उनहें आरंभिक तकनीक, मनभावन पहल और सांस लेने के व्यायाम द्वारा सहायता की गई। जहां लोग अपनी हालात पर कुंठित थे वहां उन्हें क्रोध प्रबंधन को हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग कर सहायता की गई।

4.74 इसके अतिरिक्त परामर्शदाताओं ने उन्हें समझने में मदद की कि उनके अपने नियंत्रण में क्या है और वे खुद की भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कैसे सक्रिय रहें। उन्हें अपनी भावनाओं को पहचान कर उसका हिसाब रखने, दूसरों से बातचीत करने और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने जैसे उपाय बताए गए। उन्हें बताया गया कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जैसे स्वास्थ्यप्रद भोजन, कुछ व्यायाम और अच्छी नींद लेने पर उनके विचारों और भावनाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

4.75 दूसरों की सहायता और देखभाल प्राप्त होने पर लोगों में चुनौतियों का मुकाबला करने में इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है। सहायता करने वाले परिवारों और मित्रों के साथ समय बिताने से सुकून और स्थायित्व का आभास होता है। दूसरों के साथ चिंताओं, विचारों और भावनाओं के स्तर पर बात करने से तनावपूर्ण स्थिति के बारे में सोचने या

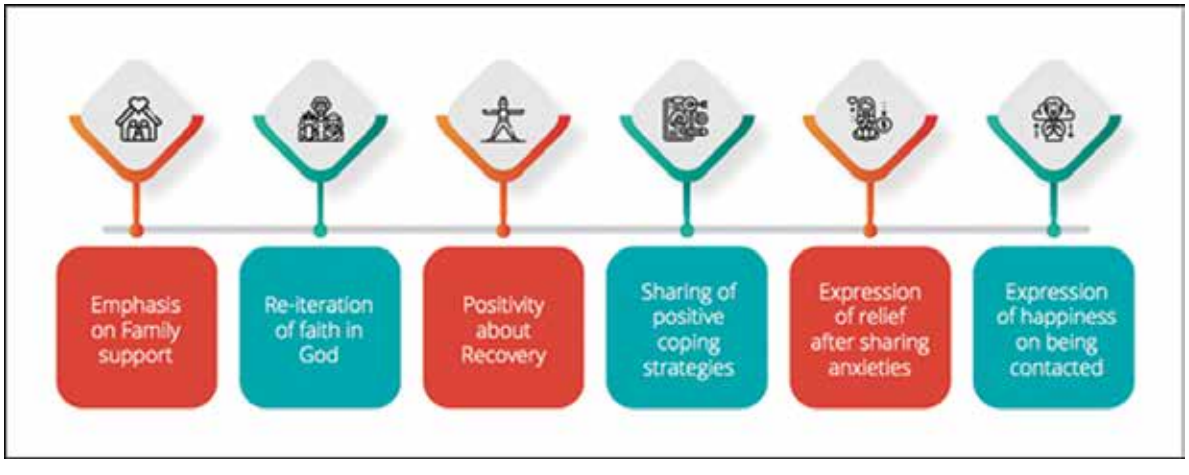

उससे निपटने के प्रभावी तरीकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

4.76 अधिकांश लोगों ने इस पहल की सराहना की और बताया कि उन्हें समझा गया और उनकी देखभाल हुई। एक कठिन परिस्थिति में होने के कारण उनको सहायता मिली और लोगों ने उन्हें स्वीकार किया।

रोगी का क्या कहना था.....

'मेरा अपना परिवार सगे संबंधी और मित्रगण इस समय मुझसे संपर्क नहीं कर रहे हैं और आप.....एक अनजान व्यक्ति.....जिससे मैं कभी नहीं मिला हूं..... .....आप अपना समय मुझे आराम पहुंचाने और राह दिखाने में कर रहें हैं.....मैंने कभी भी इसकी आशा नहीं की थी।'

"आपके संगठन की ये सदाशयता ही है जो अवसाद की इस घड़ी में मेरी सुध लें रहे हैं जबकि हमारे अपने सगे संबंधी उपलब्ध नहीं हैं। आपके लिए मेरे धन्यवाद भी कम है। आपके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद शब्द भी अपर्याप्त है।"

रोगियों की सदाशयता से परामर्शदाता अभीभूत हुए.....

'एक रोगी, जब हमारी बातचीत समाप्त होने को थी, मेरे बारे में और अधिक जानने को उत्सुक दिखे तथा मेरा कुशल क्षेम और उम्र जाननी चाही। जब वह सुना कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, तो मुझे अपना ध्यान रखने को कहा और घर पर रहने की सख्त हिदायत दी जिससे मैं वायरस की चपेट में न आऊं।'

'एक ऐसा मामला मेरे पास आया जिसमें एक वृद्ध सज्जन ने पूछने पर अपनी कुशल क्षेम को दरकिनार कर मुझे सलाह दी कि मैं फ्रंटलाइन वर्कर से बात करुं (पुलिस, डॉक्टर, नर्स आदि) और उनके हौसला को बढ़ाऊं। बड़े ही निःस्वार्थ भाव से उन्होंने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर दूसरों की जरूरतों को तवज्जो दी।'

अनुसंधान और दस्तावेजीकरण

4.77 एनडीएमए और टीआईएसएस ने मिलकर निर्णय लिया कि एक संयुक्त अनुसंधान प्रतिवेदन के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें परामर्शदाताओं द्वारा मनोसामाजिक सहायता हेल्पलाइन के जो परिणाम आए हैं वे उपलब्ध हों। टीआईएसएस द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। इसमें शामिल किए जाने वाले विषय होंगे–

- सर्वदेशीय महामारी के दौरान मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा
- अधिक जोखिम और पीड़ा में क्लाइंट (सेवार्थी) की सहायता
- सामाजिक कलंक प्रशमन
- परामर्शदाताओं के लिए नैतिक आचारण और खुद की देखभाल सुनिश्चित करना।

इस पहल का दूरदर्शन समाचार पर प्रसारण

4.78 कोविड–19 संक्रमित लोगों की सहायता के लिए एनडीएमए द्वारा शुरू की गई लोक मानसिक स्वास्थ्य पर दूरदर्शन समाचार (डीडी) पर 25 अक्तूबर, 2020 को कार्यक्रम प्रसारित किया गया। पैनल के सदस्यों में श्री संदीप पौन्ड्रिक (अपर सचिव, प्रशमन, एनडीएमए), डॉ. चेतना दुग्गल (एसोसिएट प्रोफेसर, टीआईआईएस) तथा श्री जयकुमार सी. (एसोसिएट प्रोफेसर, मानसिक

डीडी न्यूज शो और पैनलिस्ट के स्क्रीनशॉट

स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस राष्ट्रीय संस्थान) शामिल थे। इसमें सर्वदेशीय महामारी के विभिन्न मनोसामाजिक पहलुओं पर चर्चा की गई और महामारी संबंधी तनाव को कम करने हेतु हेल्पलाइन की शुरूआत को आमजन के लिए प्रदर्शित किया गया। आपदा के पश्चात परामर्शीय सहायता हेतु मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

निष्कर्ष

4.79 कोविड–19 रोगियों तक सक्रिय रूप से पहुंचने और उन्हें प्रारंभिक मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने की प्रथा ने न केवल रोगियों को लाभान्वित किया है, बल्कि कोविड–19 के प्रबंधन और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए समग्र प्रणाली को मूल्यावान फीडबैक भी प्रदान किया है। एनडीएमए अब इस पहल को मनोसामाजिक देखभाल में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों और लोक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली व प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की साझेदारी से मिलकर बड़े पैमाने पर करने जा रहा है।

चिकित्सकीय तैयारी और जैविक आपदा

एनडीएमए के दिशानिर्देश के अनुसार अस्पताल सुरक्षा पर मॉडड्यूल तैयार करना

4.80 तीन राज्यों यूपी, बिहार और उत्तराखंड (चिकित्सकीय तैयारी के घटक और अस्पताल सुरक्षा पर मॉड्यूल का विकास) के विकास परिदृश्य एसएफसी संशोधन के बावत प्रशिक्षण मॉड्यूल के 4 सेटों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया।

4.81 अस्पताल सुरक्षा के चार प्रशिक्षण मॉड्यूल निम्नलिखित हैं:–

(i) प्रशिक्षण का स्तर : मूलभूत जागरूकता (क्रेडिट घंटा=8 {एक दिन})

पाठ्यक्रम का नाम : अस्पताल आपदा प्रबंधन (एचडीएम) मूलभूत

लक्षित समूह : सुरक्षा, रखरखाव सेवा, अनुरक्षण स्टाफ, अन्य संवर्ग जो क्लीनिकल कार्य में नहीं लगे हैं।

(ii) प्रशिक्षण का स्तर : मध्य स्तरीय जागरूकता (क्रेडिट घंटा=24 {तीन दिवसीय})

पाठयक्रम का नाम : अस्पताल आपदा प्रबंधन (एचडीएम) इंटरमीडिएट

लक्षित समूह : नर्स, कनिष्ठ चिकित्सक, फार्मासिस्ट, तकनीशियन (रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी लेबोरेट्री और अन्य विशेषज्ञता/ सुपर स्पेशलिटी, अन्य प्रशासनिक सहायक और सुरक्षा एवं अन्य संवर्ग के पर्यवेक्षक स्टाफ।

(iii) प्रशिक्षण का स्तर : उच्च स्तरीय जागरूकता (क्रेडिट घंटा=48 {छः दिवसीय})

पाठ्यक्रम का नाम : अस्पताल आपदा प्रबंधन (एचडीएम) इंटरमीडिएट

लक्षित समूह : वरिष्ठ चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन, विभाग/प्रभाग के प्रमुख, चिकित्सा अधीक्षक।

(iv) प्रशिक्षण का स्तर : एचडीएम असेसर (क्रेडिट घंटा=24 {तीन दिन})

पाठ्यक्रम का नाम : अस्पताल आपदा प्रबंधन (एचडीएम) असेसर

लक्षित समूह : असेसर, प्रत्यायितकर्ता और एचवीआरए अभ्यास से संबद्ध विधिमान्यकर्ता, अग्नि सुरक्षा, अवसरंचनात्मक तथा गैर–अवसंरचनात्मक संरक्षा, एनएबीएच, जेसीआई प्रत्यायन, आईएसओ प्रमाणीकरण, बीआईएस तथा एनबीसी कोड, अस्पताल की सुरक्षा एवं जटिल प्रकार्यात्मक, अस्पताल अभ्यास।

4.82 इस परियोजना के मुख्य साझीदार स्वास्थ्य सेवाएं प्रबंधन केंद्र, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद हैं जिसका बजट 35,75,400.00 रु. है।

4.83 कोविड–19 महामारी प्रतिबंधों के बावजूद एनडीएमए के पर्यवेक्षण में परियोजना का काम प्रगति पर है। आईआईएम (ए) अभी तक जो सुपुर्द किया है, वे हैं :–

(i) अंतिरम रिपोर्ट 3 (जिसमें अद्यतन प्रगति शामिल है)

(ii) विशेषज्ञ समूह (परामर्शदात्री बैठक) के बैठकों की कार्यवृत्त

(iii) प्रस्तावना और आमुख का मसौदा

(iv) पुस्तिका का प्रथम मसौदा

कोविड- 19 विशिष्ट हस्तक्षेप

क्लाउड आधारित अनुप्रयुक्त सूचना प्रणाली परियोजना का विकास

4.84 एनडीएमए के प्रशमन प्रभाग का चिकित्सकीय तैयारी और जैविक आपदा अनुभाग ने क्लाउड आधारित अनुप्रयुक्त सूचना प्रणाली परियोजना संपूर्ण भारत में अनुप्रयोग के लिए इसके विकास में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुभाग की सहायता की :–

(i) संचरण श्रृंखला को तोड़ने के लिए संपर्क अनुरेखण

(ii) जीआईएस प्लेटफार्म पर निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास

(iii) राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली

(iv) कोविड–19 सावधान

(v) कोविड–19 रोगियों के लिए मनो–सामाजिक सहायता हेल्पलाइन

(vi) 30 बड़े शहरों में गतिशीलता की निगरानी

(vii) संगरोध निगरानी के लिए स्थान आधारित सेवाओं का उपयोग

कोविड-19 वैश्विक महामारी पर परामर्श जारी करना

4.85 31 दिसंबर, 2019 को चीनी जनवादी गणराज्य सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन के देश में स्थित कार्यालय को सूचित किया कि वुहान में अज्ञात कारणों से निमोनिया बीमारी का पता लगा है और इसे एक माह बाद 30 जनवरी, 2020 को विश्वभर में कुल 7818 पुष्ट मामलों की सूचना मिली जिसमें केवल 82 मामले अन्य 18 देशों में पाए गए। बीमारी की इस गंभीर स्थिति ने डब्ल्यूएचओ को अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) की स्थिति में नोवल प्रकोप (2019–एनकोव) की घोषणा करने को बाध्य होना पड़ा जिसे 11 फरवरी, 2020 को कोविड–19 के रूप में पुनर्नामित किया गया। इस बीच 30 जनवरी, 2020 को केरल में कोविड–19 का पहला मामला सामने आया जो 03 फरवरी तक बढ़कर तीन मामले दर्ज किए गए–ये सभी मामले छात्रों के थे जो वुहान से लौटे थे।

4.86 परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए 04 फरवरी, 2020 को एनडीएमए ने सभी राज्यों/यूटी को एडवाइजरी जारी करते हुए कोविड–19 संबंधी तैयारी और प्रबंधन के लिए जैविक आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 के अध्याय 7.15 की ओर उनके ध्यान आकर्षित किए। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य हितधारकों का आवश्यकतानुकूल क्षमता निर्माण, अस्पतालों में आइसोलेशन सुविधाओं में वृद्धि करना, सभी मीडिया प्लेटफार्मों, गैर–फार्मास्यूटिकल, हस्तक्षेप सहित, कोविड–19 में 'क्या करें, क्या न करें' का व्यापक प्रचार सभी क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में करना था। एक महीना बाद कोविड–19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनडीएमए ने सभी राज्यों/यूटी को 05 मार्च, 2020 को परामर्श जारी कर खासकर, क्लस्टर कंटेनमेंट संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'कंटेनमेंट प्लान' पर संज्ञान लेने को कहा। कोविड–19 के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु क्षमता निर्माण के उपायों जैसे सभी प्रथम प्रतिक्रियादाताओं का संवेदीकरण प्रशिक्षण, आईसोलेशन पर टेबल–टॉप अभ्यास, संगरोध, संक्रमण नियंत्रण, नेटवर्किंग सहित अस्पतालों की क्षमता वृद्धि, अंतःक्षेत्रीय समन्वय तथा समाज के सभी वर्गों के जोखिम संचार संबंधी उसने फिर आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, मनोसामाजिक देखभाल हेल्पलाइन और व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने, आवश्यक सेवाओं को जारी रखने की बात कही गई।

4.87 कोविड–19 से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में चाइना से आने वालों यात्रियों का सात हवाई अड्डों पर 21 जनवरी, 2020 से थर्मल स्क्रीनिंग जांच शुरू हुआ। महीने के अंत तक थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट को 20 हवाई अड्डों तक विस्तारित किया गया। फरवरी, 2020 के दौरान थाईलैंड, सिंगापुर, हॉगकॉग, जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग टेस्ट होने लगा, उसके बाद महीने के अंत तक इस सूची में नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया को भी शामिल कर लिया गया। 01 जनवरी, 2020 से विशिष्ट देशों से आने वाले सभी यात्रियों की समुचित जांच नहीं होने के मद्देनजर 17 मार्च, 2020 को एडवाइजरी जारी की गई जिसमें सभी राज्यों/यूटी से कहा गया कि इन सभी यात्रियों की चिकित्सकीय जांच हेतु एक तंत्र स्थापित करें।

4.88 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड–19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया क्योंकि कई महाद्वीपों में रुग्नता और मृत्यु दर नियंत्रण से बाहर होकर सरपट दौड़ रही थी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर कोविड–19 की गंभीरता और इस बीमारी के प्रसार दोनों खतरनाक स्तर पर गंभीर स्थिति उत्पनन कर दिया। यह अनुभव किया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर इसके प्रसार की रोकथाम के प्रभावी उपाय किए जाएं और आपदा कि भयावह स्थिति के प्रशमन और समाधान के लिए सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के परामर्श दिए गए। तदनुरूप, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिए।

हवाई अड्डों/बंदरगाहों के आपातकाल हैंडलरों के लिए सीबीआरएन आपातकाल प्रबंधन विषय का मूलभूत प्रशिक्षण

4.89 "हवाई अड्डों/बंदरगाहों के आपातकाल हैंडलरों के लिए सीबीआरएन आपातकाल प्रबंधन विषय पर मूलभूत प्रशिक्षण" की एनडीएमए द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण में आपातकालीन सीबीआरएन चिकित्सकीय प्रबंधन संबंधी निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है :–

क) मूलभूत जैविक आपातकाल

– जैविक एजेंट के प्रकार

- आपातकाल बनाम जैवीय आतंकवाद
- महामारी का प्रकोप और वैश्विक महामारी
- जैविक घटनाओं की रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय
- जैविक युद्ध

ख) जैविक आपातकाल प्रबंधन

- जैविक आपातकाल के प्रकार और उनकी प्रतिक्रिया विधि
- सार्वजिनक स्वास्थ्य आपातकाल पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता
- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनयम
- देश में रोग निगरानी तंत्र

आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन

सीडीआरआई के बारे में

माननीय प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआरई) की शुरूआत की, जैसे राष्ट्रीय सरकारों की बहु–हितधारक साझेदारी, संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों और कार्यक्रमों, बहुआयामी विकास बैंक और वित्तीय तंत्र, निजी क्षेत्र तथा ज्ञान संस्थानें।

सीडीआरआई का लक्ष्य चुनौतियों का निराकरण करना है और अवसंरचना प्रणाली में प्रतिरोधकता निर्माण हेतु इनपुट उपलब्ध कराना है, खासकर, जलवायु परिवर्तन के आलोक में बढ़ते खतरों के संदर्भ में। यह गठबंधन आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लाभ के संबंध में जागरूकता फैलाने की दिशा में कार्यरत है, यह डीआरआई विषयक ज्ञान सृजन और इसके आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। अपने सदस्यों के साथ मिलकर, यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपयुक्त कोड, विशिष्टीकरण और योजना के लिए दिशानिर्देश, डिजाइन, अवसंरचना प्रणाली का प्रचालन एवं अनुरक्षण विशेष कर चपेट में आने वाले क्षेत्रों पर फोकस करना, को बढ़ाने के लिए कार्य करता है तथा आपदा और जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक प्रभाव की घटना से सर्वाधिक प्रभावित होने वालों की आवश्यकताओं का समाधान करना है।

सीडीआरआई के कार्यक्षेत्र के 8 विषय – शासन और नीति, जोखिम की पहचान और आंकलन, गुणवत्ता का मानक और प्रमाणीकरण, क्षमता विकास, नवाचार तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, वित्त और समुदाय आधारित दृष्टिकोण।

सीडीआरआई के सदस्य : इसकी शुरूआत से अब तक इसका विस्तार हुआ है, सीडीआरआई के 24 देश और 7 संगठन इसके सदस्य हैं; इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सीडीआरआई सचिवालय नई दिल्ली, भारत में अवस्थित है।

सीडीआरआई कार्यक्रम

आपदा समुत्थानशील अवंसरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) सदस्य देशों को सूचना और प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है जिससे आपदा प्रतिरोधी अवंसरचना निर्माण और सुदृढ़ीकरण के मार्ग प्रशस्त हों।

विद्युत क्षेत्र समुत्थानशील कार्यक्रम-विद्युत क्षेत्र समुत्थानशीलता पर अध्ययन

ओडिशा में फानी चक्रवात (2019) के कारण विनाश और अवरोध के परिप्रेक्ष्य में सीडीआरआई एक अध्ययन कर रही है जो ओडिशा राज्य में विद्युत क्षेत्र के समुत्थानशीलता बढ़ाने पर है जो ओडिशा की तरह भौगोलिक स्थिति वाले स्थानों के विद्युत अवसंरचना समुत्थानशीलता को इस अध्ययन से जागरूकता बढ़ेगी, खतरा प्रबंधन संबंधी उनकी समझ बढ़ेगी तथा इन खतरों के प्रशमन हेतु अनुकूल कार्रवाई करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी और भविष्य की आपदा के प्रभावों से निपट सकेंगे।

यातायात क्षेत्र समुत्थानशीलता कार्यक्रम- हवाई अड्डों की आपदा समुत्थानशीलता पर वैश्विक अध्ययन

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खतरों से हवाई अड्डों की प्रचालन और सेवाएं बाधित होती हैं जिससे प्रत्यक्ष हानि होती है, साथ ही इसके आर्थिक प्रभाव भी जुड़ हुए हैं जिससे असंख्य लोगों की आजीविका एवं उनके जीवन प्रभावित होते हैं। इसी संदर्भ में, पूरे विश्व में हवाई अड्डों की आपदा समुत्थानशीलता को गंभीर रूप से समझने के लिए सीडीआरआई अध्ययन आयोजित कर रही है। अध्ययन के प्रथम चरण की शुरूआत हो चुकी है। यह हवाई अड्डों के प्रबंधकों के आपदा खतरा और समुत्थानशीलता संबंधी धारणाओं का मानचित्रण करेगा और हवाई अड्डों की अवसंरचना की समुत्थानशीलता में निवेशकों की वित्तीय दृष्टिकोण का पता लगाएगा।

'आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना' पर प्रमुख रिपोर्ट

'आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना' पर सीडीआरआई का द्विवार्षिक रिपोर्ट जलवायु की अवस्था और आपदा समुत्थानशील अवसंरचना पर आधारित है जो प्रकृति–आधारित समाधान पर विशेष बल देता है। रिपोर्ट में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल दिया गया है, वे हैं : विद्युत एवं ऊर्जा, दूरसंचार, यातायात आदि। रिपोर्ट के पांच विषयगत स्तंभ हैं : (क) अवसंरचना प्रणाली की वैश्विक खतरा और समुत्थानशीलता मूल्यांकन (ख) आपदा और जलवायु अवसंरचना समुत्थानशीलता सूचकांक (ग) प्रकृति आधारित समाधान पर विषयगत अनुभाग (घ) वैश्विक लक्ष्य के प्रगति की समीक्षा और समुत्थाानशील अवसंरचना का टारगेट तथा (ङ) समुत्थानशील अवसंरचना का वित्तपोषण

आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना का वित्तपोषण

वृहद् आपदा खतरा वित्तपोषण (डीएफआर) रणनीतियों को विकसित करने हेतु सीडीआरआई सदस्यों देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है जिससे कि आपदा संबंधी लोक वित्त के झटके से सरकारों को बचाने के लिए वित्तीय समुत्थानशीलता का निर्माण हो। इसके लिए सीडीआरआई एक अध्ययन कराएगी जिसमें नीति समीक्षा और सांख्यिकीय विश्लेषण शामिल होगा। इसके बाद आपदा से उत्पन्न वर्तमान और भविष्य के वित्तीय जोखिम की जांच के लिए राजकोषीय जोखिम मॉडलिंग अभ्यास किया जाता है। आपदा पश्चात् हानि की फंडिंग में राजकोषीय भार को न्यूनतम करने के लिए सम्यक डीआरएफ समाधान की पहचान और कार्यान्वयन में यह अध्ययन योगदान देगा।

अधयेतावृत्ति कार्यक्रम

सीडीआरआई के सदस्य देशों के सर्वोत्तम मेधा को सीडीआरआई वार्षिक अध्येतावृत्ति प्रदान कर उन्हें भविष्य की आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना के क्षेत्र में योजना, अनुसंधान, नवाचार से क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह कार्यक्रम व्यावसायियों, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए है। इस कार्यक्रम को आपदा समुत्थानशील अवसंरचना (डीआरआई) संबंधी वास्तविक–जगत की समस्या को सुलझाने हेतु ध्यान केंद्रित करने का है। सीडीआरआई अध्येतावृत्ति कार्यक्रम 2021 के अनुसरण में 12 देशों से 143 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 21 आवेदकों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई। इनमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं।

समुत्थानशील अवसंरचना के लिए युवा

सीडीआरआई ने "समुत्थानशील अवसंरचना के लिए युवा" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की शुरूआत 15 फरवरी, 2021 को आरंभ की। डॉ. पी.के. मिश्रा,

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आरटी माननीय आलोक शर्मा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत में प्रेसिडेंट सीओपी 26 ने इस प्रतियोगिता का लोकार्पण किया। इन विषयों पर प्रस्तुतियों आमंत्रित की गईं : आपदा समुत्थानशील अवंसरचना के लिए प्रकृति आधारित समाधान; आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के क्षेत्र में नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकीय आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के क्षेत्र में स्वदेशी प्रथाएं। प्रतियोगिता में प्रस्तुतियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाप्त होने पर 34 देशों से कुल 143 आवेदन प्राप्त हुए। तीन दौर के मूल्यांकन के बाद 5 विजेता और 5 उप–विजेताओं की घोषणा की गई थी तथा 10 को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।

सीडीआरआई ज्ञान प्रबंधन

कोविड-19 प्रकरण अध्ययन

कोविड–19 की रोकथाम में कुछ राज्य सरकारों के कामकाज का दस्तावेजीकरण करने के साथ–साथ, सीडीआरआई ने एनडीएमए के साथ मिलकर "कोविड–19 संक्रमित लोगों के लिए मनोसामाजिक सहायता" के संबंध में जागरूकता पैदा की और इसका दस्तावेजीकरण किया। कोविड–19 संक्रमितों के सहायतार्थ एनडीएमए द्वारा यूनिक हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराई गई। एनडीएमए ने स्वयंसेवी परामर्शदाताओं को पंजीकृत किया और प्रभावित रोगियों को दूरभाष पर मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा (पीएफए) के तहत परामर्श देने के काम में लगाया जैसे, अनिर्णायक रूप में सुनना, सामान्य जानकारी और पुनः आश्वासन देना तथा स्वयं सहायता एवं अन्य रणनीतिक सलाह।

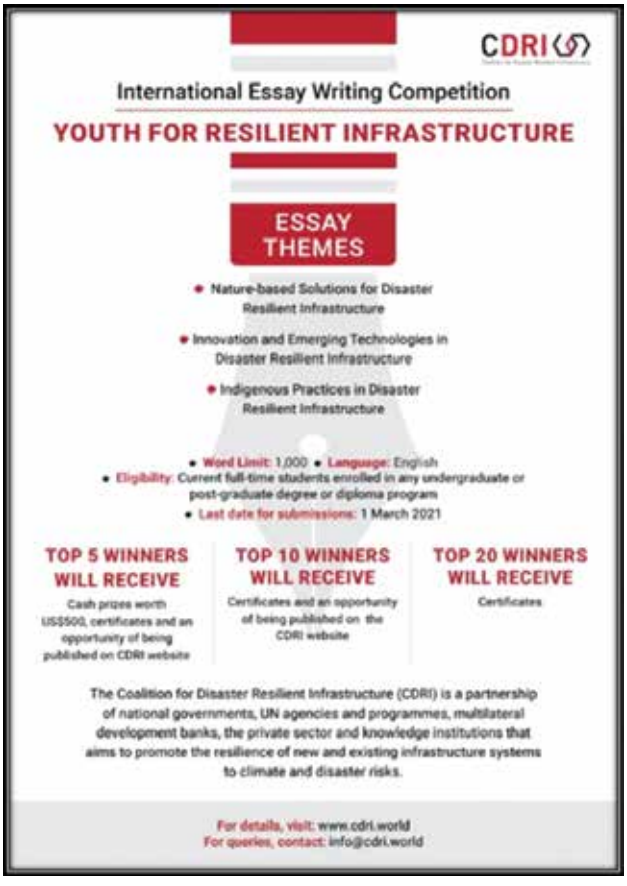

सीडीआरआई डीआरआई कनेक्ट होना

मार्केटप्लेस

आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए आईसीडीआरआई 2021 के दौरान सीडीआरआई ने समुत्थानशील अवसंरचना 'मार्केट प्लेस' को एक आभासी नेटवर्किंग मार्केटप्लेस के रूप में प्रस्तुत

किया जो सीडीआरआई सदस्य देशों की मांग के अनुरूप हो। इसमें तकनीकी सेवाएं और कंपनियों की सहायता विश्वविद्यालयों संगठनों की सहायता सीडीआरआई सदस्यों देशों को उनके मांग के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध होता है। सीडीआरआई का 'मार्केटप्लेस' ऑनलाइन एक समर्पित मंच होगा जहां समाधानकर्ता को अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर होगा जो आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना संबंधी सूचना चाहने वालों और तत्संबंधी निर्णायकों को आधुनिक उत्पादों, सेवाओं और समाधानकर्ताओं की सहायता प्राप्त होगी।

सीडीआरआई का आयोजन

वेबिनार

आपदा समुत्थानशील अवंसरचना (आईसीडीआरआई) 2021 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले सीडीआरआई ने दो पूर्वगामी वेबिनार की मेजबानी नवंबर और दिसंबर 2020 के महीनों में आयोजित की थी। इन वेबिनारों ने उच्च–स्तरीय प्रतिभागियों को साथ लाया जिनकी जिज्ञासा थी:

1. **प्रकृति आधारित उपायों** का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सुदृढ़ कर सामाजिक असुरक्षा को कम करने के अवसर।
2. **स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला** पर ध्यान देने के साथ, कोविड–19 के मद्देनजर 'एक साथ बेहतर तरीके से ठीक होने' के अवसर।

आपदा समुत्थानशील अवसंरचना (आईसीडीआरआई 2021) विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के साझीदार सदस्य देशों, संगठनों और संस्थानों के सहयोग से सीडीआरआई का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई) आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसंरचना पर वैश्विक संवाद को सुदृढ़ करने के लिए होता है। इस वर्ष 17 से 19 मार्च, 2021 के दौरान आईसीडीआरआई का आभासी (वर्चुअल) सम्मेलन आयोजित हुआ था। सम्मेलन ने साझेदार देशों के राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन अभिकरणों, मुख्य अवंसरचना क्षेत्रों, बहुआयामी विकास बैंकों, संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थाओं, निजी क्षेत्रों और नीति निर्धारक विशेषज्ञ समूहों के प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों को एक मंच पर साथ ला दिया।

आईसीडीआरआई 2021 सम्मेलन 4 प्रधानमंत्रियों के संबोधन का साक्षी बना–श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत : आरटी माननीय बोरिस जॉनसन एमपी, माननीय प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडमय मिस्टर मारियों द्राघी ओएमआरआई, माननीय प्रधानमंत्री इटलीय और मि. जोसाया बोरेक बानिमारामा, माननीय प्रधानमंत्री, फीजी।

अन्य महत्वपूर्ण वक्ता जिन्होंने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए, वे थें : श्रीमती निर्मला सीतारमण, भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी, भारत के नागर विमानन मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद, भारत के विधि और न्याय मंत्री, मि. मामी मिजुतोरी, यूएनडीआरआर प्रमुखय मि. अचिम स्टेनर, यूएनडीपी एडमिनिस्टेटर, और डॉ. जॉन मरटन, सीओपी 26 दूत।

आईसीडीआरआई 2021 में कुल 11 सत्र हुए : स्वास्थ्य अवसंरचना समुत्थानशक्ति, वैश्विक जोखिम मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के संदर्भ में समुत्थानशील अवसंरचना स्थापित करना, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी, डिजिटल समुत्थानशील अवसंरचना की खोज करना, शहरी समुत्थानशक्ति, समुत्थानशील अवसंरचना के लिए वित्त, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, शासन और नीति तथा छोटे द्वीप विकासशील देशों (एसआईडीएस)–प्रशांत द्वीप देशों और कैरेबियाई क्षेत्र में अवंसरचना के विकास के लिए लचीला मार्ग अपनाने हेतु संपूर्ण चुनौतियों और महत्वपूर्ण अवसरों का निर्धारण।

सम्मेलन में क्षमता विकास, शासन, ज्ञान साझाकरण और संचार तथा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के विकास के लिए वैश्विक सहयोग, समाधान सहभागिता कायम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि निजी वित्त उद्योग–सार्वजिनक संस्थानों के साथ साझेदारी में समुत्थानशील अवसंरचना में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए निजी पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विशेषज्ञों का सत्र

आईसीडीआरआई के पूर्व, इसके दौरान और बाद में सीडीआरआई ने अपने साझेदारों के साथ शहरी समुत्थानशक्ति विषय पर विशेषज्ञों के चार सत्र आयोजित किए। यह प्रतिभागियों के लिए नीति,

प्रणाली दृष्टकोण और एकीकृत योजना दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखने के लिए एक संवादात्मक मंच था। ये 4 सत्र थे : स्थायी शहरों का निर्माण जो आपदा और जलवायु के अनुकूल होंय शहरी समुत्थानशीलताय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए शहरों को समुत्थानशील 2030 (एमसीआर 2020) उपकरण

बनाने के लिए उपयोग करना, और शहरों में नगरीय जल सहनशीलता में तेजी लाना।

अध्याय 5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीकों पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन से संबंधित समाधान किए जाते हैं।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधताओं और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रेकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुकरणों (सिमुलेशंस), कृत्रिम अभ्यासों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

भारत के 25 राज्यों के चयनित 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में 'आपदा मोचन-कार्य में सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण' हेतु आपदा मित्र योजना

5.3 एनडीएमए ने मई, 2016 में सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना का क्रियान्वयन किया, जिसका मुख्य ध्यान जो भारत के विशेषकर 25 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा मोचन के कार्य में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रति जिला 200 स्वयंसेवक) के प्रशिक्षण पर केंद्रित था। यह योजना 31.03.2021 तक चालू थी।

5.4 इस योजना में शामिल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं : असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

5.5 इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को किसी आपदा के बाद उनके समुदाय के तत्काल आवश्यकताओं को प्रतिक्रिया करने के

लिए आवश्यक कौशलों को प्रदान करना है, ताकि उनको बाढ़, आकस्मिक बाढ़ और शहरी बाढ़ जैसे आपातकालीन स्थितियों में बुनियादी राहत और बचाव कार्यों को करने में सक्षम बना सके।

5.6 5513 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को 2018, 2019 और 2020 में जिला प्रशासनध्राज्य सरकार के मार्गदर्शन के तहत खोज और बचाव गतिविधियों में लगाया गया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान की गई गतिविधियां निम्नानुसार हैः

(क) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के आपदा मित्र स्वयंसेवकों ने 20.08.2020 को गोरखपुर के गोला तहसील में नाव दुर्घटना में 35 लोगों की जानें बचाई।

(ख) मॉनसून, 2020 के दौरान केरल के कोट्टायाम जिले में आपदा मित्र स्वयंसेवकों ने एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान बचाई, निकटतम राहत कैंप में स्थानान्तरण की, दवाई और भोजन उपलब्ध कराया।

(ग) वर्तमान कोविड–19 की महामारी की स्थिति में प्रशिक्षित आपदा मित्रों ने जिलों (18) में, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन को सहायता देने के लिए कार्य किया/कर रहा हैः

- सार्वजनिक स्थलों में लॉकडाउन लगाने और उचित दूरी के लिए सामुदायिक जांच;
- महिला मुखिया वाले घरों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों के लिए, भोजन, राशन, दवाई, जैसे आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी।
- संगरोधक एवं एकांतवास केंद्रों तथा संदिग्ध मामलों के घरों को चलाने और निगरानी करने में लॉजिस्टिक सहायता।
- आईईसी सामग्री के माध्यम से जानकारी एवं जागरूकता सृजन का प्रसार करना, सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाना, लोगों को फेसमास्क उपयोग करने, उचित दूरी बनाए रखने और हैंड हाइजीन अभ्यास करने के लिए घर–घर में जाकर बढ़ावा देना।
- प्रवासी, बेघर लोगों, झुग्गी बस्तियों और दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को भोजन तैयार एवं वितरण करना।
- सार्वजिनक स्थानों पर संवेदनशीलता अभियान।

प्रशिक्षत स्वयंसेवकों द्वारा निभाई जा रही भूमिका उल्लेखनीय है, जिसकी संबंधित राज्यों/जिलों द्वारा सराहना की सूचना है।

भारत के 350 जिलों में आपदा मित्र स्कीम को बढ़ाना

5.7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और जोरदार सिफारिशों के आधार पर और देशभर में स्थानीय क्षमता निर्माण करने के लिए एनडीएमए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा मित्र योजना को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि आपदा प्रतिक्रिया, समन्वय, सहायता के जीवन रक्षक कौशलों को प्रदान करने के लिए देशभर में बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप प्रवण 350 चुनिंदा अतिसंवेदनशील जिलों में 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने और एक पूल बना सके। यह योजना सरकार के अनुमोदन के तुरंत बाद शुरू होने की संभावना है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आईएएस तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण परियोजना

5.8 वित्तीय वर्ष 2017–18 से एनडीएमए द्वारा यह परियोजना क्रियान्वित की जारी है, जिसका उद्देश्य

आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रति वर्ष 950 आईएएस/केंद्रीय सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करना है। परियोजना के तहत 2020–21 के दौरान की गतिविधियां इस प्रकार हैं:

क. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चार वर्षों में 3800 अधिकारियों के कुल लक्ष्य के विरुद्ध 4167 अधिकारियों को प्रशिक्षित (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1099; वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1077य वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1092 और वित्तीय वर्ष 2020–21 में 899) किया गया।

ख. केस अध्ययन किया गया– पहला– केरल बाढ़ 2018: प्रशमन रणनीति के कारणों और जोखिम में जांच, दूसरा– आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रीष्म लहर: ग्रीष्म लहर दिशानिर्देश और कार्य योजना की प्रभावशीलता और तीसरा– आपदा प्रतिरोधी के लिए पाठ– आंध्र प्रदेश में तितली, 2018 पर चक्रताव का मामला।

ग. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विशिष्ट पठन और प्रशिक्षण सामग्रियों को विकसित करना।

घ. भारत में आपदा शासन पर प्राकाशित पुस्तकें– श्रृंखला 7, आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन भाग–VIII और भारत के नागरिक सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण पर टूलकिट।

कोविड-19 पर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/ नागरिक सोसाइटी संगठन (सीबीओ) के साथ बैठकें

5.9 एनडीएमए ने 05.03.2020, 18.03.2020, 29.05.2020, 17.06.2020, 14.08.2020, 06.10.2020 और 06.11.2020 को सदस्य सचिव/सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में एनजीओ/सीबीओ के साथ कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कदमों और नागरिक सोसाइटी संगठनों के लिए संभावित भूमिकाओं पर चर्चा करने के लिए बैठकों की श्रृंखला का समन्वय किया। विभिन्न बैठकों के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख बिंदु थे:

क) सीएसओ/एनजीओ से प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी– समस्याएं, कठिनाईयां और चुनौतियां।

ख) प्रवासी मजदूरों/महिलाओं/बच्चों आदि के लिए मनो सामाजिक सहायता।

ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संकटग्रस्त लोगों के लिए आजीविका संबंधी मामलें।

घ) लिंग संबंधी समस्या–महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष समस्याएं।

ड.) जागरूकता सृजन/संचार विशेषकर फेस मॉस्क उपयोग करने के लिए, उचित दूरी रखने और हैंड हाइजीन रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।

च) प्रशिक्षण मॉडयूल/टूलकिट।

छ) राहत केंद्रों का रख–रखाव।

ज) अन्य कमजोर वर्गों के विशिष्ट आवश्यकताएं।

झ) स्वयंसेवकों की भूमिका।

त) सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना।

थ) एसडीएमए/डीडीएमए और एनजीओ के बीच समन्वय।

द) दिशानिर्देशों/सलाहों/नीतिगत हस्तक्षेप।

ध) कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जन आंदोलन से संबंधित जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाना।

सीबीडीआरआर दिशानिर्देश

5.10 एनडीएमए ने विभिन्न हितधारकों, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (और साथ ही आपदाओं का प्रबंधन करते हैं), और ऐसे सभी प्रयासों को स्थानीय और सामुदायिक स्तर पर जोड़ते हैं, की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को समझने, रूपरेखा और एकीकृत करने के लिए सीबीडीआरआर दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया। इस दस्तावेज का उद्देश्य सरकारी नीतियों, योजानाओं और कार्यक्रमों में सीबीडीआरआर को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नीव की रूपरेखा तैयार करना भी है। दिशानिर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप है और समुदायों को योजना बनाने, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशक्त बनाएंगे। दस्तावेज ने वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से महामारी प्रबंधन और सामुदायिक तैयारी के लिए केस अध्ययन में सामुदायिक सहभागिता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का भी प्रयास किया है। दस्तावेज को नीति आयोग सहित विभिन्न हितधारकों के साथ टिप्पणियों और सुझावों के लिए साझा किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

5.11 कार्य योजना – आंधी–तूफान एवं आकाशीय बिजली गिरने के रोकथाम और प्रबंधन की तैयारीः

- एनडीएमए ने दिनांक 15.06.2020 के पत्र द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंधी–तूफान एवं आकाशीय बिजली गिरने के रोकथाम और प्रबंधन के संदर्भ में अपनी कार्य योजना तैयार करने और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कार्य योजना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध किया।
- एनडीएमए ने 29.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंधी–तूफान एवं आकाशीय बिजली द्वारा सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के साथ एक बैठक आयोजित की और उनकी तैयारी उपायों की समीक्षा की। संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम भाग लिया।
- 03.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंधी–तूफान एवं बिजली द्वारा सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की और आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली के लिए तैयारी उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।
- 07.07.2020 को आईएमडी के साथ एक बैठक आयोजित की और आंधी–तूफान एवं आकाशीय बिजली पर पूर्व चेतावनी और बेहतर पूर्वानुमान के लिए आगे बढ़ने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
- एनडीएमए ने आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली पर एनडीएमए दिशानिर्देशों में परिकल्पित कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक 20.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी और आंधी–तूफान एवं आकाशीय बिजली पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों में पहचानी गई कार्य योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई थी।

5.12 शीत लहर के रोकथाम और प्रबंधन पर शीत लहर से प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकः

- एनडीएमए ने 14.10.2020 को शीत लहर जोखिम न्यूनीकरण पर एक राष्ट्रीय वेबीनार आयोजित किया। वेबीनार के व्यापक उद्देश्य में शीत लहर की तैयारी और प्रशमन उपायों के लिए अनुभवों/सर्वोत्तम अभ्यासों और सीखे गए सबकों को साझा करना शामिल है।
- शीत लहर पर राष्ट्रीय वेबीनार के बाद, एनडीएमए ने वेबीनार में विचार–विमर्श की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या करें और क्या न करें तैयार किया और शीत लहर

प्रवण राज्यों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सुझाव देने वाले क्या करें और क्या न करें को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया।

- 11.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और शीत लहर प्रवण राज्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और शीत लहर मौसम, 2020–21 के लिए तैयारी उपायों की समीक्षा की गई।

- 06.01.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शीत लहर से प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और उनके द्वारा शुरू की गई तैयारी, प्रतिक्रिया और प्रशमन उपायों की समीक्षा की गई।

- 02.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शीत लहर के रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्य योजना की तैयारी पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

5.13 एनडीएमए– आईआरसीएस परियोजना ''विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा (एफएएसटी)''

- एनडीएमए ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) के सहयोग से शिक्षकों और स्कूली बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा मेनुअल और मोबाइल ऐप विकसित की थी। परियोजना ''विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा (एफएएसटी)'' के तहत कक्षा 8वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं और शिक्षकों के लिए तीन मॉडयूलों का एक सेट विकसित किया गया और इसके साथ–साथ एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की। इस पहल का उद्देश्य स्कूल परिसर में व्यावसायिक चिकित्सा सहायता के पहुंचने से पहले आपातकालीन स्थितियों को तत्काल रूप से निपटाना सुनिश्चित करना है। कक्षा 8वीं से 10वीं, कक्षा 11वीं से 12वीं और शिक्षकों के लिए 3 मॉड्यूलों का एक सेट को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई की लिए भेज दिया गया है।

- आईआरसीएस की सहायता से शिक्षकों और स्कूली बच्चों को अखिल भारतीय आधार पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए स्कूलों में परियोजना के क्रियान्वयन के अनुरोध के साथ सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता को एक अ.शा. पत्र दिनांक 06.08.2020 भेजा गया है।

- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.09.2020 के द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया गया है कि फास्ट मॉड्यूल को एनसीईआरटी को अग्रेषित कर दिया गया है ताकि इन्हें निष्ठा के तहत प्राथमिक और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों के लिए अनिवार्य मॉडयूल के रूप में शामिल किया जा सके, अर्थात् समग्र शिक्षा के तहत एक व्यापक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- एनडीएमए ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है।

- 15.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और (एफएएसटी) मॉडयूल के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई थी।

5.14 आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका पर व्यापक अध्ययन शुरू करने के लिए प्रस्तावः

एनडीएमए 'आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका पर व्यापक अध्ययन' कर रहा है। अध्ययन का समग्र उद्देश्य आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों

में ड्रोन को एक नवाचार के रूप में उपयोग करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (सीएएसआर), अन्ना विश्वविद्यालय को आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका पर व्यापक अध्ययन शुरू करने का कार्य सौंपा गया है और 1 मार्च, 2021 को परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे।

5.15 XVवीं वित्त आयोग की रिपोर्ट– आपदा प्रबंधन की सिफारिशें

- XVवीं वित्त आयोग ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के तहत आपदा प्रतिक्रिया सहित आपदा प्रशमन के लिए निधियों का सृजन करने की सिफारिश की है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर (एनडीआरएमएफ/एसडीआरएमएफ) स्तर पर प्रशमन निधि और राष्ट्रीय और राज्य स्तर (एनडीआरएफ/एसडीआरएफ) पर प्रतिक्रिया निधि आबंटन शामिल हैं। प्रतिक्रिया निधि में प्रतिक्रिया एवं राहत निधिय पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण निधि और क्षमता निर्माण निधि के लिए उप आबंटन शामिल हैं। पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण निधि को संचालित करने के लिए, आयोग ने सिफारिश की कि गृह मंत्रालय, एनडीएमए के परामर्श से एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण सहायता पर दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी करेगा।

- एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण सहायता पर दिशानिर्देशों और इसकी मदों और सहायता के मानदंडों को तैयार करने के लिए, एनडीएमए संवादात्मक, पारस्परिक और पूरक कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक नौ चरणीय प्रक्रिया का पालन करता है। एनडीएमए ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.04.2020 के द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों, जिन्होंने प्रमुख आपदा पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं, को शामिल करते हुए कार्य समूह का गठन किया। कार्य समूह के गठन के बाद एनडीएमए ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्य समूह के सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की। एनडीएमए ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संगठनों के साथ परामर्श किया।

5.16 XVवीं वित्त आयोग की रिपोर्ट– तटीय और नदी कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास

- XVवीं वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के तहत विशेष पहलों के माध्यम से कुछ प्राथमिकताओं जैसे घटनाओं, तटीय और नदी के कटाव, शहरी बाढ़, भूस्खलन और सूखे के लिए आबंटन भी निर्धारित किया है। एनडीआरएफ के तहत तटीय और नदी कटाव के लिए आबंटित संसाधनों का उपयोग करने के लिए, वित्त आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों तटीय और नदी कटाव के कारण लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने के लिए एक नीति विकसित करें।

- एनडीएमए ने 29 जनवरी, 2021 को 'नदी और तटीय कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार करना' विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया।

- एनडीएमए ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.02.2021 के द्वारा तटीय और नदी कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर नीति तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों और अन्य हितधारकों का एक कार्य समूह का गठन किया।

- 'नदी और तटीय कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास' के लिए नीति तैयार करने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक 02.03. 2021 को आयोजित की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

ब्रिक्स संबंधी मामले

5.18 आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य बल (ईटीएफ) की बैठक 31.07.2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों पर आयोजित की गई थी:

क. आपातकालीन स्थितियों में बचाव और पूर्वानुमान के लिए एक मुख्य उपकरण के रूप में आधुनिक तकनीकी के उपयोग के मुद्दे;

ख. आग और बचाव इकाइयों के बारे में संवाद में संचार के संगठन के मुद्दे।

5.19 एनडीएमए ने भारत के ब्रिक्स प्रेसीडेंसी 2021 के दौरान निम्नलिखित बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

क) अप्रैल, 2021 के पहली/दूसरी सप्ताह में ब्रिक्स संयुक्त कार्य बल की तीसरी बैठक

ख) आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स विशेषज्ञ स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जून के दूसरे सप्ताह/जुलाई, 2021 के पहले सप्ताह में आपदा प्रबंधन के लिए ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक।

5.20 यह बैठकें/कार्यशालाएं निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित होंगी:

क. पूर्व चेतावनी प्रणाली/बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली का सुधार

ख. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्वयंसेवी;

ग. सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण; और

घ. आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना।

आईओआरए संबंधित मामले

5.21 15–16 दिसंबर, 2020 को भारत में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सीएसओ) की बैठक के दौरान और सीओएम की बैठक में अनुमोदित आपदा जोखिम प्रबंधन पर पहली हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, एनडीएमए ने पहली आईओआरए ईजीएमडीआरएम की मेजबानी वर्चुअल रूप में 19 जनवरी, 2020 को की।

5.22 बैठक के एजेंडे में आपदा जोखिम प्रबंधन और आईओआरए कार्य समूह (डब्ल्यूजीडीआरएम) की स्थापना, इसके संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देना, डब्ल्यूजीडीआरएम के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना और आईओआरए मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना शामिल है।

5.23 एनडीएमए ने निम्नलिखित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया:

(क) एफआईसीसीआई के साथ साझेदारी में 08–09 अक्तूबर, 2020 को उद्योगों और विकास में भूकंप प्रतिरोधी को बढ़ावा देने पर ई–सम्मेलन।

(ख) विबग्योर एन.ई. फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 16–18 नवंबर, 2020 को उत्तर पूर्वी हरित सम्मेलन–2020।

(ग) दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलूरू के साथ साझेदारी में 19 फरवरी, 2021 और 25–26 फरवरी, 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रसार की रणनीति पर प्रवणता मूल्यांकन और तैयारी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

5.24 जमीनी स्तर पर परियोजना/योजना की निगरानी/समीक्षा

क. 9 से 12 अगस्त, 2020 तक एनडीएमए की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों और

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों की समीक्षा के लिए श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए के नेतृत्व में एक दल ने देहरादून और हरिद्वार का दौरा किया।

ख. 15 से 18 अक्तूबर, 2020 तक एनडीएमए की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य प्रस्तावों की समीक्षा के लिए श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए के नेतृत्व में एक दल ने लखनऊ और गोरखपुर का दौरा किया।

ग. 22 से 25 नवंबर, 2020 तक एनडीएमए की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य प्रस्तावों की समीक्षा के लिए श्री रमेश कुमार जी, संयुक्त सचिव, एनडीएमए के नेतृत्व में एक दल ने विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम का दौरा किया।

अध्याय 6

कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन

'तैयारी करने में असफल होकर, आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं'
'सफल आपदा प्रबंधन अनुभव और विशेषज्ञता पर निर्भर होता है'

प्रस्तावना

6.1. भारत कई प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है– घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) किसी भी खतरे या आपदा की स्थिति की प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त तंत्र के रूप में निर्धारित है। यद्यपि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आईआरएस को अधिसूचित किया है और अन्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, केवल आईआरएस की अधिसूचना और घटना मोचन टीमों (आईआरटीएस) के गठन से कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया की अगुवाई नहीं की जा सकती। यह वह अवसर है जहां एकीकृत कृत्रिम अभ्यास की जरूरत होती है। ये भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्तरों पर जन–शक्ति और उपकरण के साथ जमीनी स्तर पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक कृत्रिम अभ्यास राज्य और जिलों के प्राथमिक खतरे के प्रकोप पर आधारित है और बहु आपदा घटनाओं के लिए गए सुसंगत, जमीनी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जो कि प्राथमिक खतरों के प्रकोप के प्रकट होने की संभावना है।

एकीकृत कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यास के उद्देश्यों में शामिल हैं (i) आईआरएस–आईआरटी निर्माण के साथ प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना जो आपदा जोखिम प्रबंधन का समर्थन और सुधार करती है; (ii) राज्य और जिलों के साथ–साथ प्रत्येक विभाग की आपदा प्रबंधन (डीएम) योजनाओं की समीक्षा; (iii) आईआरएस के अनुसार आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न नियुक्तियों/हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को चिह्नांकित करना; (iv) जिला स्तर पर आपातकालीन सहायता कार्यों के बीच समन्वय बढ़ाना; और (v) संसाधनों, जन–शक्ति, संचार, प्रतिक्रिय क्षमताओं आदि में अंतर, यदि कोई हो, की पहचान करना।

6.3 एकीकृत कृत्रिम अभ्यास एक मजबूत प्रक्रिया का हिस्सा है, जो प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कैलेंडर बनाने के साथ शुरू होती है और निम्नलिखित क्रम में आयोजित की जाती है:–

चरण	कार्यक्रम	प्रतिभागी
चरण– I	• एनडीएमए समन्वयक द्वारा घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) और संबंद्ध पहलुओं में प्रशिक्षण: o भाग–I: आपदा प्रबंधन के महत्व की पुनरावृत्ति: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत् विकास में इसका संबंध, भारत की त्रि–स्तरीय संस्थागत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र, आपदाओं के अनौपचारिक वर्गीकरण (एल 1, एल 2 और एल 3) में इसका जुड़ाव और कैसे ये तंत्र, वर्गीकरण और सहकारी कार्य संबंध विभिन्न स्तरों के प्रतिक्रिया बलों/मोचकों (जिला, राज्य और केंद्र) को एक साथ कार्य करने की अनुमति देते हैं।	• जिला स्तर: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और अन्य हितधारक

	o भाग–II: आईआरएस पर प्रशिक्षण में शामिल है कि किस प्रकार: ➢ आईआरटी का गठन करें। ➢ प्रतिक्रिया के लिए एक घटना कार्रवाई योजना बनाएं। ➢ प्रतिक्रिया, राहत और पुनरुद्धार कार्यों के लिए आरंभिक दल/कार्य बल/समूह की संरचना करें। o भाग–III: आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाएं। इसमें शामिल हैं कि कैसे: ➢ संसाधन मानचित्र तैयार करें। ➢ स्थितिजन्य/क्षेत्र जागरूकता का निर्माण करें। ➢ भू–स्थानिक संसाधनों का लाभ उठाएं। ➢ खतरा विशिष्ट डेटा, हानि मूल्यांकन डेटा और कोर डेटा में तालमेल स्थापित करना। • अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन: आसन्न कृत्रिम अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत तौर–तरीके और तैयारियों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।	• राज्य स्तर: वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में भौतिक उपस्थिति के माध्यम से अधिकारियों और अन्य हितधारक
चरण–II	टेबल–टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) – एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित	
चरण–III	कृत्रिम अभ्यास (एमई) – संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव, (आपदा प्रबंधन) के समग्र मार्गदर्शन के तहत एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित।	कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के चार्टर के अनुसार सभी स्तरों पर भौतिक आयोजन/भागीदारी
चरण–IV	• एनडीएमए समन्वयक द्वारा एनडीएमए को की कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एनडीएमए को अंतिम रिपोर्ट • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जहां आवश्यक हो, अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी 'सीखे गए सबक' और 'सर्वोत्तम अभ्यास' की सूचना	संयुक्त रूप से एनडीएमए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

6.4 आपदा प्रबंधन की पहलों जिन पर चरण–I के प्रशिक्षण के दौरान जोर दिया गया और चरण–II और III में अभ्यास किया गया है, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

(क) प्रत्येक स्तर पर आईआरएस के घटना मोचन टीमों (आईआरटी) की संरचना और आईआरटी नियुक्तियों की भूमिका कैसे तय करें।

(ख) वार्षिक कदमों जिसमें आपदा के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है और एक सुसंगत प्रतिक्रिया दी जाती है, जिसमें घटना कार्य योजना की तैयारी भी शामिल है।

(ग) विभिन्न आईआरएस सुविधाओं की संरचना और काम–काज।

(घ) विभिन्न प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों के लिए स्ट्राईक टीमों/कार्य बलों/समूहों के संरचना की अनुशंसा।

(ड.) आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित संचार संरचना का निर्माण कैसे करें। इसमें शामिल है: किसी आपदा की स्थिति के दौरान पुलिस रेडियो नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाए।

(च) तीन महत्वपूर्ण तत्वों जो किसी आपदा के आने पर त्वरित, विश्वसनीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे:

i. एक आपदा प्रतिरोधी आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी), इसके घटक, उपकरण और प्रोटोकॉल सहित कार्य करना।

ii. किसी आपदा के तत्काल बाद 'स्थिति जागरुकता' का महत्व और इसे प्राप्त करने का साधन।

iii. सामान्य/पूर्व–आपदा अवधि के दौरान 'संसाधन मानचित्र' और किसी आपदा के दौरान मोचकों की स्थिति सहित संसाधन जागरूकता प्राप्त करने के साधन।

(छ) प्राकृतिक खतरे की निगरानी के लिए राष्ट्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली (एनईडब्ल्यूएस), इसमें शामिल एजेंसियों और उनके द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल और प्रत्येक द्वारा दी गई जानकारी और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए इस जानकारी का लाभ कैसे उठाया जाए।

(ज) भुवन, आपातकालीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीईएम) और भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) जैसे पोर्टलों का लाभ कैसे उठाया जाए।

(झ) जीआईएस प्लेटफॉर्म का महत्व और उपयोग।

6.5 इस प्रकार एकीकृत कृत्रिम अभ्यास आईआरएस–आईआरटी निर्माण के बारे में जागरूकता पैदा करने और किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण के लिए एक ईष्टतम, लागत प्रभावी साधन प्रदान करते है। इसके लिए एनडीएमए के प्रचालन प्रभाग बहु–राज्य, राज्य और विशेष मामलों में जिला स्तर पर भी एकीकृत कृत्रिम अभ्यास का संचालन कर रहा है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्पष्ट अनुरोध पर आईआरएस पर स्टेंड अलोन (अकेले चल सकने योग्य) प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। अब तक, एनडीएमए के प्रचालन प्रभाग ने पूरे भारत में 900 से अधिक एकीकृत कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया है।

वित्तीय सहायता

6.6 कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के माध्यम से जारी रखा जाता है, जिनमें एनडीएमए प्रति जिले एक लाख रुपए आबंटित करता है। कृत्रिम अभ्यास के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता की योजना मांग के अनुसार है। तथापि, चल रही महामारी कोविड–19 के कारण, भौतिक कृत्रिम अभ्यास करना न तो वांछनीय था और न ही उचित और वित्त वर्ष, 2020–21 के दौरान एनडीएमए को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कृत्रिम अभ्यास के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में निधि की कोई मांग नहीं की गई।

कोविड-19 महामारी और कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम का पुनरभिविन्यास

6.7 एकीकृत कृत्रिम अभ्यास प्रक्रिया (उपरोक्त पैरा 6.3 संदर्भित) के चरण–III में बड़ी संख्या में अधिकारियों, अन्य हितधारकों और लोगों की भौतिक उपस्थिति और भागीदारी की आवश्यकता होती है। मार्च, 2020 को कोविड–19 के प्रकोप के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि लोगों के भौतिक सभा के आयोजन से बचना होगा। इसलिए अनुशंसित सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने सक्रिय रूप से एक छोटा लेकिन व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), चिकित्सा योजना और प्राथमिक खतरे के प्रकोप के प्रबंधन के लिए इसकी तैयारी की समीक्षा।

(ख) पूर्व चेतावनी एजेंसियों अर्थात् भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, आईएनसीओआईएस (जहां लागू हो) के द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिक खतरे के प्रकोप पर प्रस्तुति।

(ग) एनडीआरएफ द्वारा किसी खतरे के प्रकोप के दुर्भाग्यपूर्ण घटना में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता करने की तैयारी पर एक प्रस्तुति।

(घ) कृत्रिम अभ्यास प्रक्रिया के चरण I और II (अर्थात् आईआरएस पर संक्षिप्त प्रशिक्षण और टेबल–टॉप अभ्यास का संचालन)

(ड.) कोविड–19 के लिए सलाह, विशेष रूप से वैश्विक महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन कैसे करें।

6.8 आयोजन की विधिः ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ उनके संबंधित स्थानों से शामिल होने के साथ आयोजित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2020-21 में टेबल-टॉप अभ्यास

6.9 एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने संपर्क किया गया था और प्राप्त अनुरोधों के आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस प्रकार, लॉकडाउन के खुलने के बाद (01 जलाई, 2020 से) एनडीएमए ने 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 33 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, इसका मुख्य विवरण नीचे दिया गया हैः

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियां
01 जुलाई, 2020	**राज्य :** उत्तर प्रदेश **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य–मुख्यालय और 75 जिलों के लिए राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	बाढ़, उत्तर प्रदेश राज्य को समय–समय पर सामना करने वाले प्राथमिक खतरों में से एक है। इसलिए बाढ़ के मौसम से ठीक पहले एक ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण की अध्यक्षता एनडीएमए की ओर से ले.जन. सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य और ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) एवं राज्य की ओर से सचिव (राजस्व) शामिल हुए, राज्य और जिला स्तर पर घटना मोचन टीमें (आईआरटी), एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ सहित सीएपीएफ, के साथ सभी अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
09 जुलाई, 2020	**राज्य :** हरियाणा **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य–मुख्यालय और 15 जिलों के लिए राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग भूकंपीय क्षेत्र–IV में स्थित है। इसके अलावा, हिमालयी क्षेत्र का बड़ा भूकंप राज्य के कुछ हिस्सों में कुछ नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। तदनुसार, राज्य के 15 जिलों के लिए घटना मोचन प्रणाली पर संक्षिप्त प्रशिक्षण से पहले एक टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण में एसडीएमए, डीडीएमए के अधिकारियों, संबंधित जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ–साथ उनकी घटना मोचन टीमों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
14 जुलाई, 2020	**राज्य :** मेघालय **प्रशिक्षण:** पूर्व चेतावनी प्रणाली और अंतिम छोर तक खतरा सूचना प्रसार **कार्यक्रम :** राज्य स्तर प्रशिक्षण	मेघालय राज्य के अधिकारियों के लिए 'पूर्व चेतावनी प्रणाली और अंतिम छोर तक खतरा सूचना प्रसार' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य निम्नलिखित पहलुओं पर जागरूकता पैदा करना था: • प्राकृतिक खतरों के लिए किस प्रकार राष्ट्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली (एनईडब्ल्यूएस) काम करती है और विभिन्न एजेंसियों, जो एनईडब्ल्यूएस का हिस्सा है, द्वारा दी गई जानकारियों तक कैसे पहुंचें और लाभ उठाएं। • एक आपातकालीन संचालन केंद्र की भूमिका, व्यापक कार्य और डिजाइन संबंधी विचार और एक ईओसी के पास क्या होना चाहिए (कार्मिक आवश्यकता, उपकरण, क्षमताएं)। • अंतिम छोर तक खतरा सूचना प्रसार में संचार और सार्वजनिक समाधान/चेतावनी प्रणाली की भूमिका और इस तरह की संचार प्रणालियों को कैसे व्यवस्थित करें। • स्थिति जागरूकता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, किसी खतरनाक घटना के संबंध में स्थिति जागरूकता कैसे प्राप्त करें। • अच्छे एसओपी और चेतावनी मानदंडों का महत्व।
15 जुलाई, 2020	**राज्य :** जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** श्री अमरनाथ जी यात्रा –2020 के दौरान संभावित आपातकालीन स्थिति और खतरे **कार्यक्रम :** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के लिए ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	श्री अमरनाथ जी यात्रा (एसएजेवाई) एक वार्षिक कार्यक्रम है और एनडीएमए हर वर्ष एसएजेवाई से पहले एक एकीकृत कृत्रिम अभ्यास आयोजित करता रहा है। इसका उद्देश्य एसएजेवाई के दौरान किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का प्रबंधन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और एनडीआरएफ, सीएपीएफ, सशस्त्र बलों अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित और तैयार करना होता है। यह प्रशिक्षण दोनों मार्गों (उत्तरी/बालटल और दक्षिणी/पहलगम) के लिए अलग–अलग किया जाता है। तथापि, चल रही वैश्विक महामारी के कारण जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसएजेवाई–2020 को बालटल मार्ग तक सीमित करने का निर्णय लिया था, इसने हर दिन मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति देने वाले यात्रियों की संख्या पर भी एक सीमा रखी थी। फलस्वरूप, एसएजेवाई के बालटल मार्ग के लिए एक ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया। इस टेबल–टॉप अभ्यास के सीखने के उद्देश्य थे: • सभी हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तदायित्वों को चिह्नांकित करना, विशेष रूप से चल रही वैश्विक महामारी को देखते हुए। • एसएजेवाई–2020 के लिए यूटी और जिला गंदरबल के आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं की पर्याप्तता और प्रभावकार्यता का परीक्षण करना और व्यावहार्य कार्य योजनाएं तैयार करना। • प्रतिक्रियाओं, एसओपी, संसाधनों, जन–शक्ति, उपकरण संचार और अन्य प्रणालियों में, यदि कोई कमी है, तो उसे पहचानना।

		• आने वाले एसएजेवाई–2020 में होने वाली विभिन्न आपातकालीन स्थितियों पर उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में प्रमुख आपदा प्रबंधन अभ्यास करना। • विभिन्न आपातस्थिति सहायता कार्यों के समन्वय को बढ़ाना और प्रयासों में तालमेल बैठाना। • प्रत्येक स्थान और स्तर पर कोविड रोधी उपायों और सावधानियों को स्थापित किया जाना है।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
20 जुलाई, 2020	**राज्य :** जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** घटना मोचन प्रणाली पर राज्य स्तर ऑनलाइन प्रशिक्षण	पूर्व जम्मू और कश्मीर/वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने अभी तक घटना मोचन प्रणाली को अधिसूचित नहीं किया है, जिसे आपदा मोचन तंत्र माना जाता है। इसिलए जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए उस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य निम्न के बारे में जागरूकता पैदा करना था: • आईआरएस के प्रमुख तत्व। • आईआरटी की संरचना कैसे करें। • प्रमुख आईआरटी नियुक्तियों के कर्तव्य। • संबद्ध कार्य बलों की संरचना। • आपदा जोखिम प्रबंधन में यूटी और जिला स्तरों पर एक आपातकालीन संचालन केंद्र, स्थिति जागरूकता और संसाधन मानचित्र की भूमिका।

24 जुलाई, 2020 27 जुलाई 2020	**राज्य :** केरल **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य–मुख्यालय और 9 बाढ़ प्रवण जिलों के लिए राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास **परिदृश्य :** भूस्खलन **कार्यक्रम :** राज्य–मुख्यालय और 5 भूस्खलन प्रवण जिलों के लिए राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	केरल राज्य के 9 जिले बाढ़ प्रवण हैं जबकि पांच जिले भूस्खलन के लिए संवेदनशील हैं। इसलिए राज्य मुख्यालय, संबंधित जिलों के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए बाढ़ और भूस्खलन पर दो अलग–अलग ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। राज्य की ओर से दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता डॉ. शेखर एल कुरियाकोसे, सदस्य सचिव, केएसडीएमए और डॉ. ए जयतिलक, प्रमुख सचिव (राजस्व और आपदा प्रबंधन) ने की।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
29 जुलाई, 2020	**राज्य :** छत्तीसगढ़ **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य–मुख्यालय और बाढ़ प्रवण जिलों के लिए राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्यालय और बाढ़ प्रवण जिलों के लिए आईआरएस पर प्रशिक्षण, उसके बाद बाढ़ परिदृश्य पर एक टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित की गई थी। इस प्रशिक्षण की अध्यक्षता ले.जन. एस.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य एनडीएमए और रायपुर में अपर मुख्य सचिव और सचिव (राजस्व) ने की। अन्य अधिकारियों और हितधारकों के साथ राज्य और बाढ़ प्रवण जिलों के आईआरटी उपस्थित थे।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
11 अगस्त, 2020	**राज्य :** मिजोरम **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	भूकंपीय क्षेत्र V में स्थित मिजोरम में दो नुकसान हैं। इसलिए राज्य और इसके सभी जिलों के लिए एक 8.5 परिमाण के भूकंप के परिदृश्य को दर्शाने वाला एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। टेबल–टॉप अभ्यास से पहले आईआरएस पर प्रशिक्षण दिया गया था। राज्य की ओर से इस प्रशिक्षण की अध्यक्षता मुख्य सचिव, के साथ वित्त आयोग/सदस्य एसईसी, योजना सचिव/सदस्य एसईसी, एसडीएमए के सदस्यों, सचिव डीएम एंड आर, अपर सचिव डीएम एंड आर, डीजीपी ने की, अन्य पुलिस अधिकारियों, आईआरटी नियुक्तियों (राज्य और जिला स्तर) के साथ सभी डीडीएमए और एनडीआरएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, सशस्त्र बलों आदि के प्रतिनिधि ने भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
17 अगस्त, 2020	**राज्य :** जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने अतीत में भीषण बाढ़ देखी है। इसलिए जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए बाढ़ परिदृश्य पर एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। यूटी के आईआरटी और सभी 20 जिलों (जम्मू और कश्मीर प्रभाग से प्रत्येक 10) ने टेबल–टॉप अभ्यास में भाग लिया।

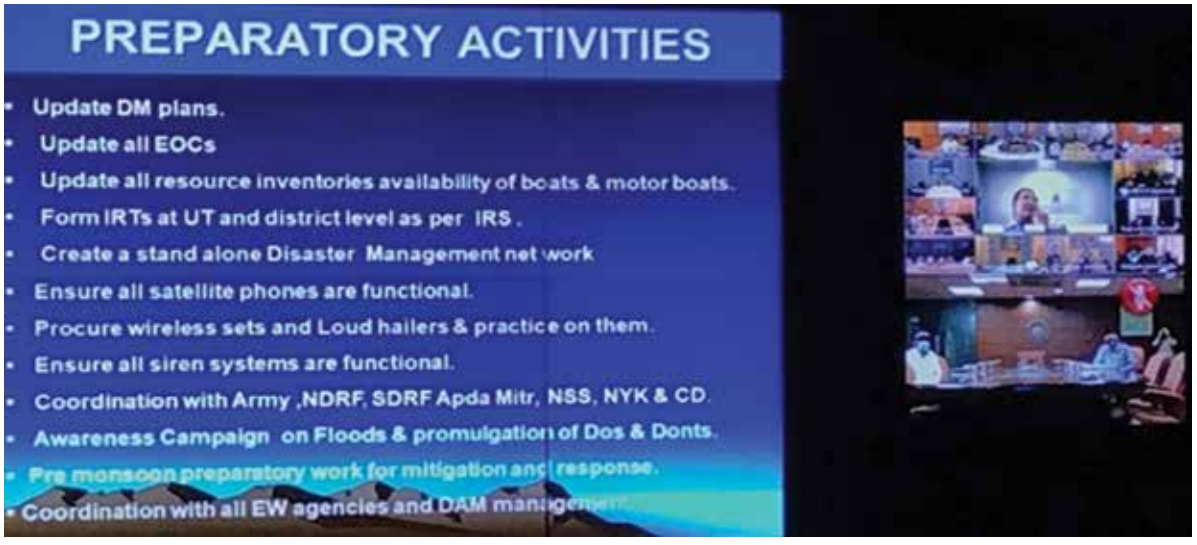
PREPARATORY ACTIVITIES
• Update DM plans.
• Update all EOCs
• Update all resource inventories availability of boats & motor boats.
• Form IRTs at UT and district level as per IRS.
• Create a stand alone Disaster Management net work
• Ensure all satellite phones are functional.
• Procure wireless sets and Loud hailers & practice on them.
• Ensure all siren systems are functional.
• Coordination with Army ,NDRF, SDRF Apda Mitr, NSS, NYK & CD.
• Awareness Campaign on Floods & promulgation of Dos & Donts.
• Pre monsoon preparatory work for mitigation and response.
• Coordination with all EW agencies and DAM management

DC North West Delhi
District Magistrate-West Delhi
District Magistrate-Central
DM SOUTH
Webroom NIC
revenue department
District Magistrate-New Delhi
District Magistrate-South We
MC 3rd Floor Council Hall
NIC
District Magistrate-East Delhi

DC North West Delhi
District Magistrate-West Delhi
Delhi Secretariat
DM SOUTH
Webroom NIC
revenue department
NIC
District Magistrate-Central

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
08 सितंबर, 2020	**राज्य :** गोवा **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रम :** राज्य स्तरीय ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	अपनी अनूठी पारिस्थितिकी के साथ गोवा राज्य में कई बड़ी औद्योगिक इकाईयां हैं, जिनमें से कुछ जहरीले औद्योगिक रासायनों को संसाधित करती है। इसके फलस्वरूप राज्य मुख्यालय, गोवा के दोनों जिलों, प्रमुख दुर्घटना खतरा उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए, औद्योगिक–रासायनिक आपदा संबंधी घटना मोचन प्रणाली पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और एक टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। ले.जन. एस.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त) सदस्य, एनडीएमए द्वारा प्रतिभागियों को औद्योगिक बस्तियों में दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्भाग्यपूर्ण दुघर्टना में भी, घटना को कुशलता से प्रबंधित करने की आवश्कयता पर संबोधन के साथ प्रशिक्षण की शुरूआत की गई थी। श्री संजय कुमार, आईएएस, सचिव (राजस्व), गोवा सरकार, की अध्यक्षता में प्रशिक्षण में दोनों ऑनसाइट और ऑफसाइट प्रस्तुति शामिल थीं। इसके बाद एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक–रासायनिक आपदा को रोकने/प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास पर प्रकाश डालना था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
09 सितंबर, 2020	**राज्य :** त्रिपुरा **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तरीय ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	त्रिपुरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र–V में स्थित है। इसके अलावा, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंप का इतिहास रहा है (1897 से 5.7 परिमाण के और उससे अधिक की तीव्रता के 13 भूकंप)। जबकि, पूर्वोत्तर और उसके आस–पास एनडीआरएफ की तीन बटालियन तैनात हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े भूकंप की घटना में, इन बटालियनों के संसाधनों को, प्रभावित राज्यों में विभाजित करना होगा। इसलिए एनडीआरएफ पर प्रतिस्पर्धी मांगों के साथ और त्रिपुरा के संपर्क मार्ग को देखते हुए, यह आवश्यक है कि त्रिपुरा राज्य आईआरएस–आईआरटी निर्माण का उपयोग करते हुए शुरूआती घंटों में त्वरित आंतरिक (इनहाउस) प्रतिक्रिया करने के लिए पूरी तहत तैयार हो। इसलिए राज्य के लिए एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसमें 1897 के 8.7 परिमाण वाले शिलांग भूकंप का अनुकरण किया था। राज्य की ओर से कार्यक्रम की अध्यक्षता, विशेष सचिव श्री एस चौधरी और एनडीएमए की ओर से ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य ने की थी। इसके अलावा, ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार), एनडीएमए ने सभी प्रतिभागियों को निम्नलिखित पहलों के बारे में जानकारी दी: • तमिलनाडु में सामान्य चेतावनी मानदंड और प्रायोगिक कार्यक्रम चालू। • आईएमडी से नाउ कास्ट सहित नए उत्पाद उपलब्ध। • 112 (एनईआरएस), आपदा हेल्पलाइन 1070 और भविष्य की योजनाएं। • राज्यों को ईओसी के लिए एनडीएमए द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को प्रभावी तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
10 सितंबर, 2020	**राज्य :** मेघालय **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	मेघालय राज्य भूकंपीय क्षेत्र–V में अवस्थित है और इसकी विभिन्न तीव्रता के भूकंपों का इतिहास रहा है, जिसमें 1897 का 8.7 परिमाण के शिलांग भूकंप भी शामिल है। 1897 के भूकंप को प्रेरित करने वाले परिदृश्य के आधार पर एक टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के जिलों में 7 से 19 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। मेघालय की ओर से प्रशिक्षण की अध्यक्षता सुश्री रिपनर लिंगदोह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव (राजस्व एवं डीएम) ने की। एनडीएमए की तरफ से इसका संचालन ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य और ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) के द्वारा किया गया। टेबल–टॉप अभ्यास में सभी संबंधित राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ केंद्रीय बलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
11 सितंबर, 2020	**संगठन** : हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) **परिदृश्य :** • घटना मोचन प्रणाली पर प्रशिक्षण • कृत्रिम अभ्यास कैसे आयोजित करें **कार्यक्रम** : हरियाणा सरकार के मध्यम–स्तर अधिकारियों के लिए अकादमी स्तर ऑनलाइन प्रशिक्षण	एक विशेष अवधि में एकीकृत कृत्रिम अभ्यासों में भाग लेने वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अक्सर बदल जाते हैं, उनके स्थान पर नए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। यद्यपि, इस कमी को एनडीएमए द्वारा सालाना एकीकृत कृत्रिम अभ्यास आयोजित करके पूरा किया जाता है, यह महसूस किया गया था कि राज्य के प्रशासिनक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मध्यम स्तर अधिकारियों को आईआरएस और एकीकृत कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने की कार्यप्रणालियों के संपर्क में आने पर अधिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है। फलस्वरूप, एचआईपीए के अनुरोध पर हरियाणा राज्य के मध्य स्तर अधिकारियों के लिए उस संस्थान में एक पाठ्यक्रम के तहत इस तरह का प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया गया था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
22 सितंबर, 2020	**राज्य :** नगालैंड **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर	नगालैंड राज्य भूकंपीय क्षेत्र–V में अवस्थित है और विशेष रूप से 1950 के भूकंप का केंद्र नगालैंड के मोन जिला में स्थित था। इसिलए नगालैंड के लिए भूकंप एक 'मध्यम संभावित–उच्च प्रभाव' घटना है। इसलिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए एक 8.7 परिमाण के भूकंप का अनुकरण करते हुए एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। प्रतिभागियों में एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और अन्य हितधारकों सहित केंद्रीय बलों के प्रतिनिधि थे। डॉ. पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार (प्रचालन) और ले.जन. एम. ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए, के द्वारा उद्घाटन भाषण के बाद प्रशिक्षण शुरू किया गया था। नगालैंड की ओर से प्रशिक्षण की अध्यक्षता श्री अभिजीत सिन्हा, आईएएस, सीईओ एवं प्रधान सचिव (गृह एवं डीएम) ने की।

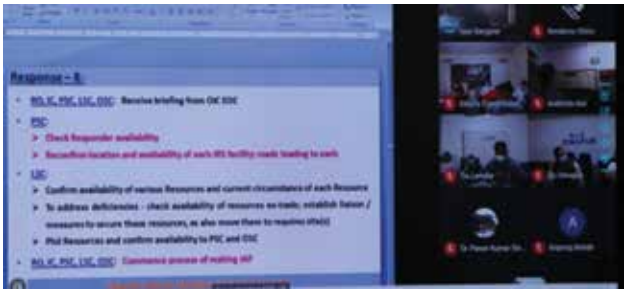

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
25 सितंबर, 2020	**राज्य :** मणिपुर **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	मणिपुर राज्य भूकंपीय क्षेत्र–V में अवस्थित है। मणिपुर राज्य के लिए एनडीएमए ने आईआरएस पर प्रशिक्षण, उसके बाद, एक भूकंप के परिदृश्य पर एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया था। राज्य की आपदा तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से अभ्यास की अध्यक्षता ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और श्री एम.एच. खान, अपर मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार ने की।
25 सितंबर, 2020	**राज्य :** पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन	पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक औद्योगिक–रासायनिक आपदा के अनुकरण से एक ऑनलाइन टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। यूटी मुंख्यालय और यूटी के सभी चार जिलों (कराईकल, माहे, पुडुचेरी और यनम) के लिए ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए प्रशिक्षण की अध्यक्षता की और यूटी प्रशासन और सभी जिलों के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
12 अक्तूबर, 2020 15 अक्तूबर, 2020	**राज्य :** हिमाचल प्रदेश **कार्यक्रम :** • राज्य और जिला स्तर की घटना मोचन टीमों के लिए घटना मोचन प्रणाली पर ऑनलाइन प्रशिक्षण • राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	टेबल–टॉप अभ्यास के एक प्रिकर्सर के रूप में एनडीएमए द्वारा आईआरएस पर प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इसके कुछ दिनों के बाद एक टेबल–टॉप अभ्यास किया गया। हिमाचल प्रदेश की ओर से कार्यक्रम का समन्वय श्री डी.सी. राणा, निदेशक–सह–विशेष सचिव (राजस्व एवं डीएम) द्वारा किया गया था और ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने श्री अनिल खाची, आईएएस, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर शुरू किया था। टेबल–टॉप अभ्यास में राज्य के एमएएच उद्योगों के प्रतिनिधि सहित संबंधित हितधारकों की भागीदारी देखी गई।
10 नवंबर, 2020	**राज्य :** पश्चिम बंगाल **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एनडीएमए द्वारा औद्योगिक–रासायनिक आपदाओं पर आईआरएस पर प्रशिक्षण और एक टेबल–टॉप अभ्यास ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के उद्देश्य थे: • जहरीले औद्योगिक रासायनों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना। • ऐसे रासायनों से होने वाली दुर्घटनाओं को विफल करने की आवश्यकता। • आपातकालीन मोचन योजनाओं और एसओपी की समीक्षा करने में राज्य सरकार की सहायता करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए समन्वय बढ़ाना। • विशेष रूप से औद्योगिक खतरों के संदर्भ में खामी, जन शक्ति, उपकरण, संचार और प्रणालियों में अंतराल, यदि कोई हो, की पहचान करना। राज्य की ओर से श्री दुष्यंत नैराला, आईएएस, प्रमुख सचिव (आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा), पश्चिम बंगाल सरकार ने अभ्यास का नेतृत्व किया, राज्य और संबंधित जिलों के अधिकारियों के अलावा विभिन्न प्रमुख घटना युनिटों के प्रतिनिधियों ने अभ्यास में भाग लिया। अंत में विशेष रूप से ऑनसाइट और ऑफसाइट योजना के अपने ज्ञान से प्रशिक्षण को सामृद्ध किया।
25 नवंबर, 2020	**राज्य :** सिक्किम **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	सिक्किम, जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र–IV में अवस्थित है, में/इसके आस–पास भूकंप का एक लंबा इतिहास रहा है। (18 सितंबर, 2011 को इसने एक बड़ा भूकंप (6.8) झेला था, जिससे व्यापक क्षति हुई थी।

		इसलिए राज्य के लिए एक ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में सिक्किम के पश्चिम में अधिकेंद्र (इपीसेंटर) के साथ एक भूकंप का अनुकरण किया। यह प्रशिक्षण श्री जीवीवी सर्मा, आईएएस, सदस्य सचिव, एनडीएमए के संबोधन के साथ शुरू किया गया था, जिन्होंने अन्य बातों के साथ–साथः • आपदा प्रबंधन के महत्व और विशेष रूप से वर्तमान समय में विकास को बनाए रखने में इसकी प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित किया। • इस बात पर जोर दिया गया कि डीएम एक बहु हितधारक गतिविधि है, जिसके लिए समुदाय, विशेष आपदा प्रतिक्रिया बलों, सीएपीएफ और सशस्त्र बलों के एकीकरण की आवश्यकता होती है ताकि पूरक कार्य के माध्यम से समग्र प्रयास को समन्वित किया जा सके। • क्षमता निर्माण में आईआरएस प्रशिक्षण, टेबल–टॉप अभ्यास और कृत्रिम अभ्यास की भूमिका को स्पष्ट किया। • एसडीआरएफ के उत्तरोतर निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और बताया कि एनडीएमए एनडीआरएफ के माध्यम से अपने प्रशिक्षण को कैसे सुगम बना सकता है।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
04 दिसंबर, 2020	**राज्य :** असम **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	असम राज्य भूकंपीय क्षेत्र–V में अवस्थित है, जो विशेषकर भूकंप के लिए संवेदनशील है। एनडीएमए द्वारा जिला स्तर तक के अधिकारियों और हितधारकों के लिए, आईआरएस पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसके बाद एक भूकंप परिदृश्य पर एक टेबल–टॉप अभ्यास ऑनलाइन आयोजित किया गया था। राज्य की ओर से कार्यक्रम का समन्वय श्री एमएस मन्नी वन्नम, आईएएस, सीईओ, एएसडीएमए और श्री जिश्नु बरुआ, आईएएस, मुख्य सचिव, असम सरकार, ने अध्यक्षता की।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
10 दिसंबर, 2020	**राज्य :** चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	चंडीगढ केंद्र शासित प्रदेश, जो भूकंपीय क्षेत्र IV में अवस्थित है, के लिए आईआरएस पर प्रशिक्षण, इसके बाद एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता ले.जन. एम. ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और चंडीगढ केंद्र शासित प्रदेश के उप–राज्यपाल के सलाहकार ने की, यूटी प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ उनके आईआरटी और केंद्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
18 दिसंबर, 2020	**राज्य :** झारखंड **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रमः** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	एनडीएमए द्वारा झारखंड राज्य के लिए औद्योगिक रासायनिक आपदाओं पर, आईआरएस पर प्रशिक्षण, इसके बाद एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अमिताभ कौशल, आईएएस, सचिव, गृह विभाग ने की और सभी 24 जिलों के अधिकारियों के साथ पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), बोकारो और धनबाद के जिलों से एमएएच उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
15 जनवरी, 2021	**राज्य :** उत्तराखंड **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तर ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	राज्य के सभी जिलों के लिए एक बड़ा भूकंप परिदृश्य के अनुकरण से एक टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। टीटीईएक्स, जो आईआरएस पर प्रशिक्षण से पहले था, में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके अलावा केंद्रीय संगठन भी संबद्ध थे। कार्यक्रम की देखरेख ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और सचिव (राजस्व), उत्तराखंड सरकार ने की।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
19 जनवरी, 2021	**राज्य :** तमिलनाडु **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और मुख्य दुर्घटना खतरा इकाई वाले 23 जिलों के लिए राज्य–स्तर टेबल–टॉप अभ्यास	तमिलनाडु एक औद्योगिक राज्य है, जहां कई औद्योगिक इकाइयां जहरीले रसायनों का प्रसंस्करण करती हैं। वर्तमान में, राज्य के 23 जिलों में फैले लगभग 166 प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) उद्योग हैं। इनमें से कुछ एमएएच इकाइयां राज्य के अंदर स्थित जिलों में हैं, जबकि अन्य तटीय जिलों में हैं, जहां प्रणाली विफलता के अलावा, प्राकृतिक खतरों से उद्योगों के बाधित होने के कारण भी संवेदनशील हैं। इससे ऐसे जिलों में हादसों की संभावना बढ़ जाती है। तमिलनाडु भारत के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है जिसकी 49% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। उद्योगों का बसावट के समीप के होने के कारण, औद्योगिक–रासायनिक आपदाओं का जोखिम बढ़ा है। इसलिए औद्योगिक–रासायनिक दुर्घटनाओं को सक्रिय होकर रोकने की आवश्यकता है और किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मानव जीवन, अवसंरचना, संपत्ति और पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए इसे उचित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। फलस्वरूप, राज्य के लिए एक व्यापक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह प्रशिक्षण डॉ. पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार (प्रचालन) के स्वागत भाषण और ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए के उद्घाटन भाषण से शुरू हुआ। राज्य में कार्यक्रम का समन्वय थिरु के फनिन्द्र रेड्डी, आईएएस, अपर मुख्य सचिव ने की। प्रशिक्षण में डॉ. डी जगन्नाथन, आईएएस, आयुक्त, आपदा प्रबंधन; श्री आर कन्नन, अपर मुख्य पर्यावरणिक इंजीनियर, शहरीकरण; आयुक्त, ग्रेटर चेन्नै निगम; संबंधित जिलों के जिला समाहर्ता के साथ आईआरटी और एनडीआरएफ ने भाग लिया था। इसके अलावा एमएएच उद्योगों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

		निम्नलिखित विषयों पर जोर दिया गया था: • जोखिम और खतरा विस्तार (स्पैक्ट्रम) • रासायनिक आपदाओं के प्रभाव • प्रौद्योगिकी का उपयोग, विशेष रूप से भूस्थानिक, संचार, भू–संदर्भित डेटा, प्रतिक्रिया सूचना डेटा शीट्स (आईआईडीएस) सॉफ्टवेयर और मॉडलिंग। • सामुदायिक तैयारी (स्थानीय स्तर पर आपातकालीन स्थितियों के लिए जागरूकता एवं तैयारी सहित)। • रासायनिक आपदा प्रबंधन कार्य योजना के घटक। • जोखिम न्यूनीकरण तकनीक • उद्योगों और जिलों द्वारा ठोस और ऑनसाइट और ऑफसाइट योजनाएं, और पारस्परिक सहायता योजनाएं तैयार करना।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
28 जनवरी, 2021	**राज्य :** गुजरात **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य स्तरीय ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	गुजरात राज्य के लिए एक बड़ा भूकंप परिदृश्य के अनुकरण से एक टेबल–टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। टीटीईएक्स का आयोजन आईआरएस प्रशिक्षण से पहले हुआ था। प्रशिक्षण में राज्य मुख्यालय, सभी 33 जिलों के साथ–साथ एनडीआरएफ सहित केंद्रीय संगठन के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और श्री हरशद आर पटेल, आईएएस, सीईओ, गुजरात एडीएमए और सचिव (राजस्व और डीएम) ने की। डॉ. वी तिरुपुगल, आईएएस, अपर सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए और श्री विक्टर मेक्वन, आईएएस, सीईओ, गुजरात एडीएमए ने भी इस अभ्यास का संचालन किया।

<table>
<tr><th>तिथि</th><th>राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम</th><th>टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td>11 फरवरी, 2021</td><td>राज्य : अरुणाचल प्रदेश
परिदृश्य : भूकंप
कार्यक्रम : राज्य स्तरीय ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास</td><td>अरुणाचल प्रदेश, भारत का एक सीमावर्ती राज्य, भूकंपीय क्षेत्र V में अवस्थित है और इसका इतिहास बड़े भूकंपों (1906, 1908, 1941, 1947 और 1950) और कम तीव्रता के सामयिक भूकंपों का है।
भले हीं इसका जनसंख्या घनत्व कम है, दो जिलों के लिए एनडीएमए द्वारा प्रायोजित 2013 एक अध्ययन में आंकलन किया गया था कि भूकंपीय गतिविधि, जिसका परिदृश्य 1897 के शिलांग भूकंप (एम 8.7) के समान जो मध्य रात्रि में होता है, इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित हताहत हो सकते हैं:
<table>
<tr><th>जिला</th><th>घायल</th><th>मृत</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>पपुम पारे</td><td>24500</td><td>3600</td><td rowspan="2">अध्ययन केवल इन दो जिलों तक सीमित है।</td></tr>
<tr><td>निचली सुबनश्री</td><td>4200</td><td>900</td></tr>
</table>
ऊंचे पहाड़ों, शक्तिशाली नदियों और घने जंगलों ने आमतौर पर विभिन्न नदी घाटियों में रहने वाले लोगों के बीच अंतः–संचार को बाधित किया है और अरुणाचल प्रदेश में तीनों हैं। यह अलगाव भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरों से बढ़ जाता है। इसके अलावा राज्य के साथ और उसके भीतर के संपर्क मार्ग हैं।
इसलिए ये पहलू एक बड़ी आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में केंद्रीय बलों की अधिक भागिदारी/एकीकरण की अनिवार्यता को सुदृढ़ करते हैं। फलस्वरूप, एक टेबल–टॉप अभ्यास, जिसमें राज्य में 10 फरवरी, 2020 के कृत्रिम अभ्यास के परिदृश्य का अनुकरण किया गया था, आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और श्री दानी शालू, सचिव (डीएम), अरुणाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुई। प्रशिक्षण में राज्य के अधिकारियों के अलावा, एनडीआरएफ, सीएपीएफ, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, सीमा सड़क संगठन और अन्य केंद्रीय संगठनों में भाग लिया था। सभी केंद्रीय बलों की भूमिका को समग्र प्रतिक्रिया में जोड़ा गया था।</td></tr>
</table>

ARUNACHAL FRONT
The People's Daily
NAHARLAGUN ITANAGAR FRIDAY 12 FEBRUARY 2021

WANTED
Required Sub-Editor having good command over English and computer knowledge.
Preference shall be given to experienced persons.
- Editor
Arunachal Front

"Love is always being given where it is not required."
- E. M. Forster

Govt responds to Twitter blogpost on homegrown app Koo | P6

Documentary film Black Sand qualifies for Oscars 2021 | P7

State's preparedness to tackle natural disasters assessed

NDMA conducts online table top exercise

By Our Reporter

ITANAGAR, Feb 11: An online table top exercise on Incident Response System (IRS) in the eventuality of a mega earthquake was conducted today by the National Disaster Management Authority (NDMA), Ministry of Home Affairs, Government of India and the Department of Disaster Management, Government of Arunachal Pradesh.

The participants included members of National Disaster Management Authority (NDMA), State Disaster Management Authority, Deputy Commissioners of all the Districts, District Disaster Management Authority (DDMA), SDRF, NDRF, BRO, CRPF, ITBP and other stakeholders. The table top exercise was conducted to assess the capabilities and preparedness of the state to endure any major disaster, find gaps and to address them.

The opening address was delivered by Member of NDMA, Lt. Gen Syed Ata Hasnain (Retd), PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM. He remarked that despite the ongoing pandemic, it was necessary to conduct training on preparedness regularly as disasters won't wait for the pandemic to subside which is evident from the recent case of the avalanche disaster at Uttarakhand. He emphasized on the role of BRO during disasters.

The Secretary, Disaster Management, Dani Salu presented an overview of the State Disaster Management Plan and state's preparedness on earthquakes. He informed that the state had notified Incident Response Team (IRT) to respond to major disasters, which were automatically activated during the event of a disaster. He also commended NDMA for conducting the State level mega mock exercises last year which enabled the State to face the Covid-19 pandemic crisis effectively.

It was followed by a presentation on the status and preparedness of State Disaster Management Force (SDRF) from Sanjay Bhatia, Nodal Officer, SDRF cum SP, Fire and Emergency Services. Dr Lobsang Jampa, state epidemiologist delivered a brief presentation on medical preparedness for earthquake and Covid-19 information for first responders.

The table top exercise was conducted and moderated by Brig. Kuldip Singh (retd.), NDMA. He gave an elaborate presentation on the step-by-step actions to be taken by every stakeholder during the event of an earthquake. He stressed on the roles and responsibilities of each member and the importance of having a dedicated emergency operation centre (EOC) equipped with a robust communication system to efficiently tackle any disaster.

****

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
22 फरवरी, 2021	**राज्य :** तेलंगाना **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य स्तरीय ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास	बाढ़ के परिदृश्य पर यह ऑनलाइन टेबल–टॉप अभ्यास राज्य की स्थापना के बाद से एनडीएमए और तेलंगाना राज्य के बीच पहला परस्पर प्रशिक्षण संवाद था।

		राज्य, न तो उच्च भूकंपीय क्षेत्र में अवस्थित है (राज्य की एक उत्तरपूर्वी भूभाग भूकंपीय क्षेत्र 3 में है, शेष क्षेत्र 2 में है) और न ही तट पर, तथापि दो प्रमुख नदियों, कृष्णा (उत्तर में) और गोदावरी (दक्षिण में) कृष्णा का लगभग 68% और गोदावरी के नदी जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 79% तेलंगाना में स्थित है। राज्य सूखा और बाढ़ दोनों परिस्थितियों के लिए और संवेदनशील है अब जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता जा रहा है। श्री राहुल बोज्जा, आईएएस, उपायुक्त (राजस्व और डीएम) तेलंगाना राज्य की अध्यक्षता में प्रशिक्षण में एनडीआरएफ, सीएपीएएफ और सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
04 मार्च, 2021	**राज्य :** उत्तराखंड **परिदृश्य :** जनसभा कार्यक्रम – हरिद्वार में महाकुंभ मेला, 2021 **कार्यक्रम :** ऑनलाइन अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन	अप्रैल, 2021 के शाही स्नान से संबंधित जनसभा के आयोजन की तैयारी के लिए उत्तराखंड राज्य को सहायता करने के लिए, क्रमशः 05 और 06 अप्रैल, 2021 को एक टेबल–टॉप अभ्यास और एक कृत्रिम अभ्यास निर्धारित किया गया था। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित एक अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
10 मार्च, 2021	**राज्य :** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर खंड के 10 जिलों के लिए घटना मोचन प्रणाली पर प्रशिक्षण के बाद एक टेबल–टॉप अभ्यास	जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जिसका भारत में एक रणनीतिक स्थिति है, भूकंपीय क्षेत्र IV में स्थित है, जिसके कुछ हिस्से क्षेत्र V में हैं। यहां बड़े भूकंपों का भी इतिहास रहा है और हाल ही में, भूकंपीय हलचल का अनुभव किया गया है। इसलिए, यूटी के कश्मीर खंड के लिए आईआरएस पर प्रशिक्षण और उसके बाद एक टेबल–टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। श्रीनगर में सत्र की अध्यक्षता ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की। जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से श्री पांदुरंग के पॉल, आईएएस, उपायुक्त, कश्मीर खंड ने प्रशिक्षण की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों सहित सभी हितधारकों ने भाग लिया, जिसमें ले.जन. डी.एस. हुड्डा (सेवानिवृत्त), पूर्व जीओसी प्रभारी, उत्तरी कमान द्वारा 2005 के भूकंप से निपटने के अपने अनुभव पर एक संक्षिप्त परंतु ज्ञानवर्धक वार्ता भी शामिल थी।

एकीकृत कृत्रिम अभ्यास प्रक्रिया का पुनरारंभ

6.10 कोविड–रोधी वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए, जैसे ही स्थितियां अनुकूल हों, एनडीएमए की एकीकृत कृत्रिम अभ्यास फिर से शुरू करने की योजना है। इस संबंध में, एनडीएमए ने 16 मार्च, 2021 को ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कृत्रिम अभ्यासों के आयोजन के तौर तरीको पर भी प्रस्तुति दी तथा योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया, अर्थात् कृत्रिम अभ्यास के आयोजन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता और आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) की क्षमता निर्माण के लिए योजना। इसके अलावा, 2021–22 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कृत्रिम अभ्यास केलेंडर की तिथियों और आपदा परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया।

एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम

6.11 माननीय गृह मंत्री द्वारा समीक्षाः 30 जून, 2020 को, भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की और उसके बाद निर्देश दिया कि निम्नलिखित

उद्देश्यों के लिए देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक तीन वर्ष में कम–से–कम एक बार कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए:

(a) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक जिला आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित टीमों का गठन कर सकता है।

(b) प्रत्येक जिले के आपदा प्रबंधन योजनाओं और उसकी तैयारी घटक की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए।

(c) विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय लाने के लिए।

6.12 यह भी निर्देश दिया गया कि किसी जिले की कृत्रिम अभ्यास वाले दिन, संबंधित जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बिजली और आपातकालीन सेवाएं भी अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करेंगी और 10 से 20 पूर्व चयनित स्कूलों में कृत्रिम अभ्यास आयोजित करेगी।

6.13 निदेश के अनुसरण में, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रशिक्षण चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जैसा कि निम्न प्रकार दर्शाया गया हैं:

चरण	वित्त वर्ष	शामिल जिले
चरण–I	2020–21 (1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021)	87
चरण–II	2021–22	सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 355 जिलों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास का वार्षिक केलेंडर परिचालित किया गया है।
चरण–III	2022–23	शेष जिले

अतिरिक्त गतिविधियां

6.14 वित्त वर्ष 2020–21 में, एनडीएमए ने विविध एजेंसियों और संगठनों के लिए विशेष मार्गदर्शन का प्रतिपादन किया, जागरूकता अभियान चलाया और कई मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया हैं:

तिथि	विषय/कार्यक्रम
02 जून, 2020 14 अक्तूबर, 2020 15 जनवरी, 2021	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनडीएमए को अपने रणनीति स्वास्थ्य संचालन केंद्र (एसएचओसी) में 'आपातकालीन संचालन केंद्र की डिजाइनिंग, निर्माण और संचालन' में सहायता के लिए अनुरोध किया था। 2019 में की गई पहले की बातचीत के अगली कड़ी के रूप में, आगे की बैठकें 02 जून, 2020, 14 अक्तूबर, 2020 और 15 जनवरी, 2021 को आयोजित की गईं। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह (सेवानिवृत्त), वरिष्ठ परामर्शदाता, एनडीएमए ने आवश्यक सहायता प्रदान की।
19 सितंबर, 2020	ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह (सेवानिवृत्त), वरिष्ठ परामर्शदाता, एनडीएमए द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में "भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, आग और अन्य आकस्मिक खतरों के संदर्भ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण" शीर्षक वेबीनार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए "आग और अन्य आवर्ती और आकस्मिक आपदाओं–उत्पत्ति, प्रशमन, तैयारी और प्रतिक्रिया" पर ऑनलाइन प्रस्तुति।

27 सितंबर, 2020	ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह (सेवानिवृत्त), वरिष्ठ परामर्शदाता, एनडीएमए द्वारा संयुक्त कल्याण अध्ययन केंद्र (सीईएनजेओडब्ल्यूएस) द्वारा आयोजित ''मानव रहित एरियल प्रणाली 2020–सिविल और मिलिट्री'' शीर्षक वेबीनार के प्रतिभागियों को ''आपदा प्रबंधन पर मानव रहित एरियल प्रणाली'' पर ऑनलाइन प्रस्तुति।
29 सितंबर, 2020	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन और संचार) एनडीएमए द्वारा ''अंतर्राट्रीय आपदाओं के प्रतिक्रिया में बेहतर तालमेल लाना'' पर ऑनलाइन सत्र।
25 नवंबर, 2020	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी, उत्तराखंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सरकारी अधिकारियों के लिए 'सीबीआरएन मुद्दों, अग्नि सुरक्षा और खोज और राहत के प्रबंधन' पर ऑनलाइन सत्र।
01 दिसंबर, 2020	ले.जन. एम.ए. हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए द्वारा आर्मी वॉर कॉलेज में उच्च कमान पाठ्यक्रम कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को ''भारत में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियां'' शीर्षक पर ऑनलाइन वार्ता।
05 जनवरी, 2021	एनडीआरएफ के साथ एनडीएमए द्वारा संवाद और विचार मंथनः • दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2020 और उत्तर पूर्वी मॉनसून 2020 के दौरान विशेषकर चक्रवातों पर हाल के विभिन्न कार्यों में प्रतिक्रिया/सीखे गए सबक। • स्टाइरीन गैस रिसाव–प्रतिक्रिया सबक।
03 फरवरी, 2021	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी, उत्तराखंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सरकारी अधिकारियों के लिए 'अग्नि सुरक्षा, खोज और राहत' पर ऑनलाइन सत्र।
24 मार्च, 2021	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन और संचार) एनडीएमए ने एफआरएएनजे पहल''एचएडीआर अनुभव को साझा करना'' में भाग लिया और भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सशस्त्र बलों को व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

6.15 नियंत्रण कक्ष गतिविधियाँ

(a) एनडीएमए, कोविड–19 वैश्विक महामारी के समय लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासियों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रदान की गई सहायता संबंधी डेटा को सारणीबद्ध और संकलित करने में भी शामिल था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए इस डेटा में राहत शिविरों, आश्रयों, में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें राज्य और नियोक्ताओं/उद्योग द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया, भोजन शिविरों की संख्या आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

(b) न्यूनतम कोविड–19 रोधी स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के हिस्से के रूप में राहत शिविरों और संगरोधक केंद्रों में महिलाओं/लड़कियों को प्रदान किए गए डिगनिटी किट की संख्या पर डेटा संकलित किया गया था।

(c) कोविड–19 के लिए जन–स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर डेटा सारणीबद्ध किया गया था।

(d) गृह मंत्रालय में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर–ईआर) की स्थापना के लिए कार्रवाई योग्य सामग्री प्रदान करना।

(e) कोविड–19 महामारी (रोकथाम, तैयारी और प्रबंधन आदि) के विरुद्ध हमारी लड़ाई के बीच मॉनसून के मौसम की तैयारियों की समीक्षा

के संबंध में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 12.05.2020 को व्यापक निर्देश जारी किए गए थे।

(f) महा चक्रवाती तूफान ''अंफान'' के बनने से पहले की तैयारी गतिविधियों के संबंध में निर्देश 13.05.2020 को प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए थे, जिनमें समवर्ती कोविड–19 महामारी स्थिति के साथ चक्रवात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त अवसंरचना, मानक और भौतिक संसाधनों, तैयारियों और प्रतिक्रिया योजनाओं के संशोधन पर जोर दिया गया था।

एनडीआरएफ/सीएपीएफ/एसडीआरएफ/एसडीएमए का क्षमता निर्माण

6.16 एनडीएमए ने निम्नलिखित मुद्दों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए गैर चिकित्सा और गैर औषधीय उपायों के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की श्रृंखला आयोजित की:

- कोविड–19 रोकथाम उपायों की देखरेख
- समवर्ती आपदाओं की तैयारी
- सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे
- एसडीआरएफ से आबंटन और व्यय

6.17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के गठन और संचालन के लिए दिशानिर्देश 18.09.2020 को जारी किए गए थे।

6.18 तथापि, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान, उनकी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की भी समीक्षा की गई थी। एनडीएमए ने संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय में संयुक्त रूप से एसडीआरएफ में कमियों की पहचान की है, और उस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है।

6.19 **अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाह समूह (आईएनएसएआरएजी) एनडीआरएफ टीमों के बाहरी वर्गीकरण (आईईसी) :** एनडीआरएफ की दो बटालियन अर्थात् 8वीं बटालियन गाजियाबाद और दूसरी बटालियन हरिंणाघाटा (कोलकत्ता) को अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाह समूह (आईएनएसएआरएजी) दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शहरी खोज और बचाव (यूएसएआर) के संचालनों में सहायता प्रदान करने के लिए चिह्नित किया गया है। आईएनएसएआरएजी दिशानिर्देश में कहा गया है कि टीम को आवश्यकता होने के आठ से दस घंटे के भीतर तैनाती के लिए हवाई उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए। यूएसएआर की टीम को विदेश में तैनात होना है और गोल्डन आवर के भीतर लोगों को बचाना है। फलस्वरूप, भारत सरकार से इस तरह की सहायता का अनुरोध करने वाले देशों के लिए एनडीआरएफ की अत्यधिक विशिष्ट यूएसएआरध्एसएआर टीमों की त्वरित, अच्छी तरह से समन्वित तेजी से अंतर्राष्ट्रीय तैनाती के लिए उचित प्रक्रियाओं और प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए और जिस पर भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, को एक ''मानक संचालन प्रक्रिया'' (एसओपी) की आवश्यकता थी। भारत के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अर्थात् एमईए, एमओसीएस, एमओएचएनएफडब्ल्यू, एमओडी, एमओएएच, सीबीआईटी और सीमा शुल्क, एनडीआरएफ और एमएचए की ओर से कार्रवाई के लिए जांच सूची पर विचार विमर्श करने के बाद, विदेश में आईईसी, एनडीआरएफ टीमों की तैनाती के लिए एसओपी के मसौदे को संशोधित करने और इसके लिए नीति प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार, आईईसी और मानक संचालन प्रक्रिया (एनओपी) और एनडीआरएफ की टीमों को विदेश में तैनाती के लिए मसौदा नीति प्रस्ताव तैयार की गई है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को चित्रित किया गया है और क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है।

6.20 **सभी सीएपीएफ द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में आंतरिक क्षमताओं का विकास:** सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से अपनी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं:–

(a) सभी सीएपीएफ का आपदा प्रतिक्रिया इकाईयां होनी चाहिए, जिनकी आंतरिक क्षमताओं को प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास के साथ विकसित करना चाहिए।

(b) एनडीआरए, नागपुर में 36 प्रशिक्षकों (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के संबंधित डीएम प्रशिक्षण विंग से 9 पद) के स्वीकृत पद के स्थानांतरण के बावजूद, सीएपीएफ के इन विद्यमान आपदा प्रबंधन संस्थानों को कार्य जारी रखना चाहिए। सीएपीएफ अपने कर्मियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए एनडीआरएफ के प्रत्यावर्तित जनशक्ति का उपयोग कर सकता है। वे इस कमी को पूरा करने के लिए एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर में अतिरिक्त प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

(c) सभी सीएपीएफ को अपने कर्मियों के बुनियादी प्रशिक्षण में प्राथमिक आपदा प्रबंधन मॉडयूल और विकसित पाठ्यक्रमों में एक अधिक व्यापक आपदा प्रबंधन कैप्सूल शामिल करना चाहिए।

(d) सीएपीएफ को डीएम से संबंधित गतिविधियों में संलग्न अपने कर्मियों के लिए डीएम उपकरण और सुरक्षात्मक गियर खरीदने की आवश्यकता है।

(e) सीएपीएफ को निर्धारित रिक्तियों के लिए एनडीआरएफ बटालियन के लिए महिला कर्मियों को उपलब्ध कराना है।

(f) आपदा प्रबंधन में सीएपीएफ की प्रत्याशित भूमिका को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 3 पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं:

(i) बुनियादी आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया पाठ्यक्रम (8 हफ्ते)

(ii) चिकित्सकीय प्रथम मोचकों में टीओटी (02 हफ्ते)

(iii) मास्टर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (01 हफ्ता)

एनडीआरएफ को सीएपीएफ से मांग लेने और पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश के साथ 3 पाठ्यक्रमों पर उपरोक्त प्रशिक्षण मॉडयूलों के लिए ब्लॉक और विस्तृत पाठ्यक्रम को एनडीएमए द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6.21 **अंतर्राट्रीय संचालन के लिए मोचन बलों के लिए वर्दी ड्रेस कोड/जैकेट:** अंतर्राट्रीय संचालन के लिए वर्दी जैकेट के डिजाइन को सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया था और प्रचालन प्रभाग द्वारा नमूने (प्रोटोटाइप) खरीदे गए थे और सशस्त्र बलों के साथ–साथ एनडीआरएफ द्वारा क्रियान्वयन के लिए सैन्य विभाग तथा एनडीआरएफ के साथ साझा किए गए थे। अनुपालन के लिए फील्ड इंफारमेशन को सुरक्षा स्टाफ के प्रमुख और डीजीएनडीआरएफ द्वारा अपेक्षित निर्देश पारित किए गए हैं।

6.22 **भारत के एचएडीआर संचालन के दौरान ब्रांड 'इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए राहत सामग्री की ब्रांडिंग और पैकेजिंग:** अंतर्राष्ट्रीय एचएडीआर संचालन के दौरान राहत सामग्री की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर दिशानिर्देश आवश्यक अनुपालन के लिए विदेश मंत्रालय और एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों के साथ 'तिरंगा' और संदेश ''भारत गणराज्य के लोगों की ओर से शुभकामनाओं के साथ'' वाले सेंपल स्टीकर्स भी प्रसारित किए गए थे। स्वीकृत जैकेट और स्टीकर के अलावा एचएडीआर के लिए परिवाहन की जा रही सभी परिसंपत्तियों, जैसे वाहन, उपकरण और मशीनरी पर 'भारत' और 'तिरंगा' के साथ लेवेल लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों का अनुपालन भारत सरकार द्वारा नेपाल,

लिबेनन, कंबोडिया, वियतनाम और फीजी को हाल ही में भेजी गई एचएडीआर सहायता के संबंध में एनडीआरएफ द्वारा साझा की गई तस्वीरों से स्पष्ट है।

6.23 **आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता के लिए पानी के उत्पादन की नई तकनीक की खोज:** मेसर्स वाटरगेन, इजराइल ने 'कोई लागत नहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं' (एनसीएनसी) आधार पर एक जेन–एम मशीन (हवाई तकनीकी मशीन से जल) का प्रस्ताव किया था। एनडीएमए ने फर्म के प्रस्ताव की जांच की और उसे स्वीकार कर लिया और आरआरसी एनडीआरएफ अजमेर, कम आर्द्र शुष्क क्षेत्र में मशीन को संस्थापित कर दिया।

6.24 **आपदाओं से लड़ने के लिए विशिष्ट मशीन/ उपकरण की खरीद के लिए सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करना और आईडीआरएन पोर्टल पर संसाधनों की सूची को अद्यतन करना:** भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन), उपकरण की सूची के प्रबंधन, मानव संसाधन को कुशल बनाने और किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और मानव संसाधन तक पहुंचने के लिए निर्णय निर्माताओं को सक्षम बनाने के लिए एक वेब आधारित मंच है। आईडीआरएन की एनआईसी में मेजबानी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है। एनडीएमए ने पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल को सार्वजिनकधनिजी क्षेत्र उद्योगों को उद्योग से संबंधित आपदाओं से लड़ने के लिए विशिष्ट उपकरण अधिप्राप्ति करने के हेतु प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाने और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) पोर्टल पर समय पर अध्यतन करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन के साथ पहले से विद्यमान या खरीदे जा रहे ऐसे विशिष्ट मशीन/उपकरण की सूची साझा करने का अनुरोध किया गया है। जैसाकि, यह मुद्दा गतिशील प्रकृति का है, इसलिए एनडीएमए द्वारा आवधिक समीक्षा की जा रही है।

6.25 **सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) प्रायोगिक परियोजना**

परियोजना को सीडॉट द्वारा तमिलनाडु राज्य में 13.75 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की गई है। यह परियोजना क्षेत्रीय भाषा में भौगोलिक क्षेत्र में आबादी को एसएमएस के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सावधानियों/चेतावनियों के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगी। यह परियोजना अब पूर्ण हो चुकी है।

6.26 **क्षमता निर्माण-आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी)**

उपकरणों की खरीद और ईओसी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एकमुश्त की वित्त सहायता प्रदान करके राज्यों के आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) को बेहतर बनाना परियोजना का उद्देश्य है। इस परियोजना की लागत 5 करोड़ रुपए है। परियोजना कार्यान्वयन के लिए 22 राज्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर निधि हस्तांतरित की गई है। यह परियोजना 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

6.27 **वेब आधारित प्रशिक्षण**

परियोजना का उद्देश्य वेब आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्यक्रम के माध्यम से आपदा प्रबंधन में नागरिकों का क्षमता निर्माण करना है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परियोजना को 98 लाख रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित कर रहे हैं। जेएनयू ने कोविड की स्थिति के कारण परियोजना को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की है। ओएसओयू ने मार्च, 2021 में इस परियोजना को पूर्ण कर लिया है।

6.28 **सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) अखिल भारतीय परियोजना**

सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) अलर्ट के लिए एक आईटीयू मानक है। सीएपी मानक पर आधारित यह परियोजना, विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरभाष, मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, संकेतकों, साइरन आदि पर स्थानीय भाषा में भौगोलिक दृष्टि से संदर्भित आबादी के लिए आने वाले खतरों के बारे में चेतावनियां/सावधानियों के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगी। ये चेतावनियां, चेतावनी देने वाली एजेंसियों जैसे आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एसएएसई, आईएनसीओआईएस आदि के द्वारा प्रदान किया जाएगा और विभिन्न मीडिया पर प्रसार करने के लिए एसडीएमए द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। एसडीएमए चेतावनी प्रदाता एजेंसियों से प्राप्त चेतावनियों को नियंत्रित करेगा और सीएपी मंच के माध्यम से लक्षित दर्शकों में इसका प्रसार करेगा। दर्शकों को उनके पास उपलब्ध किसी भी मीडिया के माध्यम से चेतावनी के बारे में पता चलेगा और समय पर बचाव उपाय करेंगे। परियोजना अधिक प्रतिक्रिया समय के लिए सक्षम बनाएगी और इस प्रकार जान–माल के नुकसान को बहुत कम करेगा। एनडीएमए ने इस परियोजना की कल्पना की है और यह दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी–डॉट) की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के चरण–I, जो 18 महीनों में पूरी होने वाली है, का लागत 354.83 करोड़ रुपए है। परियोजना के चरण–I के क्रियान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 04.03.2021 को प्राप्त हो चुकी है। चरण–I के लिए कार्य का दायरा इस प्रकार है:–

i. चेतावनी प्रसार एजेंसियों के साथ एकीकरण
   a) एसएमएस के लिए सभी टीएसपी
   b) मोबाइल एप्लीकेशन, ब्राउजर नोटीफिकेशन और आरएसएस फीड
   c) गगन और नाविक

ii. अवधारणा का प्रमाण (प्रति प्रौद्योगिकी एक संस्करण)
   a) आकाशवाणी, दूरदर्शन
   b) रेलवे स्टेशन घोषणा प्रणाली
   c) तटीय साइरन
   d) सेल ब्रोडकास्ट

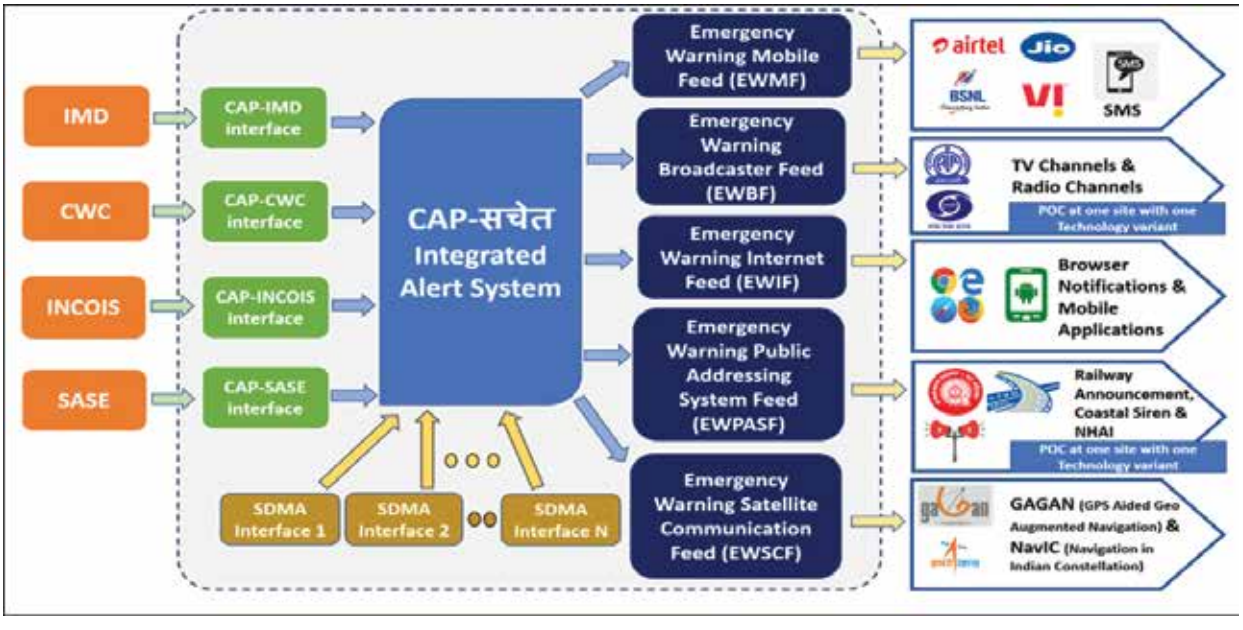

सीएपी आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली

6.29 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का विस्तार (112 ईआरएसएस)

नागरिकों के विभिन्न आपातकालीन स्थितियों का हल करने के लिए एकल आपातकालीन संख्या 112 और वेब पोर्टल के साथ एक एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू करना भारत सरकार का विजन है। वर्तमान में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को वाइस कॉल, एसएमएस, ईमेल, संकट एसओएस सिगनल, ईआरएसएस वेब पोर्टल आदि के माध्यम से नागिरकों से प्राप्त सभी आपातकालीन संकेतों के निराकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में, ईआरएसएस महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, पुलिस, फायर और चिकित्सा सहायता से संबंधित आपातस्थितियों को पूरा करता है। एनडीएमए ने ''आपदा आपातकालीन स्थितियों को पूरा करने के लिए आईआरएसएस (112 ईआरएसएस) का विस्तार'' नामक एक परियोजना की कल्पना की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से 112 ईआरएसएस द्वारा आपदा संबंधित आपातकालीन स्थितियों का भी सामाधान किया जाएगा। आपदा संबंधित आपातकालीन कॉल को पुलिस नियंत्रण केंद्र द्वारा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (एसईओसी) को भेजा जाएगा, जो आगे कॉल को उपयुक्त उत्तरदाता को आगे

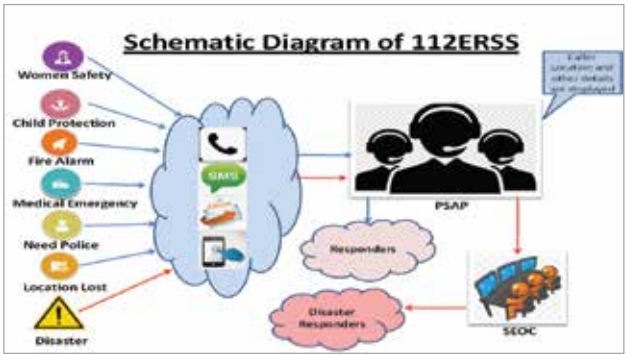

निर्देशित किया जाएगा। परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

6.30 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

पुरस्कार ''सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (एससीबीएपीपी)'' की संकल्पना वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 'व्यक्तियों/संस्थानों' को प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार के क्षेत्रों में रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार और प्रारंभिक चेतावनी शामिल है। वर्ष 2021 का पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जंयती 23.01.2021 को घोषित किया गया था। एससीबीपीपी–21 को वैयक्तिगत श्रेणी में डॉ.

राजेंद्र कुमार भंडारी और संस्थान श्रेणी में ''सतत् पर्यावरण और पारिस्थितिकी की विकास सोसाइटी (सीड्स)'' को पुरस्कृत किए गए।

जागरूकता सृजन

6.31 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, जन संपर्क एवं जागरूकता सृजन (पीआर एंड एजी) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सालभर समय–समय पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किए। एक आपदा प्रतिरोधी समाज के लिए लोगों को सूचित, शिक्षित और संवाद करके एक उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन जागरूकता अभियानों का टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाता है। इस वर्ष जागरूकता अभियानों को कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाए गए। इन जागरूकता अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

a) किसी आसन्न आपदाओं (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, वैश्विक महामारी आदि) के लिए नागरिकों को तैयार करना।

b) हानि को अधिकाधिक कम करने के लिए विभिन्न निवारक और प्रशमन उपायों पर लोगों को जानकारी तथा शिक्षा प्रदान करना।

6.32 2020–21 के दौरान चलाए गए अभियानों का विवरण नीचे दिया गया है

श्रव्य-दृश्य और प्रिंट अभियान

6.33 दूरदर्शन / आकाशवाणी / लोकसभा टीवी–दूरदर्शन (राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों) और आकाशवाणी पर भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, लू, शीत लहर और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ऑडियो–वीडियो स्पॉटों का प्रसारण किया गया। प्रत्येक विभिन्न आपदाओं में क्या करें और क्या न करें पर 30 / 40 / 50 / 60 सेकेंडों के अनेक स्पॉटों का संबंधित आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्रसारण किया गया। इस वर्ष के दौरान चलाए गए अभियानों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	2020–21 के दौरान चलाए गए विभिन्न जागरूकता अभियानों का विवरण
1	2/5/2020 से 8/5/2020 तक 7 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "लू" अभियान
2	2/5/2020 से 7/5/2020 तक 6 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "लू" अभियान
3	18/5/2020 से 22/5/2020 तक 5 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "चक्रवात" अभियान
4	18/5/2020 से 22/5/2020 तक 5 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "चक्रवात" अभियान
5	27/5/2020 से 5/6/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "लू" अभियान
6	27/5/2020 से 2/6/2020 तक 7 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "लू" अभियान
7	27/6/2020 से 6/7/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "बाढ़" अभियान
8	27/6/2020 से 3/7/2020 तक 7 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "बाढ़" अभियान
9	27/6/2020 से 6/7/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "शहरी बाढ़" अभियान
10	27/6/2020 से 9/7/2020 तक 13 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "शहारी बाढ़" अभियान
11	17/7/2020 से 26/7/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "भूकंप" अभियान
12	8/7/2020 से 17/7/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "बिजली और आंधी–तूफान" अभियान
13	23/7/2020 से 1/8/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "भूस्खलन" अभियान

14	23/7/2020 से 29/7/2020 तक 7 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "भूस्खलन" अभियान
15	मॉनसून सत्र के लिए 14/9/2020 से 13/10/2020 तक 30 दिनों के लिए लोक सभा टीवी के माध्यम से "भूकंप" अभियान
16	27/10/2020 से 5/11/2020 तक 10 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "शीत लहर" अभियान
17	30/11/2020 से 09/12/2020 तक भुगतान पर 10 दिनों और अर्जित बोनस के माध्यम से 6 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "शीत लहर" अभियान
18	10/12/2020 से 19/12/2020 तक भुगतान पर 10 दिनों और अर्जित बोनस के माध्यम से 6 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "भूकंप" अभियान
19	10/12/2020 से 9/12/2020 तक 10 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "भूकंप" अभियान
20	22/12/2020 से 31/12/2020 तक 10 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "शीत लहर" अभियान बोनस योजना
21	13/3/2021 से 17/3/2021 तक 5 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से "लू" अभियान
22	अहमदाबाद में 12/3, 14/3, 16/3, 18/3 और 20/3/2021 को आयोजित भारत–इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज (पांच टी–20 मैच) के दौरान 5 दिनों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से ''लू'' अभियान
23	16/3/2021 से 20/3/2021 तक 5 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से "लू" अभियान

'आपदा का सामना' विभिन्न आपदाओं पर पैनल चर्चा की एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला

6.34 लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आपदा का सामना शीर्षक पैनल चर्चा/टॉक शो का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया था और दूरदर्शन समाचार और क्षेत्रीय चौनलों के माध्यम से 28.06.2020 से 27.12.2020 तक शाम के 7:00 बजे से 7:30 बजे तक (बुधवार को शाम के 3.00 बजे से 3.30 बजे तक) प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में कई आपदाओं के दो–तीन विशेषज्ञों के साथ चर्चा शामिल था। दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण वाले विषयों का विवरण इस प्रकार हैं:

'आपदा का सामना'

क्र.सं.	चर्चा का विषय/टॉक शो	चर्चा/टॉक शो की तिथि
1	भूकंप	28 जून, 2020
2	बाढ़	5 जुलाई, 2020
3	आकाशीय बिजली	12 जुलाई, 2020
4	शहरी बाढ़	19 जुलाई, 2020
5	भूस्खलन	25 जुलाई, 2020
6	अग्नि सुरक्षा	2 अगस्त, 2020
7	रसायन (औद्योगिक)	9 अगस्त, 2020
8	वन अग्नि	16 अगस्त, 2020
9	सुनामी	23 अगस्त, 2020
10	बाढ़ (एनई मॉनसून)	30 अगस्त, 2020
11	सूखा	6 सितंबर, 2020

12	हिमस्खलन	13 सितंबर, 2020
13	शीत लहर	20 सितंबर, 2020
14	चक्रवात	27 सितंबर, 2020
15	नाव सुरक्षा–नाव संबंधी आपदा (नाव का उलटना) को रोकना	11 अक्तूबर, 2020
16	डीआरआर समावेशी	18 अक्तूबर, 2020
17	मनोसामाजिक सहायता	25 अक्तूबर, 2020
18	स्कूल सुरक्षा	1 नवंबर, 2020
19	आपदा सुरक्षा में मकान मालिकों की भूमिका	8 नवंबर, 2020
20	भूकंप (झटके की घटना बार बार आ रहे हैं इसिलए दोहराए गए)	15 नवंबर, 2020
21	कृत्रिम अभ्यास और तैयारी	22 नवंबर, 2020
22	हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)	29 नवंबर, 2020
23	जलवायु परिवर्तन और चरम घटनाक्रम	6 दिसंबर, 2020
24	मौसम की चेतावनियों को समझना	13 दिसंबर, 2020
25	सीबीडीएम	20 दिसंबर, 2020
26	प्रतिक्रिया से परे जानाः प्रशमन की आवश्यकता	27 दिसंबर, 2020

6.35 कोविड-19 के बारे में जागरूकता

i) कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने कोविड–19 के मुद्दों के बारे में विशिष्ट अंतरदृष्टि के आधार पर विभिन्न लघु फिल्मों का निर्माण किया और जागरूकता पैदा करने के लिए समय–समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनडीएमए की वेबसाइट पर अपलोड किया। इन फिल्मों को स्थानीय क्षेत्रों में प्रसार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया गया था। निर्मित फिल्मों का विवरण इस प्रकार है:

- होम आइसोलेशन पर फिल्मः रोगी और देखभाल करने वाले के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करना।
- 'मास्क नहीं पहनना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है': मास्क पहनने के महत्व को बताना।
- 'अगर कोरोना वायरस दिखता नहीं इसका मतलब यह नहीं कि होता नहीं': एक फिल्म जिसमें, सभी सावधानियों उपायों, विशेषकर मास्क पहनना, को अपनाने के लिए लोगों को शिक्षित करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 'अगर कोरोना वायरस दिखता नहीं इसका मतलब यह नहीं कि होता नहीं', की कल्पित दृश्य का खंडन करने के लिए एक फिल्म।
- 'कोरोना वायरस से आपके अंगों को क्या नुकसान हो सकता है': कोविड–19 के दुषप्रभावों को दिखाया गया है और मास्क पहने, हाथ धोने, उचित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
- 'बेटी को कोरोना वायरस': एक फिल्म जिसमें लोगों को भावनात्मक अपील करते हुए स्पर्शोन्मुख मामले और मास्क पहनने के महत्व पर जोर देता है।
- 'कोरोना वायरस के शिकार कौन?': फिल्म में कोरोना वायरस के तेजी से

फैलने को दिखाया गया था और सुरक्षा के तीन प्रमुख नियमों पर जोर दिया गया था।

- लॉकडाउन के बाद (अनलॉक) के परिदृश्य के दौरान विभिन्न परिस्थितियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आठ फिल्में, जिसमें संवेदनशील आबादी जैसे मजदूरों, यात्रियों, बुजुर्गों आदि के लिए संदेशों के साथ निर्मित किया गया और व्यापक रूप से प्रसारित की गई। फिल्मों के विषय हैं:

i. श्रम और रोजगार की निरंतरता: कृषि, एमएसएमई, छोटी दुकानें, निर्माण श्रमिक;
ii. सार्वजनिक परिवहन: उड़ान, रेल, बस और स्थानीय परिवहन;
iii. व्यक्तिगत वस्तुओं को संभालना: चाबी, कार्ड, घड़ी, बटुआ, मोबाइल, किराना;
iv. शहरी बस्तियां/बड़े घरों;
v. बुजुर्गों की देखभाल;
vi. स्कूल और शैक्षणिक संस्थान;
vii. कोविड–19 व्यक्तियों को कलंकित नहीं करना;
viii. कोविड–19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय।

इन सभी फिल्मों में कोविड–19 सावधानियों पर तीन महत्वपूर्ण संदेश शामिल थें, अर्थात् ''मास्क पहनने, उचित दूरी का पालन करें और हाथ की स्वचछता बनाए रखें''; और कोविड–19 जन आंदोलन की शपथ को राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिवों/राहत आयुक्तों के साथ साझा किया गया है।

ii) उपरोक्त के अलावा, कोविड–19 के विभिन्न विषयों पर 21 प्रिंट सर्जनात्मक (17 अंग्रेजी में और 4 हिंदी में) भी तैयार किए गए और सोशल मीडिया और एनडीएमए की वेबसाइट पर आगे के प्रचार के लिए अपलोड किए गए और जिनके विषय निम्नानुसार है:

17 अंग्रेजी में

- श्वासन स्वच्छता सुनिश्चित करें और हाथ की स्वचछता सुनिश्चित करें; (हाथ धोने के उपाय)
- कोराना वायरस पर क्या करें और क्या न करें;
- खेल के मैदान के लिए सावधानियां;
- छात्रों के लिए सावधानियां;
- स्कूल प्राधिकारियों द्वारा क्या करना चाहिए;
- स्कूलों को व्यक्तिगत स्तर पर क्या बढ़ावा देना चाहिए;
- मास्क का उपयोग कब करना है? (फेस मास्क का उपयोग करने के लिए अनुग्रह करना)
- कक्षा में बरती जाने वाली सावधानियां;
- यदि आप संक्रमित हो जाते हैं तो भागें नहीं;
- सार्वजनिक स्थानों पर श्वासन स्वच्छता बनाए रखें (बीमार महसूस होने पर हमेशा फेसमास्क का उपयोग करें)
- कोरोना वायरस के बारे में आपको क्या जानना चाहिए?
- कोविड–19– लक्षण और बचाव;
- कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम को महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करके कम करें;
- कोरोना वायरस परीक्षण के बाद बरती जाने वाली सावधानियां
- किसी बैठक के दौरान मास्क क्यों पहनना चाहिए
- लू के दौरान की जाने वाली कोविड–19 सावधानियां
- त्योहारों के मौसम में की जाने वाली कोविड–19 सावधानियां

4 हिंदी में

- कोरोना वायरस से बचने के सही तरीके
- कोरोना वायरस से बचने के सरल उपाय

- कोरोना वायरस के लक्षण
- कोरोना वायरस परीक्षण के बाद बरती जाने वाली सावधानियां

कोविड-19 पर एनडीएमए के सोशल मीडिया अभियान

- हर संभव पोस्ट में कोविड–19 के उपयुक्त व्यावहार पर तीन प्रमुख संदेश;
- मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान;
- त्योहारों के मौसम में कोविड–19 संबंधी क्या करें और क्या न करें;
- जब मैं मास्क पहनता/पहनती हूं अभियान;
- बात करते समय लोगों को मास्क हटाने पर हतोत्साहित करने वाले पोस्ट;
- लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली पोस्ट– देर न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण के बाद क्या करें, टीका सुरक्षित है, कोरोना वायरस को खतम करने के लिए टीका लगवाएं;
- 'दवाई भी, कड़ाई भी' अभियान।

एनडीएमए ई-न्यूजलेटर और ब्लॉग

6.36 एक मासिक डिजिटल पत्रिका और एक आधिकारिक ब्लॉग, दोनों का नाम "आपदा संवाद", एनडीएमए, एसडीएमए के प्रमुख कार्यकलापों, डीआरआर पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञ से वार्तालाप (इंटरव्यू) आदि के बारे में हितधारकों को सूचना देने के लिए प्रकाशित किए गए थे। इस पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित तथा प्रमुख मीडिया हाउसों के संपादकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक रूप से इलैक्ट्रानिक रूप से साझा किया जाता है। इसी तरह, ब्लॉग को भी नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इनकी पहुंच को सोशल मीडिया पर विभिन्न तकनीकों के उपयोग से भी इष्टतम स्तर तक पहुंचाया जाता है।

सोशल मीडिया अभियान

6.37 एनडीएमए ने कोविड के खिलाफ लड़ने में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के प्रयासों को शुरू से ही सोशल मीडिया अभियानों के साथ अर्थात् जन आंदोलन ''इलाज होने तक कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए'', 'दवाई भी, कड़ाई भी', #Unite2FightCorona; #WearYourMask; #MentalHealthAwareness; #WhenIWearAMask, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इस बात पर जोर देने के लिए संदेश कि लोगों को अपने जांच परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए घर पर खुद को अलग करना चाहिए, समर्पित कोविड–19 अभियान जिसमें त्योहार और शादी के मौसम के दौरान क्या करें और क्या न करें पर प्रकाश डाला, श्रवण बधिरों के लिए क्या करें और क्या न करें, के साथ जोड़ा है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 सम्यक व्यवहार संबंधी विभिन्न फिल्मों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया गया था।

6.38 आपदा से पहले और आपदा के दौरान, आपदाओं के निवारण, प्रशमन और तैयारी से संबंधित संदेशों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इन सोशल मीडिया अभियानों में लू, बाढ़, शीत लहर, शहरी बाढ़, भूकंप, सीबीआरएन आपातकालीन परिस्थिति, प्रथम चिकित्सा सहायता, बिजली गिरना, अग्नि सुरक्षा और चक्रवात और इन आपदाओं से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया कार्डस् शामिल है। हैशटैग जैसे #covid&19, #heatwave, #earthquake, #floods, #urbanflood, #lightning, #coldwave, #avalanche, #cyclone (विशेष रूप से #CyloneNivar, #CycloneAlert, #CycloneBurevi, #CycloneNisarga, #CycloneAmphan, #CyclonicStorm) और #firesafety, #ForestFire, #FirstAid, #PreventMonsoonIllness, #Landslide आदि उपयोग किए गए। इन हैशटैगों से एनडीएमए के सोशल मीडिया चौनलों को ऑनलाइन दर्शक बढ़ाने के काम में अत्यधिक मदद मिली।

6.39 एनडीएमए विविध अभियान भी चलाते हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित खबरों के लिंकों, एनडीएमए ब्लॉग और आपदा संवाद (ई–पत्रिका) शामिल हैं। आपदा जागरूकता पर अध्यतन को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यापक रूप से साझा किया जाता है। संकट के इस समय में, एनडीएमए सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है और प्रभावित समुदायों की मदद करता है।

6.40 मार्च, 2021 से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने वाले संदेशों का उपयोग करते हुए ट्वीटर और फेसबुक के मध्यम से 'टीकाकरण' पर शोसल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।

6.41 एनडीएमए द्वारा आयोजित की गई बैठकों और सम्मेलनों को भी ट्वीटर और फेसबुक पर पोस्ट किया गया।

6.42 एनडीएमए ने विभिन्न आपदाओं पर सरकार द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों, नवाचारों आदि पर प्रकाश डालते हुए 09 बुकलेट्स (एनडीएमए वेबसाइट पर अपलोड) तैयार की हैं। इन बुकलेटों को 12/02/2021 से 01/03/2021 तक परिचालित करते हुए सोशल मीडिया पर समर्पित अभियान भी चलाए गए।

6.43 विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सहायता (एफएएसटी): मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए अभियान (एफएएसटी) सोशल मीडिया पर 01/03/2021 से 16/03/2021 तक चलाया गया।

ट्वीटर रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2021 को अनुसरणकर्ता : 2,51,306
- 1 जनवरी, 2020 को अनुसरणकर्ता : 1,48,352
- बढ़े हुए अनुसरणकर्ताओं की संख्या : **1,02,954**

विभिन्न आपदाओं पर एनीमेशन फिल्में

6.44 एनडीएमए ने सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और प्रसार करने के लिए और राज्यों को लोगों के बीच अधिकतम पहुंच के लिए विभिन्न आपदाओं पर 40 एनिमेशन फिल्मों के निर्माण का आदेश दिया है। 40 फिल्मों में से 39 एनिमेशन फिल्में तैयार की जा चुकी हैं। एक को खारिज कर दिया गया है।

इनका सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इन एनिमेशन फिल्मों को स्थानीय भाषा में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/राहत आयुक्तों के साथ भी साझा किया गया है।

अध्याय 7

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण है। यह प्रभाग क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलाप तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

7.3 जनसंपर्क और जागरूकता सृजन इस प्रभाग का एक अन्य प्रमुख कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा निपटाया जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर लोगों के मन में बैठाई जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों (स्टाफ) की संख्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक अनुभाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

7.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

7.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य

है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण अद्यतन रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास आपदा विनिर्दिष्ट सूचना एनडीएमए के अधिकारियों और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है। यह प्रभाग किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। इसकी देश के प्रथम मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में प्रमुख भूमिका है। यह प्रभाग केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ समेत सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा बहु–राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। यह प्रभाग आईआरएस पर प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण कार्यकलापों से संबंधित आपदा प्रबंधन के कार्य तथा देश में शीर्ष संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के काम में भी शामिल है। इसके अलावा, यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है। यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संकट प्रबंधन योजनाओं की जांच करता है।

7.6 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए संचार तथा आईटी से संबंधित समाधानों को लागू करता है। यह संचार, आईटी, जीआईएस के क्षेत्र में सभी केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है तथा उनकी क्षमता निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक संयोजन (इंटरफेस) रखना शामिल है। यह प्रभाग सभी स्तरों पर एनडीएमए के सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशासनिक और साजो–सामान संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 21 है, जिनमें संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुभाग अधिकारी और 15 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 वित्त और लेखा प्रभाग खातों का रख–रखाव, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति की निगरानी (मॉनिटर) भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या आठ है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और दो सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- योजनाओं और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों को तैयार करने में, उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।
- एनडीएमए के बजट को तैयार करना तथा उसकी निगरानी (मॉनिटरिंग) करना।

7.9 एन.डी.एम.ए. के लेखा (अकाउंट्स) का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता हैः एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजटः

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए योजना–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय।

(रुपए करोड़ में)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	अंतिम अनुमान 2020–21 गृह मंत्रालय से पुर्नविनियोजन	31.03.2021 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	296.27	99.43	81.58	75.80
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ. डी.एम.पी.)	41.81	39.34	34.86	32.02
स्थापना प्रभार	38.37	39.48	42.36	39.00

टिप्पणीः *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय-डीएवीपी के आंकड़े समाहित।

(रुपए करोड़ में)

अनुदान सं. 46–गृह मंत्रालय					
मुख्य शीर्ष	परियोजना का नाम	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	अंतिम अनुमान 2020–21 गृह मंत्रालय से पुर्नविनियोजन	31.03.2021 तक व्यय
2245	ओडीएमपी	13.08	18.96	14.74	11.90
3601	ओडीएमपी (राज्य सरकार को जारी)	26.00	20.12	20.12	20.12
3602	ओडीएमपी (विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों को जारी)	2.73	0.26	0.00	0.00
	कुल (क)	41.81	39.34	34.86	32.02
2245	एनसीआरएमपी (स्थापना खर्च)	26.27	24.43	11.26	5.48
3601	एनसीआरएमपी (जीआईए)	270.00	75.00	70.32	70.32
	कुल (ख)	296.27	99.43	81.58	75.80
2245	स्थापना खर्च	38.37	39.48	42.36	39.00
	कुल (ग)	38.37	39.48	42.36	39.00
	कुल योग एनडीएमए	376.45	178.25	158.80	146.82

अनुबंध I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री संजीव कुमार	सदस्य सचिव (27.01.2021से)
3.	श्री जी.वी.वी. शर्मा	सदस्य सचिव (27.01.2021 तक)
4.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)
5.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम एवं बीएआर	सदस्य (21.02.2020 से)
6.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020 से)
7.	श्री कृष्ण स्वरूप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले. जनरल (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)

10.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11.	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	श्री मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)
17.	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक) सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018 तक)
18.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) एन.सी. मारवाह, पीवीएसएम, एवीएसएम	सदस्य (30.12.2014 से 29.12.2019 तक)
19	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से 18.01.2020 तक)

अनुबंध II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री संजीव कुमार, सदस्य सचिव
2.	श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव (27.01.2021 तक)
3.	डॉ. प्रदीप कुमार, परियोजना निदेशक (31.12.2020 तक)
4.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार
5.	डॉ. वी. तिरुपुगल, अपर सचिव (नीति एवं योजना)
6.	श्री रमेश कुमार गंटा, संयुक्त सचिव (प्रशा.)
7.	श्री संदीप पौंड्रिक, सलाहकार (प्रशमन) (04.1.2020 तक)
8.	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार)
9.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी

VPS Engineering Impex Pvt. Ltd.
e mail: marketingvps2013@gmail.com